शिक्षा में समावेशन

विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका

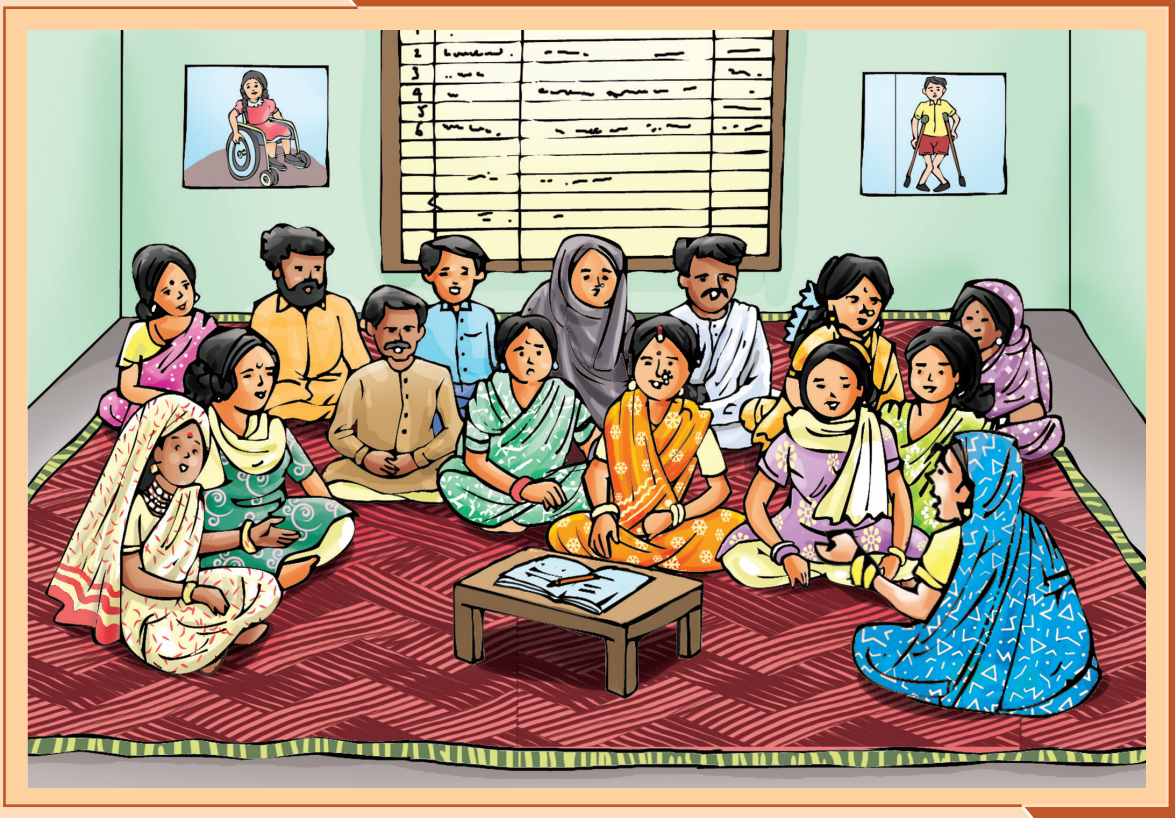

एक कदम स्वच्छता की ओर

शिक्षा में समावेशन

विद्यालय प्रबंधन समिति के लिए संदर्शिका

विद्यया ऽ मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

प्रथम संस्करण

जनवरी 2020 पौष 1941

PD 1T RPS

© राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, 2020

ISBN 978-93-5292-207-9

सर्वाधिकार सुरक्षित

- प्रकाशक की पूर्व अनुमित के बिना इस प्रकाशन के किसी भाग को छापना तथा इलैक्ट्रॉनिकी, मशीनी, फ़ोटोप्रतिलिपि, रिकॉर्डिंग अथवा किसी अन्य विधि से पुन: प्रयोग पद्धति द्वारा उसका संग्रहण अथवा प्रचारण वर्जित है।
- इस पुस्तक की बिक्री इस शर्त के साथ की गई है कि प्रकाशन की पूर्व अनुमित के बिना यह पुस्तक अपने मूल आवरण अथवा जिल्द के अलावा किसी अन्य प्रकार से व्यापार द्वारा उधारी पर, पुनर्विक्रय या किराए पर न दी जाएगी, न बेची जाएगी।
- इस प्रकाशन का सही मूल्य इस पृष्ठ पर मुद्रित है। रबड़ की मुहर अथवा चिपकाई गई पर्ची (स्टिकर) या किसी अन्य विधि द्वारा अंकित कोई भी संशोधित मूल्य गलत है तथा मान्य नहीं होगा।

एन. सी. ई. आर. टी. के प्रकाशन प्रभाग के कार्यालय

एन.सी.ई.आर.टी. कैंपस
श्री अरविंद मार्ग
नयी दिल्ली 110 016 फ़ोन : 011-26562708

108, 100 फ़ीट रोड
हेली एक्सटेंशन, होस्डेकेरे
बनाशंकरी III इस्टेज
बेंगलुरु 560 085 फ़ोन : 080-26725740

नवजीवन ट्रस्ट भवन
डाकघर नवजीवन
अहमदाबाद 380 014 फ़ोन : 079-27541446

सी.डब्ल्यू.सी. कैंपस
निकट: धनकल बस स्टॉप पिनहटी
कोलकाता 700 114 फ़ोन : 033-25530454

सी.डब्ल्यू.सी. कॉम्प्लैक्स
मालीगाँव
गुवाहाटी 781021 फ़ोन : 0361-2676869

प्रकाशन सहयोग

अध्यक्ष, प्रकाशन प्रभाग : *अनुप कुमार राजपूत*

मुख्य संपादक : *श्वेता उप्पल*

मुख्य उत्पादन अधिकारी : *अरुण चितकारा*

मुख्य व्यापार प्रबंधक : *बिबाष कुमार दास*

सहायक संपादक : *ऋषि पाल सिंह*

उत्पादन अधिकारी : *ए.एम. विनोद कुमार*

आवरण

डी.टी.पी. सेल

80 जी.एस.एम. पेपर पर मुद्रित।

सचिव, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, श्री अरविंद मार्ग, नयी दिल्ली 110 016 द्वारा प्रकाशन प्रभाग में प्रकाशित तथा जगदंबा ऑफ़सेट, 374, नांगली शकरावती इंडस्ट्रियल एरिया, नजफगढ़, नयी दिल्ली 110 004 द्वारा मुद्रित।

आमुख

विद्यालयों से सभी बच्चों को एक सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में शिक्षा प्रदान करना अपेक्षित होता हैं। समाज में कुछ समूहों के बच्चे अपनी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, जेंडर आदि विविध पृष्ठभूमियों के कारण सुविधावंचित रह जाते हैं। इन सुविधावंचित समूहों, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, बालिकाएँ, ट्रांसजेंडर, दिव्यांग और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा पर आज भी हमें विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* ने प्रारंभिक शिक्षा में सभी बच्चों के समावेशन व समता के सिद्धांतों पर आधारित भेदभावरहित शिक्षा प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त किया है। इस अधिनियम में विद्यालय में की जाने वाली गतिविधियों की योजना बनाने व उनका निरीक्षण करने में विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) की सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना भी की गई है। वि.प्र.स. में तीन-चौथाई सदस्य विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावक होते हैं। समिति में आधी सदस्य महिलाएँ हैं और सुविधावंचित समूहों का भी आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। यह आवश्यक है कि वि.प्र.स. के सदस्यों को भी समता, गुणवत्तापूर्ण व भेदभावरहित शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित विद्यालयी गतिविधियों से अवगत कराया जाए। यह संदर्शिका विद्यालय में सुविधावंचित समूहों एवं दिव्यांग बच्चों के समावेशन में वि.प्र.स. के सदस्यों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से निर्मित की गई है। संदर्शिका विविध पृष्ठभूमियों से आए विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की संपूर्ति के लिए समावेशी विद्यालयों के प्रयासों, चुनौतियों और आवश्यकताओं की बेहतर समझ प्रदान करती है। संदर्शिका में दर्शाए गए चित्र और उदाहरण समावेशी विद्यालय के कामकाज और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में वि.प्र.स. के सदस्यों की अपेक्षित भूमिकाओं को समझाने में सहायक हैं। इस संदर्शिका का प्रयोग वि.प्र.स. के सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए किया जा सकता है।

विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग द्वारा किया गया यह प्रयास सराहनीय है। इस संदर्शिका पर आपके सुझावों की हम अपेक्षा करते हैं।

हृषिकेश सेनापति
निदेशक
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्

नयी दिल्ली
जनवरी, 2019

प्रस्तावना

'*नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* एक ऐतिहासिक अधिनियम है, जिसमें सुविधावंचित समूहों, जैसे— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों या सूचीबद्ध दिव्यांग बच्चों सहित सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के अनेकानेक प्रावधान हैं। प्रत्येक विद्यालय अब एक समावेशी विद्यालय है। विद्यालयों में अब, उन लोगों के लिए एक समावेशी परिवेश बनाने की ज़रूरत है जो पीड़ित, उपेक्षित, भेदभाव से प्रभावित और विद्यालयी शिक्षा के समान अवसरों से वंचित हैं। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986* एवं *योजना क्रियान्वयन, 1992* में सभी बच्चों के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों के लिए विद्यालयी शिक्षा की सुलभता, अधिगमलब्धियों में उन्नयन और शालात्याग दर में कमी लाने पर बल दिया गया है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा संबंधी *सलामान्का प्रपत्र व क्रियान्वयन की रूपरेखा, 1994*; *बिवाको मिलेनियम क्रियान्वयन की रूपरेखा, 2002* और *दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 2006*, जैसे अंतर्राष्ट्रीय घोषणापत्रों का भारत हस्ताक्षरी रहा है, जिसमें दिव्यांग बच्चों के सामान्य विद्यालयों में समावेशन से संबंधित शिक्षानीति की आवश्यकता प्रस्तावित है। विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों की शिक्षा पर *राष्ट्रीय फ़ोकस समूह का आधारपत्र, 2006* में दिव्यांग एवं अन्य विद्यार्थियों की विविधताओं के समायोजन के अनुरूप लचीलापन लाने की अनुशंसा की गई है। सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु दिव्यांग बच्चों के लिए *केंद्र प्रायोजित एकीकृत शिक्षा योजना (संशोधित, 1992)* चलायी गई थी। *सर्व शिक्षा अभियान* तथा *राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान* के द्वारा सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग एवं अन्य शिक्षा वंचित समूहों के बच्चों के समावेशन हेतु सहायता प्रदान की गई। *नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* निष्पक्ष और भेदभावरहित शिक्षा के सिद्धांतों के आधार पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का साम्यिक अधिकार प्रदान करता है। *समग्र शिक्षा अभियान, 2018* में विद्यालय-पूर्व शिक्षा से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ-साथ निष्पक्षता एवं समावेशन सुनिश्चित करने की भी परिकल्पना की गई है।

विद्यालयी शिक्षा में सभी बच्चों के समावेशन के लिए विद्यालयों तथा उसके आस-पास के समुदायों के बीच सक्रिय संबंधों की ज़रूरत होती है। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत विद्यालयी शिक्षा में जनभागीदारी हेतु माता-पिता और स्थानीय समुदायों को शामिल करने के विशेष प्रावधान किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन समितियों (वि.प्र.स.) के रूप में इन्हें विद्यालयों के संचालन और विकास कार्यों में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए कुछ संवैधानिक अधिकार सौंपे गए हैं। विद्यालय के सुसंचालन और गुणवत्तापूर्ण अध्यापन-अधिगम गतिविधियों के लिए वि.प्र.स. उत्तरदायी हैं।

विद्यालय में समावेशी शिक्षा के भलीभाँति क्रियान्वयन करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व अब वि.प्र.स. पर ही है, जिसके अंतर्गत यह विद्यालय विकास योजना (वि.वि.यो.) के निर्माण एवं उसकी अनुशंसा करने के साथ-साथ अनुदानों का सदुपयोग करने पर भी निगाह बनाए रखती है। यह समिति बच्चे की शिक्षा के लिए विद्यालय एवं उसके घर के बीच एक सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित करने का कार्य करती है। *बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009* के लक्ष्यों को साकार करने हेतु

और विद्यालयी गतिविधियों में समिति के सदस्यों की सहभागिता को प्रभावी बनाने हेतु उनके उन्मुखीकरण, प्रशिक्षण व समर्थित प्रयास की नितांत आवश्यकता है, जिससे वे वि.प्र.स. के सदस्य के रूप में अपनी अपेक्षित भूमिकाओं का निर्वहन अच्छी तरह कर सकें। *बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम* में तय किए गए विद्यालयी शिक्षा के मानकों, स्तरों और अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए वि.प्र.स. के सदस्यों को समावेशी विद्यालयों की आवश्यकताओं की पहचान करने, उनका विश्लेषण करने, कार्य योजना बनाने और उनका कार्यान्वयन करने संबंधी प्रशिक्षण देकर उन्हें तैयार करने की आवश्यकता है।

यह संदर्शिका *प्रारंभिक शिक्षा में समावेशन एवं समावेशी शिक्षा नीति* के क्रियान्वयन में वि.प्र.स. की भागीदारी बढ़ाने तथा उन्हें उनकी भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों के प्रति जानकारी देने हेतु बनाई गई है। इस संदर्शिका को विकसित करने हेतु समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में गहन अनुसंधान एवं कई कार्यशालाओं के माध्यम से परिचर्चाएँ की गई हैं। साथ ही साथ वि.प्र.स. के सदस्यों के लिए शृंखलाबद्ध तरीके से प्रशिक्षण/उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित कर उनकी प्रतिक्रियाएँ एकत्रित की गई हैं, जिससे इस संदर्शिका के निर्माण में काफ़ी सहायता मिली है। इस संदर्शिका का प्रारंभिक परीक्षण विभिन्न प्रदेशों के दूरवर्ती ग्रामीण परिवेशों के विद्यालयों में किया गया है। इस संदर्शिका में कुल आठ अध्याय हैं। पहले अध्याय में, विद्यालय प्रबंधन और शिक्षा में समावेशन का परिचय है। वि.प्र.स. का गठन और इसके सदस्यों की भूमिकाएँ तथा कर्त्तव्य दूसरे अध्याय में बताए गए हैं। तीसरे अध्याय में विद्यालय-पूर्व शिक्षा और आरंभिक वर्षों के दौरान समावेशन के महत्व को बताया गया है। चौथे अध्याय में दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा और बाधारहित व सुगम्य विद्यालयी परिवेश पर बल दिया गया है। सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सरोकारों पर पाँचवें अध्याय में चर्चा की गई है। छठवें अध्याय में जेंडर दृष्टिकोण और बालिका शिक्षा के प्रति संवेदनशीलता पर ज़ोर दिया गया है, जबकि किशारों से संबंधित मुद्दों को सातवें अध्याय में समायोजित किया गया है। आठवें अध्याय में विद्यालयों में आपदाओं तथा सामाजिक विवादों से निपटने के लिए वि.प्र.स. को तैयार करने के प्रयासों की विवेचना की गई है। यह संदर्शिका विद्यालयी शिक्षा से जुड़े अधिकारियों और अन्य लोगों से निरंतर चली बातचीत व परिचर्चाओं का प्रतिफल है। इसकी भाषा सरल और समझने में आसान है। इसमें चित्रों और उदाहरणों के द्वारा कठिन व तकनीकी अवधारणाओं को समझाने का प्रयास किया गया है। एक समावेशी विद्यालय के प्रति वि.प्र.स. के सदस्यों की भूमिकाओं और दायित्वों को समझने के लिए इस संदर्शिका का उपयोग या तो वि.प्र.स. के सदस्य स्वयं ही कर सकते हैं या फिर इसे उनके प्रशिक्षण के लिए एक प्रशिक्षण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। नीति-निर्माताओं, राज्य/जिला/प्रखंड स्तर के संदर्भ व्यक्तियों व मुख्य प्रशिक्षकों, वि.प्र.स. के सदस्यों, जैसे लोगों के बीच इस संदर्शिका का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है।

विनय कुमार सिंह
आचार्य, वि.आ.स.शि.वि.,
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली

निर्माण समिति

सदस्य

अभय कुमार, *सहायक आचार्य*, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

आशीष कुमार दुबे, *जिला मिशन समन्वयक*, सर्व शिक्षा अभियान, अम्बिकापुर, सरगुजा जिला, छत्तीसगढ़।

आशीष शुक्ला, *राज्य समन्वयक*, प्रजायत्न, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।

एच.एल. शर्मा, *सह आचार्य* (सेवानिवृत्त), विज्ञान एवं गणित शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

एस.सी. चौहान, *आचार्य* तथा *सह-समन्वयक*, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

कानन साधु, *आचार्य* (सेवानिवृत्त), विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

डी.के. शर्मा, *आचार्य* समाजशास्त्र (सेवानिवृत्त), विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

पदमा यादव, *आचार्य*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

प्रज्ञा वर्मा, *उपनिदेशक,* समावेशी शिक्षा, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नयी दिल्ली।

मोना यादव, *आचार्य*, जेंडर अध्ययन विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

राजेश कुमार वर्मा, *सहायक निदेशक*, भारतीय पुनर्वास परिषद्, नयी दिल्ली।

रत्नमाला आर्या, *आचार्य*, शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल, मध्य प्रदेश।

लक्ष्मीधर बेहरा, *सह आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, भुवनेश्वर, ओडिशा।

सदस्य–समन्वयक

विनय कुमार सिंह, *आचार्य* तथा *समन्वयक*, विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली।

मिल-जुल कर स्कूल में जाएँ, साथ पढ़ें और
साथ में खाएँ। रंग-बिरंगी प्यारी दुनिया,
साथ मिलकर इसे सजाएँ।

आभार

विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग (वि.आ.स.शि.वि.) ने प्रारंभिक विद्यालयों में समावेशी शिक्षा के प्रोत्साहन और कार्यान्वयन हेतु विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) के सदस्यों की भूमिकाओं को प्रबल बनाने के उद्देश्य से इस संदर्शिका का निर्माण किया है। यह संदर्शिका गहन अनुसंधान कार्य के परिणामों, क्षेत्रीय दौरों के अनुभवों, चर्चाओं, कार्यशालाओं के दौरान परिचर्चाओं, उपेक्षित समूहों के बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे विशेषज्ञों के योगदान और वि.प्र.स. के लिए आयोजित प्रशिक्षणों कार्यक्रमों तथा विद्यालयों में इसके वास्तविक परीक्षणों का प्रतिफल है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (रा.शै.अ.प्र.प.), इस संदर्शिका के विकास में शामिल सभी लोगों का आभार व्यक्त करती है। इस परियोजना को प्रारंभ कर, पूरा करने का अवसर प्रदान करने के लिए निदेशक, रा.शै.अ.प्र.प. को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इस संदर्शिका के विकास की प्रक्रिया के दौरान सतत सहयोग और विशेष सहायता के लिए हम विभागाध्यक्ष, वि.आ.स.शि.वि. को साधुवाद देते हैं।

इस परियोजना में विभिन्न राज्यों के विद्यालयों में जाकर वि.प्र.स. की आवश्यकताओं की जानकारी एकत्रित की गई। परिषद्, सभी संबंधित व्यक्तियों द्वारा प्रासंगिक जानकारी साझा करने और इस उद्देश्य के लिए किए गए प्रारंभिक अध्ययन में सहायता करने वाले प्रतिभागियों के योगदानों की सराहना करती है। इस संदर्शिका की विकास प्रक्रिया के दौरान आयोजित योजना समूह की बैठक में, विशेषज्ञों व सदस्यों ने विद्यालयी शिक्षा में सामुदायिक भागीदारी पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को लेकर शैक्षिक विचार-विमर्श किया जिससे संदर्शिका के विषयगत दृष्टिकोण को समृद्ध करने में सहायता मिली। परिषद्, दल के सभी सदस्यों के लिए विशेष आभार व्यक्त करती है। संदर्शिका के विभिन्न अध्यायों को लिखने के उद्देश्य से कई विकास और समीक्षा कार्यशालाएँ आयोजित की गईं, जिनमें उपस्थित सभी विशेषज्ञों व सदस्यों को परिषद् विशेष रूप से धन्यवाद और आभार प्रकट करती है। संदर्शिका के प्रारूप का विभिन्न राज्यों के प्रखंड स्तर पर परीक्षण किया गया।

संदर्शिका के पुनर्वीक्षण कार्य में पुनर्वीक्षण दल के सदस्य अख्तर हुसैन, *सह आचार्य* (सेवानिवृत्त), केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली; आई.के. बंसल, *आचार्य* (सेवानिवृत्त), प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली; आई.बी. चुगताई, *आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल, मध्य प्रदेश; उमा व्यास, *आचार्य*, अध्यापक शिक्षा विभाग, बरेली कॉलेज, बरेली उत्तर प्रदेश; छंदा रायॅ, *निदेशक*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पश्चिम बंगाल; जी.एन. प्रकाश श्रीवास्तव, *अध्यक्ष* (सेवानिवृत्त), शिक्षा विभाग, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, भोपाल, मध्य प्रदेश; तनेन्द्रा देवी, *सहायक आचार्य*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, सोलन, हिमाचल प्रदेश; नीलांजन बाला, *अनुसंधान अधिकारी*, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पश्चिम बंगाल; नीरजा शुक्ला, *आचार्य* (सेवानिवृत्त), विशेष आवश्यकता समूह शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली; बी.के. नागला, *आचार्य* (सेवानिवृत्त), समाजशास्त्र विभाग, महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा; विद्याधर नारायण शुक्ला, *उपनिदेशक* (सेवानिवृत्त), महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, पुणे, महाराष्ट्र;

विनोद कुमार, *सह आचार्य*, शिक्षा संकाय, आर.बी.एस. कॉलेज, आगरा, उत्तर प्रदेश; वी.पी. सिंह, *आचार्य*, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली; राजीव रंजन, *सहायक आचार्य*, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, अजमेर, राजस्थान और सतीश कुमार यादव, *सहायक शिक्षक*, उच्च प्राथमिक विद्यालय, विरथुआ, बरनाहल विकास खंड, मैनपुरी, उत्तर प्रदेश शामिल हैं।

संदर्शिका में सुधार के लिए परिषद् वि.प्र.स. के सदस्यों एवं अन्य शिक्षकों के बहुमूल्य सुझावों का आभारी है। समीक्षा दल विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने विषयवस्तु, शीर्षक, भाषा, लेखन शैली, अध्याय, अध्याय निहित गतिविधियों, चित्रों व उदाहरणों इत्यादि की समालोचनात्मक समीक्षा की और उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से पृष्ठ-दर-पृष्ठ संशोधन का सुझाव दिया। वि.आ.स.शि.वि., जेंडर अध्ययन विभाग, प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय जनसंख्या शिक्षा परियोजना, सामाजिक विज्ञान शिक्षा विभाग, केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और रा.शै.अ.प्र.प. के परिवार के अकादमिक सदस्यों एवं सेवानिवृत वरिष्ठ संकाय सदस्यों की परिषद् आभारी है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर इस संदर्शिका के निर्माण में निरंतर सहायता की। विशेषज्ञ एवं समीक्षक अमृता सहाय, प्रभारी, राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान (दिव्यांगजन), क्षेत्रीय केंद्र, नोएडा, उत्तर प्रदेश के सुझाव और मार्गदर्शन के लिए परिषद् विशेष रूप से कृतज्ञ है, जिसके बिना यह प्रयास अधूरा होता।

परिषद् इस संदर्शिका के निर्माण में आवश्यक समर्थन और सहायता के लिए राजीव गांधी शिक्षा मिशन और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़; सर्व शिक्षा अभियान और राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, हिमाचल प्रदेश; झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, झारखंड; शिक्षा निदेशालय, कर्नाटक; महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद् और महाराष्ट्र राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, महाराष्ट्र की भी आभारी है। एस.के. वर्मा, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़; ममता लकड़ा और सीमा प्रसाद, सहायक कार्यक्रम अधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद, झारखंड; पर्ली फरीजा उम्मे कल्सुम, सर्व शिक्षा अभियान, राज्य समावेशी शिक्षा समन्वयक, असम को विद्यालयों में इस संदर्शिका के वास्तविक परीक्षणों के दौरान उनके सहयोग और आवश्यक समर्थन के लिए विशेष तौर पर कृतज्ञता जाहिर करती है।

परिषद्, श्री गौरव कुमार मिश्रा, कनिष्ठ परियोजना अध्येता, वि.आ.स.शि.वि. को इस संदर्शिका निर्माण में उनकी सक्रियता एवं कठिन परिश्रम की विशेष सराहना करती है। परिषद् प्रमोद कुमार के टंकण कार्य, यशवंत श्रीवास्तव के चित्रण, शुभम, उपासना शर्मा के संदर्शिका के डिज़ाइनिंग कार्य के लिए आभारी हैं।

परिषद् पुस्तक के भाषा संपादन के लिए दिनेश वशिष्ट, *सहायक संपादक* (संविदा), प्रूफ संशोधन के लिए रवि रजंन सिंह *प्रूफरीडर* (संविदा) और अजय कुमार प्रजापति *डी.टी.पी. ऑपरेटर* (संविदा) का भी आभार व्यक्त करती है।

संक्षेपाक्षर

वि.प्र.स.	-	विद्यालय प्रबंधन समिति
ग्रा.शि.स.	-	ग्राम शिक्षा समिति
वि.वि.स.	-	विद्यालय विकास समिति
वि.वि.यो.	-	विद्यालय विकास योजना
बा.शि.अ.	-	बाल शिक्षा का अधिकार
दि.अ.अ.	-	दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम
रा.बा.अ.सं.आ.	-	राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग
अ.जा.	-	अनुसूचित जाति
अ.ज.	-	अनुसूचित जनजाति
अ.पि.व.	-	अन्य पिछड़ा वर्ग
म.भो.	-	मध्याह्न भोजन
गृ.आ.शि.	-	गृह आधारित शिक्षा
सू.सं.प्रौ.	-	सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
शि.नि.तं.	-	शिकायत निवारण तंत्र
यौ.अ.ब.सं.	-	यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण
प्र.शि.वि.अ.	-	प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी
प्रा.बा.दे.शि.	-	प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा
म.गां.रा.ग्रा.रो.गा.अ.	-	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
अ.शि.बै.	-	अभिभावक शिक्षक बैठक
शि.अ.सा.	-	शिक्षण अधिगम सामग्री
जि.शि.अ.	-	जिला शिक्षा अधिकारी
क.गां.बा.वि.	-	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
प्र.सं.कें.	-	प्रखंड संसाधन केंद्र
प्रा.स्वा.कें.	-	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
शि.अ.सं.प्रा.	-	शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
स.शि.अ.	-	सर्व शिक्षा अभियान
गै.स.सं.	-	गैर सरकारी संगठन
वि.आ.प्र.यो.	-	विद्यालय आपदा प्रबंधन योजना
रा.आ.प्र.प्रा.	-	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

पढ़ेंगे
लिखेंगे
खेलेंगे
संग-संग

विषय-सूची

आमुख *iii*

प्रस्तावना *v*

संक्षेपाक्षर *xi*

1. विद्यालय प्रबंधन — परिचय **1-10**

1.1 विद्यालय 1

1.2 विद्यालय के घटक 1

1.3 प्रबंधन 2

1.4 विद्यालय प्रबंधन 4

1.5 विद्यालय प्रबंधन समिति 5

1.6 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 — बुनियादी बातें 6

1.7 शिक्षा में समावेशन 8

1.8 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 9

2. विद्यालय प्रबंधन समिति **11-27**

2.1 विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन समिति 11

2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना 12

2.2.1 मासिक बैठक 14

2.3 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका और कर्त्तव्य 14

2.3.1 विद्यालय विकास योजना तैयार करना 15

2.3.2 शालात्यागी बच्चों को विद्यालय में लाना 17

2.3.3 मूलभूत सुविधाएँ 18

2.3.4 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध 20

2.3.5 निधि प्रबंधन 21

2.3.6 अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा 21

2.3.7 मध्याह्न भोजन योजना 23

2.3.8 सामाजिक सर्वेक्षण 23

2.3.9 स्वस्थ विद्यालयी वातावरण 25

2.4 शिकायत निवारण प्रणाली 25

3. विद्यालय-पूर्व शिक्षा **28-39**

3.1 विद्यालय-पूर्व शिक्षा 28

3.2 विद्यालय-पूर्व शिक्षा का महत्व 29

3.3 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति 2013 — बुनियादी बातें 30

3.4 शुरूआती वर्षों में समावेशन 31

3.5 विद्यालय-पूर्व शिक्षा के बुनियादी घटक 32

3.5.1 कार्यक्रम की अवधि 32

3.5.2 भौतिक सुविधाएँ 32
3.5.3 कक्षा की प्रक्रियाएँ 33
3.5.4 स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण 36
3.5.5 अभिभावक-शिक्षक की साझी भूमिका 37
3.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 38

4. दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा 40-67
4.1 प्रत्येक विद्यार्थी की महत्ता 40
4.2 दिव्यांगता का अर्थ 40
4.3 सूचीबद्ध दिव्यांगता 41
4.3.1 गति विषयक दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसैबिलिटी) 41
4.3.2 उपचारित कुष्ठ रोग (लेप्रेसी क्योर्ड) 44
4.3.3 प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पल्सी) 45
4.3.4 बौनापन (ड्वॉर्फिज़म) 46
4.3.5 माँसपेशीय अपक्षय (मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी) 47
4.3.6 अम्ल आक्रमण से पीड़ित (ऐसिड अटैक विक्टिम्स) 48
4.3.7 अंधता (ब्लाइंडनेस) 49
4.3.8 न्यून दृष्टि (लो विज़न) 50
4.3.9 श्रवणबाधिता (बधिरता और श्रवणक्षीणता) (हियरिंग इम्पेवयरमेंट) 51
4.3.10 अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिसैबिलिटी) 53
4.3.11 बौद्धिक दिव्यांगता (इंटलेक्चुअल डिसैबिलिटी) 54
4.3.12 विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पैस्फिक लर्निंग डिसैबिलिटी) 55
4.3.13 स्वलीनता व्यापक विसंगति (ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर) 56
4.3.14 मानसिक रूग्णता (मेंटल इलनेस) 57
4.3.15 मल्टीपल स्क्लेरोसिस 58
4.3.16 अधिरक्तस्राव (हीमोफिलिया) 59
4.3.17 थैलेसीमिया 60
4.3.18 हसियाकार रक्त कोशिका रोग (सिक्कल सेल डिसीज़) 62
4.3.19 बहु दिव्यांगता (मल्टीपिल डिसैबिलिटी) 63
4.4 बाधारहित सुगम्य परिवेश 64
4.5 दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रावधान (सुविधाएँ और रियायतें) 65
4.6 शिकायत निवारण 66
4.7 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 67

5. सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा 68-77
5.1 सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूह 68
5.2 सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे 69
5.2.1 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे 70
5.2.2 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण 72
5.2.3 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे 73

5.2.4 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण 74
5.2.5 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे 75
5.2.6 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण 76
5.3 सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ 76
5.4 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 77

6. जेंडर दृष्टिकोण और बालिकाओं की शिक्षा 78-85
6.1 जेंडर और समाजीकरण 78
6.2 बालिकाओं की शिक्षा का महत्व 81
6.2.1 भारत में बालिकाओं के लिए वैधानिक संरक्षण 81
6.3 बालिकाओं की शिक्षा हेतु नीतिगत प्रयास 82
6.3.1 प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता और जेंडर संबंधी भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित करना 82
6.3.2 दुर्गम और दूरदराज़ के क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं का शिक्षा में समावेशन 82
6.3.3 विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान करना 83
6.3.4 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में ताजा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना 83
6.3.5 विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं की भागीदारी 83
6.3.6 दिव्यांग बालिकाओं का समावेशन 83
6.4 बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाएँ 84
6.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 85

7. विद्यालय के किशोर विद्यार्थी 86-92
7.1 किशोर विद्यार्थी 86
7.2 किशोरावस्था का अर्थ 86
7.3 किशोरावस्था से जुड़े मुद्दे 87
7.3.1 शारीरिक बदलाव से जुड़े मुद्दे 87
7.3.2 भावनात्मक बदलाव से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ 87
7.3.3 स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजगता 88
7.3.4 मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े मुद्दे 89
7.4 जीवन कौशल आधारित शिक्षा 90
7.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 91

8. आपदा, सामाजिक विवाद और विद्यालय 93-102
8.1 आपदा का अर्थ और प्रकृति 93
8.2 सामाजिक विवाद का अर्थ और प्रकृति 93
8.3 आपदाओं और सामाजिक विवादों के कुछ उदाहरण 94
8.4 आपदा प्रबंधन 96
8.4.1 आपदा प्रबंधन के कुछ बुनियादी बिंदु 97
8.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका 100

ग्रंथसूची 103

शिक्षित बालिका
समाज की रचयिता

अध्याय 1

विद्यालय प्रबंधन — परिचय

1.1 विद्यालय

विद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्था है, जहाँ विद्यार्थियों को शिक्षा मिलती है। विद्यालय को शैक्षिक संस्था के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।

विद्यालय बाधारहित, भेदभावरहित और सभी विद्यार्थियों के लिए समावेशी होना चाहिए। ऐसे विद्यालयों में सभी विद्यार्थियों के लिए सौहार्द्रपूर्ण परिवेश उपलब्ध होता है और विद्यार्थियों को घर जैसा महसूस होता है। इनमें विद्यार्थियों को विद्यालयी और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विविधताएँ, जैसे— जाति, धर्म, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, जेंडर, दिव्यांगता इत्यादि के प्रति संवेदनशीलता पैदा करना और गुणवत्तापूर्ण अधिगम के लिए सकारात्मक वातावरण बनाना किसी समावेशी विद्यालय की मुख्य विशेषताएँ होती हैं। विद्यालयों का परिवेश विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित और सुगम्य होना चाहिए।

1.2 विद्यालय के घटक

बच्चे, माता-पिता, शिक्षक, प्रशासनिक/सरकारी कार्मिक विद्यालय के मुख्य घटक हैं। विद्यालय के कार्यात्मक सुधार के लिए ये एक साथ मिलकर कार्य करते हैं।

- यहाँ बच्चों से तात्पर्य विद्यालय में नामांकित सभी विद्यार्थियों से है। वे वंचित समूहों, जैसे— अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के या दिव्यांगता से प्रभावित भी हो सकते हैं।

गतिविधि

निम्नलिखित संदर्भों में समावेशी विद्यालय के कुछ संकेतकों की सूची बनाएँ।

- *बाधारहित परिवेश*
- *भेदभावरहित व्यवहार*

विद्यालय प्रशासक

- *मुख्य शिक्षक*
- *प्रखंड/जिला/राज्य शिक्षा अधिकारी*
- *नगर निगम या परिषद् अधिकारी*
- *जिला परिषद् अधिकारी*
- *नगर और ग्राम पंचायत अधिकारी*

- माता-पिता से तात्पर्य विद्यालय में नामांकित विद्यार्थियों के माता-पिता से है। माता-पिता के अलावा अभिभावक भी विद्यालय के घटक के रूप में विद्यालयी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।
- शिक्षकों से तात्पर्य विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों से है। वे मुख्य शिक्षक, कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, स्थायी या संविदा पर हो सकते हैं। ये संपूर्ण शिक्षा प्रणाली व शैक्षिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
- विद्यालय प्रशासन औपचारिक या व्यवस्थित तरीकों से विद्यालय के कामकाज में सुधार लाने के लिए कार्य करता है।

1.3 प्रबंधन

किसी भी उद्देश्य या कार्य को सफलतापूर्वक व प्रभावपूर्ण तरीके से पूर्ण करने के लिए लोगों में आपसी तालमेल की आवश्यकता होती है। प्रबंधन, आपसी तालमेल को बढ़ाने में सहायता करता है। यह समूह में निर्णय लेने की प्रक्रिया, उनकी तकनीक और गुणों एवं उनके ज्ञान, व्यवहार आदि को साझा करने में सहायता करता है। यह एक-दूसरे की परस्पर समझ, सम्मान और समान भावनाओं पर टिका होता है। समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधन से जुड़े सभी लोग प्राय: एक साथ मिलकर समाधान ढूँढ़ने का प्रयास करते हैं।

आइए, समझें प्रबंधन क्या है?

जब भी हम कोई कार्य, जैसे— त्योहार मनाना, घर बनाना, खेती का कार्य आदि करते हैं तो हम प्राय: इन बिंदुओं पर विचार करते हैं, जैसे—

प्रबंधन

किसी कार्य को संपादित करने हेतु विभिन्न प्रश्नों, जैसे— क्या, क्यों, कैसे, कौन, कब, कहाँ, कितना इत्यादि के समाधान का व्यक्तिगत अथवा सामूहिक प्रयास है।

- क्या करना है?
- हमने इस गतिविधि को क्यों चुना है?
- हम इसे किस प्रकार से करेंगे?
- कौन-से व्यक्ति को किस कार्य की ज़िम्मेदारी दी गई है?
- समय सीमा के अंदर प्रभावी ढंग से कार्य कैसे किया जाएगा?
- कार्य को पूरा होने में कितना समय लग सकता है?
- धनराशि की व्यवस्था कहाँ से की जाएगी?
- कार्य के निष्पादन में कितने लोगों की आवश्यकता होगी?
- किन क्षेत्रों/गतिविधियों में अधिक प्रयास की आवश्यकता है?
- किन-किन सामग्रियों और संसाधनों की आवश्यकता होगी?

प्रबंधन के लिए कार्य योजना, संगठन, संसाधन, पहल, समूह कार्य, निरीक्षण और मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। सभी कार्यों को प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जब हम स्वयं को विभिन्न गतिविधियों में शामिल करते हैं तो हम अपने दैनिक अनुभवों के माध्यम से प्रबंधन कौशलों को सीखते हैं।

संसाधन

मानव, सामग्री, वित्तीय, तकनीकी और प्राकृतिक संसाधन

1.4 विद्यालय प्रबंधन

विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय के कामकाज और बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने में मदद करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु शिक्षण-अधिगम प्रक्रियाओं एवं अन्य विद्यालयी कार्यों की योजना बनाने व उनको निष्पादित करने में विद्यालय प्रबंधन सहायक होता है। विद्यालय गतिविधियों में भाग लेने और सहयोग करने हेतु हमें विद्यालय के कामकाज को समझना चाहिए। आइए, हम अपने विद्यालय के क्रियाकलापों को समझें।

- विद्यालय में कौन, क्या करता है?
- शिक्षक अपनी गतिविधियों की योजना कैसे बनाते हैं?
- विद्यालय को चलाने के लिए आवश्यक संसाधन क्या हैं?
- धनराशि का प्रबंध कहाँ से होता है?
- धनराशि का व्यय किस प्रकार से और किन-किन मदों पर किया जाता है?

उपरोक्त गतिविधियाँ विद्यालय प्रबंधन से संबंधित हैं। प्रबंधन की परिधि में विद्यालय विकास योजना का निर्माण, उनका क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, अनुदानों का सही प्रयोग और अन्य विद्यालयी कार्य आते हैं।

क्रियान्वयन के लिए विद्यालय को विद्यार्थियों, माता-पिता, अध्यापकों, प्रशासकों और अन्य सदस्यों के सहयोग की आवश्यकता होती है। ये सभी विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों को सर्वसुलभ बनाने एवं उनके क्रियान्वयन, प्रबंधन, निरीक्षण में अपना योगदान देते हैं। हमें विद्यार्थियों, माता-पिता, शिक्षकों की आवश्यकताओं की जानकारी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की भूमिका, शिक्षण प्रक्रियाओं और

गतिविधि

मान लीजिए, आपके विद्यालय को चट्टानी क्षेत्र में स्थित होने के कारण भूमिगत जल उपलब्ध नहीं है। आइए, विद्यालय में पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए उपयुक्त समाधानों पर चर्चा करें। इसकी योजना तैयार करने के लिए निम्नलिखित चरण उपयोगी हो सकते हैं—

- *विद्यालय की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का पता लगाएँ।*
- *यह सोचे कि आप इन्हें पूरा करने के लिए आगे कैसे बढ़ेंगें।*
- *समूह में अपनी योजना तैयार करें।*
- *समूह में कार्य करें।*

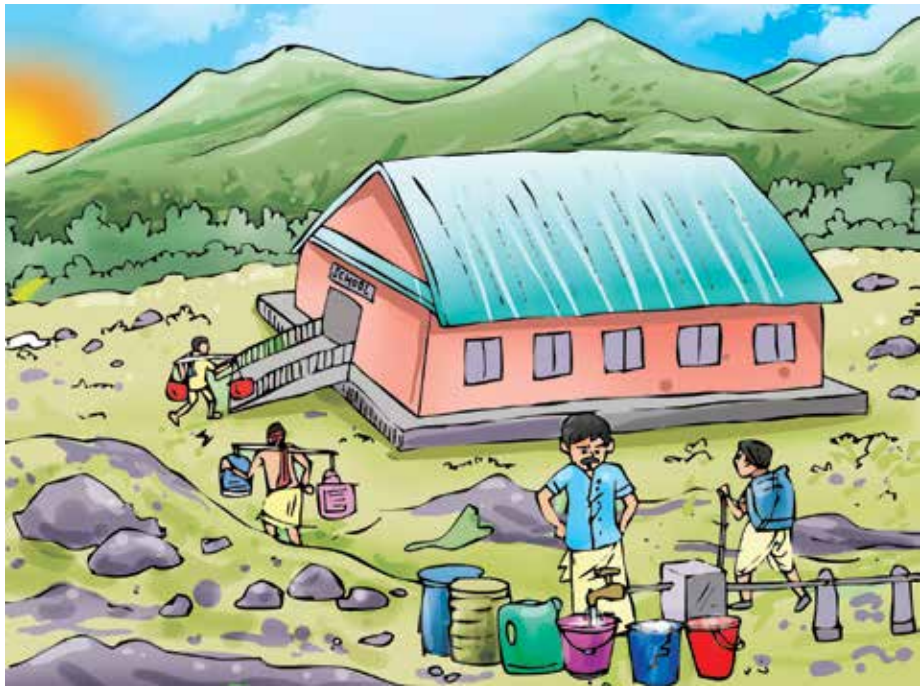

विद्यालय के कामकाज की समझ होनी चाहिए। इसके लिए समुदाय के समर्थन की आवश्यकता है।

- *संसाधन एवं सहयोग तलाशें।*
- *नेतृत्वकर्ता और समन्वयक का चयन करें। स्वयं नेतृत्व करने को भी तैयार रहें।*
- *अपनी योजना और गतिविधियों की समीक्षा करें।*
- *आप जो भी गतिविधि करते हैं उनका व अन्य दस्तावेज़ों का रिकॉर्ड रखें।*

1.5 विद्यालय प्रबंधन समिति

विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) शिक्षण संबंधी नीतियों, योजनाओं व लक्ष्यों को विद्यालय स्तर पर लागू करने के लिए ज़िम्मेदार संस्था है।

ग्राम शिक्षा समिति व विद्यालय विकास समिति (वि.वि.स.) के रूप में पहले भी ऐसी संस्थाएँ थी जो समुदाय की भागीदारी, विद्यालय प्रबंधन जैसे कार्यों को सुनिश्चित कराती थीं परंतु इनका कोई संवैधानिक दर्जा नहीं था। अब वि.प्र.स. अपने विद्यालय में बच्चों की शिक्षा व्यवस्था व उसकी गुणवत्ता के लिए ज़िम्मेदार है। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009* में वि.प्र.स. से जुड़े प्रावधान हैं। माता-पिता व अभिभावकों को इस अधिनियम के द्वारा वि.प्र.स. के माध्यम से कुछ अधिकार दिए गए हैं। प्रशासन की जानकारी प्राप्त करके वे इस कार्य में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। विद्यालय के कार्यों की देखरेख, विद्यालय विकास योजना (वि.वि.यो.) का निर्माण, उनका क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण, मूल्यांकन, अनुदानों का सही प्रयोग और अन्य विद्यालयी कार्य उनकी प्रमुख ज़िम्मेदारियों में आते हैं। उपयुक्त प्राधिकारी, वि.प्र.स. का गठन करवाता है जो विद्यालय प्रबंधन के कार्यों में सहयोग करती है। वि.प्र.स. विद्यालय में प्रबंधन संबंधित सभी कार्यों के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। यह अपने विद्यालय की प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक प्रक्रियाओं के लिए ज़िम्मेदार संस्था है।

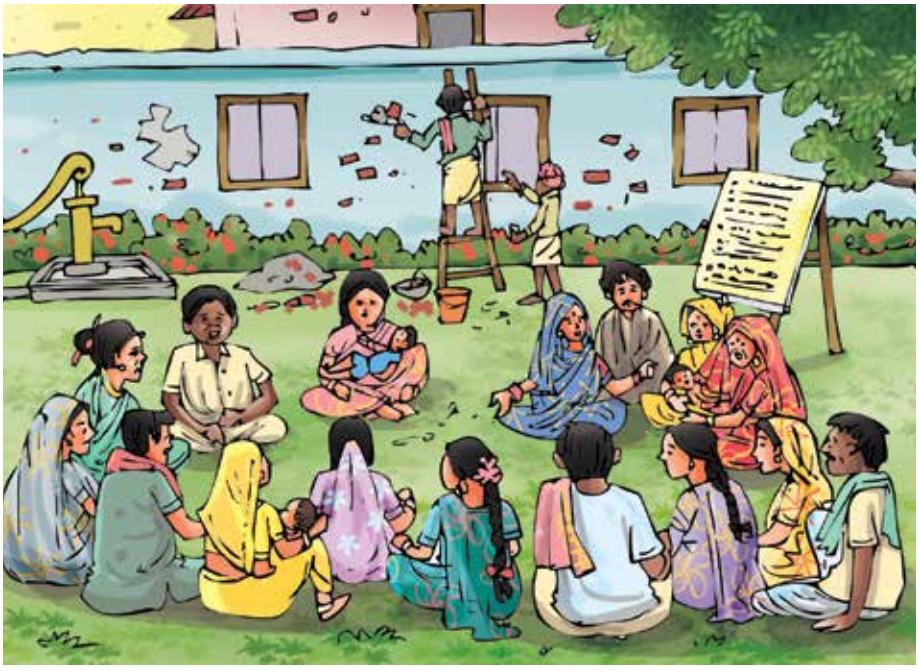

वि.प्र.स., विद्यालय व समुदाय के बीच कार्य करने वाली महत्वपूर्ण संस्था है जो विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्यालय से लेकर घर तक उचित वातावरण तैयार करने में व समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने में सहयोग करती है।

आइए, अब हम बच्चों के *निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के बारे में जानें।

1.6 निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 — बुनियादी बातें

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 को देश में विद्यालयी शिक्षा में सुधार के लिए लाया गया है। इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं—

- 6–14 वर्ष तक सभी बच्चों को विद्यालय में प्रवेश और कक्षा आठ तक की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी।
- प्रमाण पत्रों की अनुपलब्धता, जैसे जन्म प्रमाण पत्र आदि दस्तावेजों के उपलब्ध नहीं होने पर किसी भी बच्चे को दाखिले से वंचित नहीं किया जाएगा।
- दिव्यांग विद्यार्थियों को उनके पास के विद्यालय में अन्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षित किया जाएगा।
- छह वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थियों को जिन्होंने प्राथमिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उनका उनकी आयु के अनुरूप, उपयुक्त कक्षा में नामांकन कराया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए जाएँगे।

यदि विद्यार्थी दिव्यांग है (40 प्रतिशत से कम नहीं) तो उसे दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुसार 18 वर्ष की आयु तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी

- सभी विद्यालयों को अधिनियम में निर्धारित नियमों और मानकों का पालन करना होगा। इन मानकों को पूरा करने में विफल रहने पर विद्यालय के संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- किसी बच्चे का प्रवेश करते समय कोई भी विद्यालय या व्यक्ति किसी भी प्रकार का प्रतिव्यक्ति शुल्क (केपीटेशन फीस) नहीं लेगा और बच्चे या उसके माता-पिता अथवा अभिभावक को किसी भी प्रकार की अनुवीक्षण (स्क्रीनिंग) प्रक्रिया में शामिल नहीं करेगा। प्रतिव्यक्ति शुल्क की मांग और अनुवीक्षण प्रक्रिया अपनाने पर दंड का प्रावधान है।
- विद्यार्थियों के शारीरिक दंड अथवा मानसिक उत्पीड़न पर पूरी तरह से रोक होनी चाहिए।
- प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थी को उनके आवास से एक किलोमीटर के भीतर और उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यार्थियों को उनके आवास से तीन किलोमीटर के अंदर के विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। जंगल, पहाड़ी, घाटियों आदि दुर्गम स्थानों पर जहाँ इस दूरी के भीतर विद्यालय संभव नहीं हैं वहाँ छात्रावास या फिर आवागमन के साधनों की व्यवस्था की जाएगी, जिससे उनकी शिक्षा सुनिश्चित की जा सके।

बच्चा वर्षभर किसी भी समय दाखिला ले सकता है, उदाहरणस्वरूप 10 वर्ष की आयु का बच्चा सीधे कक्षा 5 में दाखिला ले सकता है, भले ही बच्चे को पढ़ना-लिखना या अपने अन्य सहपाठियों के अनुरूप अन्य विद्यालयी गतिविधियों के बारे में जानकारी न हो। विद्यालय ऐसे विद्यार्थियों के लिए विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

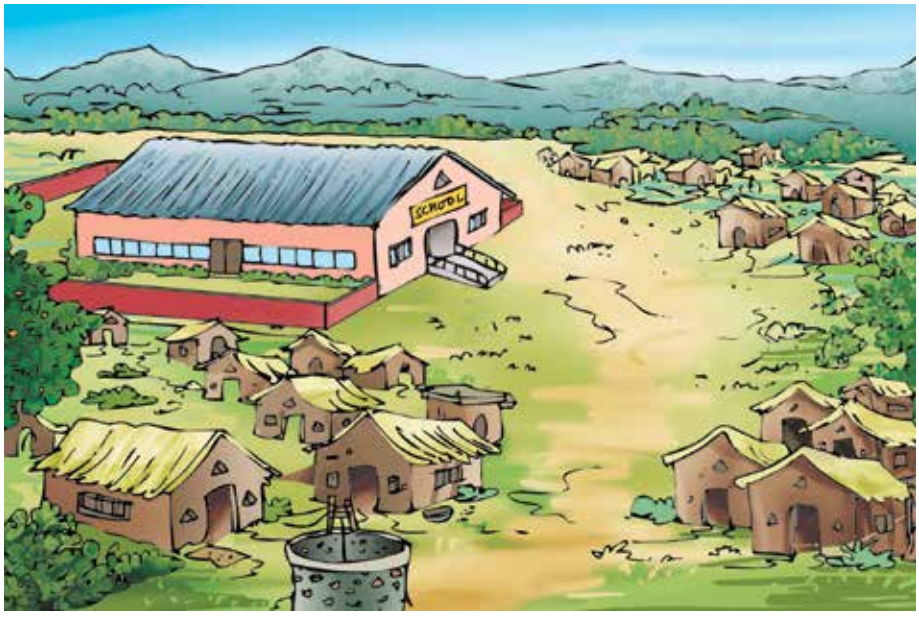

- कोई शिक्षक स्वयं को निजी शिक्षण में शामिल नहीं करेगा।
- गंभीर रूप से दिव्यांग विद्यार्थियों को गृह आधारित शिक्षा (गृ.आ.शि.) का विकल्प चुनने का अधिकार है।
- स्थानीय सरकारों और समुदायों (उदाहरण वि.प्र.स.) को उनके विद्यालयों की योजना बनाने, उनका पर्यवेक्षण करने और प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त शक्तियों के साथ समर्थ बनाया गया है।

- राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (रा.बा.अ.सं.आ.) को इस अधिनियम के क्रियान्वयन और इसके निरीक्षण का अधिकार है। इसका एक विशेष प्रकोष्ठ— शिक्षा का अधिकार प्रकोष्ठ, विद्यार्थियों के शिक्षा से जुड़े अधिकारों से संबंधित मुद्दों की देखरेख करेगा।

1.7 शिक्षा में समावेशन

समावेशी शिक्षा से तात्पर्य एक ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें दिव्यांगता और गैर-दिव्यांगता वाले विद्यार्थी हैं, एक साथ सीखते हैं और सीखने तथा सिखाने की प्रणाली में इस प्रकार अनुकूलन किया जाता है कि विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की अधिगम ज़रूरतें पूरी की जा सकें।

शिक्षा में समावेशन से तात्पर्य समस्त बच्चों, बड़ों और समुदाय के लोगों द्वारा आपस में किसी कार्य के लिए भागीदारी बढ़ाने, भेदभाव मिटाने, किसी सामाजिक-आर्थिक आधार पर होने वाली उपेक्षाओं को कम करने तथा विद्यार्थियों के सीखने में आने

वाली बाधाओं को मिटाने से है। समावेशन, बच्चों व बड़ों में अंतर नहीं करता अपितु उन्हें सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में एक संसाधन के रूप में देखता है। यह विद्यार्थियों की विविधता, उनकी पृष्ठभूमि, अनुभव, आकांक्षाओं, रुचिओं, ज्ञान और कौशलों के प्रति विद्यालय को संवेदनशील बनाता है।

विद्यार्थियों का शिक्षण और भागीदारी प्राय: किसी भी प्रकार की बाधा पड़ने से प्रभावित होती है। यह स्थिति विद्यालय में किसी भी कारण से हो सकती है। अधिकांश विद्यार्थी जब विद्यालय में दाखिल होते हैं तो वे कई बाधाओं का सामना करते हैं। ऐसी बाधाओं के कारण वे स्वयं को वंचित स्थिति में पा सकते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि इस स्थिति का सामना कैसे करना है। कई बार विद्यार्थी इन बाधाओं के कारण विद्यालय छोड़ देता है। बाधाएँ विद्यालय की सीमाओं के बाहर, परिवारों और समुदायों में भी हो सकती हैं।

शैक्षिक अवसरों तथा विद्यालयी शिक्षा से दूर रहे शोषित, वंचित, उपेक्षित एवं बहिष्कृत विद्यार्थियों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान करके और शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाकर एक समावेशी वातावरण बनाने की आवश्यकता है।

शिक्षा में समावेशन, विद्यालयों और उनके आस-पास के समुदायों के बीच आपसी सतत् संबंधों को विकसित करता है। इससे पता चलता है कि जब लोग एक साथ मिलकर किसी कार्य में शामिल होते हैं, तो प्रगति कैसे की जा सकती है।

1.8 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

विद्यालय और वि.प्र.स., समुदाय के लोगों का विद्यालयी गतिविधियों और निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित होने का उपयोगी तंत्र है। इसमें कई मुद्दे और विषय हैं जिन्हें वि.प्र.स. द्वारा देखा जाना चाहिए।

जिन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है—

- *बालिकाएँ*
- *अनुसूचित जाति*
- *अनुसूचित जनजाति*
- *अल्पसंख्यक*
- *आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग*
- *दिव्यांग विद्यार्थी*
- *प्रवासी या विस्थापित विद्यार्थी*
- *शहरी वंचित वर्ग*
- *हिंसा प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थी*
- *घरेलू सहायक के रूप में कार्य करने वाले विद्यार्थी*
- *विधि विवाद में उलझे विद्यार्थी*
- *संरक्षण गृह में रहने वाले विद्यार्थी*
- *एच.आई.वी./एड्स/अन्य दीर्घकालिक और गंभीर बीमारियों से प्रभावित विद्यार्थी या प्रभावित माता-पिता के बच्चे*
- *देह व्यापार में लिप्त अभिभावकों के बच्चे*
- *प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित विद्यार्थी*
- *सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, जेंडर या किसी अन्य कारकों के कारण वंचित समूह के विद्यार्थी।*

गतिविधि

आइए, एक विद्यालय के निम्नलिखित समावेशी गुणों पर चर्चा करें और अपने विद्यालय को विद्यार्थियों के अनुकूल बनाने के लिए संकेतकों की एक सूची तैयार करें।

- *सभी विद्यार्थियों के ज्ञान, कौशल और क्षमता में सुधार करना*
- *समावेशी विद्यालयों के लिए पाठ्यचर्या में गुणवत्ता लाना*
- *शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में गुणवत्ता को प्रोत्साहित करना*
- *अधिगम परिवेश को सौहार्द्रपूर्ण बनाना*
- *सक्रिय भागीदारी और अधिगम को सुगम बनाना*

- वि.प्र.स. को अपने विद्यालय और उसके आस-पास के क्षेत्रों के विद्यालयों तथा विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों व समस्याओं का पता लगाना होता है और इन मुद्दों के समाधान के लिए उचित योजना एवं नीतियाँ बनानी होती हैं।
- विद्यार्थियों को सुरक्षित और उचित परिवेश में शिक्षा प्रदान करना विद्यालय, वि.प्र.स. और समुदाय की संयुक्त ज़िम्मेदारी है। विद्यार्थियों के जीवन में अवसरों की वृद्धि के लिए विद्यालय के वातावरण को विद्यार्थियों के अनुकूल होना चाहिए।
- वि.प्र.स. के सदस्यों को नियमित रूप से अपने विद्यालयों में आने वाली बाधाओं, उनकी प्रकृति और सीमा का अवलोकन करना चाहिए और इन बाधाओं को समाप्त करने या कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए।
- समुदाय को विद्यालयों से जोड़ने पर सामाजिक-सांस्कृतिक संसाधनों में वृद्धि हो जाती है जो सभी विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए सहयोगी होती है। विद्यालय में वि.प्र.स. की भागीदारी सभी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहयोग करती है।
- विद्यालय की गतिविधियों में माता-पिता और समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए वि.प्र.स. को रचनात्मक भूमिका निभानी चाहिए। विद्यालय में समावेशी शिक्षा के लिए समाज और समुदाय का सहयोग ज़रूरी है जो समावेशी समाज के लिए विद्यार्थियों को तैयार करेगा। समावेशी शिक्षा किसी विद्यालय और समुदाय के निर्माण का मुख्य आधार है।

अध्याय 2

विद्यालय प्रबंधन समिति

2.1 विद्यालय और विद्यालय प्रबंधन समिति

विद्यालय समाज के महत्वपूर्ण संस्थानों में से एक है। इसे मात्र सरकारी शैक्षिक निकाय के रूप में नहीं बल्कि आम लोगों, समुदाय के सदस्यों और माता-पिता के समान सहभागिता वाले निकाय के रूप में देखा जाना चाहिए। समाज और विद्यालय, सामाजिक और संरचनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बच्चे के विकास की ज़िम्मेदारी दोनों की हैं। माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा में सुधार लाने में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं।

विद्यालय प्रबंध समिति (वि.प्र.स.) के सदस्य विद्यालयों को सहयोग देने में सक्रिय रूप से तभी भाग ले सकते हैं जब वे विद्यालय के प्रशासन, कार्यप्रणाली और विद्यालय तथा समाज की पारस्परिक निर्भरता व संबंधों से भली-भाँति अवगत हों। उन्हें कक्षा की गतिविधियों, विद्यार्थी कैसे सीखते हैं, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका, शिक्षकों के व्यवहार और विद्यार्थियों के सीखने तथा उनके समग्र विकास पर शिक्षकों के व्यवहार से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वि.प्र.स. [अध्याय 4, खंड 21 (1) और (2) तथा 22 (1) और (2)] के लिए प्रावधान किया गया है। माता-पिता/अभिभावकों को इस अधिनियम के द्वारा कुछ अधिकार दिए गए हैं जो वे वि.प्र.स. के सदस्य के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। *बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009* का उद्धरण—

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

21.(1) धारा (2) के खंड (ढ) के उपखंड (iv) में विनिर्दिष्ट किसी विद्यालय से भिन्न विद्यालय स्थानीय प्राधिकारी, ऐसे विद्यालय में प्रविष्ट बालकों के माता-पिता या संरक्षक और शिक्षकों के निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर बनने वाली एक विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन करेगा—

परंतु यह कि ऐसी समिति के कम से कम तीन चौथाई सदस्य माता-पिता या संरक्षक होंगे:

परंतु यह और कि असुविधाग्रस्त समूह और दुर्बल वर्ग के बालकों के माता-पिता या संरक्षकों को समानुपाती प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

परंतु यह भी कि ऐसी समिति के पचास प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।

(2) विद्यालय प्रबंधन समिति निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगी, अर्थात्—

(क) विद्यालय के कार्यकरण को मॉनीटर करना;

(ख)विद्यालय विकास योजना तैयार करना और उसकी सिफारिश करना;

(ग) समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी अथवा अन्य किसी स्रोत से प्राप्त अनुदानों के उपयोग को मॉनीटर करना; और

(घ) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करना जो विहित किए जाएँ।

22. (1) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन गठित प्रत्येक विद्यालय प्रबंध समिति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, एक विद्यालय विकास योजना तैयार करेगी।

(2) उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई विद्यालय विकास योजना, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा बनाई जाने वाली योजनाओं और दिए जाने वाले अनुदानों का आधार होगी।

2.2 विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक विद्यालय (बिना सहायता प्राप्त विद्यालयों के अलावा) में छह महीने के भीतर वि.प्र.स. का गठन किया जाना चाहिए और प्रत्येक दो वर्षों में इसका पुनर्गठन किया जाना चाहिए। हालांकि वि.प्र.स. अल्पसंख्यकों (धार्मिक या भाषाई) द्वारा स्थापित, प्रशासित और अन्य सहायता प्राप्त विद्यालयों में केवल सलाहकारी कार्य करेगा। अधिनियम के द्वारा वि.प्र.स. की संरचना में समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

- इस समिति के 75 प्रतिशत सदस्य उसी विद्यालय के बच्चों के माता-पिता/अभिभावकों में से होने चाहिए। माता-पिता/अभिभावकों को पूर्व सूचना देकर वि.प्र.स. के चुनाव के लिए बुलाया जाएगा। समिति के सदस्यों का चयन अभिभावक आपसी सहमति से अपने बीच में से ही करेंगे।

- वंचित समूहों (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग/गरीबी रेखा से नीचे) के बच्चों के माता-पिता को समिति में आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए।
- शेष 25 प्रतिशत सदस्यों में से—
  (क) एक तिहाई का निर्णय, स्थानीय निकाय द्वारा तय स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा।
  (ख) दूसरे एक तिहाई सदस्यों का चयन विद्यालय के शिक्षकों में से किया जाएगा।
  (ग) शेष एक तिहाई सदस्य माता-पिता द्वारा तय किए जाने वाले, विद्यालय के शिक्षाविदों या विद्यार्थियों में से होने चाहिए।

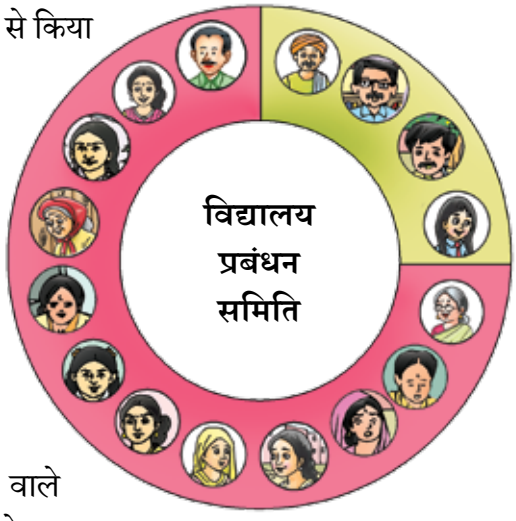

- वि.प्र.स. की 50 प्रतिशत सदस्य महिलाएँ होंगी।
- वि.प्र.स. के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष माता-पिता/अभिभावक सदस्यों में से निर्वाचित किए जाएँगे।
- विद्यालय के मुख्य शिक्षक वि.प्र.स. के संयोजक होंगे।
- इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों में से हर कक्षा से कम से कम एक सदस्य समिति में हों।
- वि.प्र.स. द्वारा विभिन्न कार्यों की आवश्यकता के अनुसार उप-समितियाँ भी गठित की जा सकतीं हैं।
- वि.प्र.स. का गठन प्रत्येक विद्यालय में दो वर्षों की अवधि के लिए किया जाता है। दो वर्षों के बाद इस समिति का पुनर्गठन किया जाता है।
- वि.प्र.स. द्वारा माह में कम से कम एक बार बैठक की जानी चाहिए। बैठक के कार्यवृत्त और निर्णयों को उचित तरीके से लिखा जाना चाहिए और सभी को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

गतिविधि

आइए, विद्यालयों में विद्यालय प्रबंधन समिति की संरचना पर सामूहिक चर्चा करें और अपने विद्यालय में वि.प्र.स. के गठन की प्रक्रिया को समझें।

2.2.1 मासिक बैठक

वि.प्र.स. को विद्यालय के विकास संबंधित योजनाओं के निर्माण तथा उनके सुचारु क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु माह में कम से कम एक बैठक का आयोजन अवश्य करना चाहिए। वि.प्र.स. द्वारा आवश्यकतानुसार माह में एक से अधिक बैठकें भी आयोजित की जा सकती हैं।

मासिक बैठक की प्रक्रिया

- बैठक के विचारणीय विषयों की सूची सहित बैठक के दिन व समय की लिखित और मौखिक सूचना, बैठक से तीन दिन पहले माता-पिता/अभिभावकों को दी जानी चाहिए।
- बैठक की शुरुआत में ही विद्यालय की संरचनात्मक व अन्य आवश्यक सेवाओं की स्थिति को साझा करना चाहिए ताकि वि.प्र.स. उन मुद्दों और विषयों की पहचान करके उनके समाधान हेतु अपनी प्राथमिकताओं का निर्धारण कर सके।
- नामांकन की स्थितियों और विद्यार्थियों के नियमित उपस्थिति की समीक्षा करें। नियमित रूप से अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का पता लगाएँ और उन्हें विद्यालय में वापस लाने का प्रयास करें।
- विभाग द्वारा निर्दिष्ट अधिगम परिणामों को मानक मानकर, शिक्षक की सहायता से विद्यालय के विद्यार्थियों में अधिगम की स्थितियों की समीक्षा करें।
- पहचाने गए मुद्दों के संभावित समाधानों के लिए सुझाव आमंत्रित करें।
- चयनित मुद्दों के समाधान हेतु बैठक के निष्कर्ष के रूप में समय-सीमाबद्ध, व्यक्तिगत ज़िम्मेदारी निर्धारित करते हुए एक विशिष्ट योजना का निर्माण करें।
- मासिक बैठक में विद्यार्थियों की उपब्धियों पर भी विचार-विमर्श किया जा सकता है।
- विद्यालय विकास योजना (वि.वि.यो.) के उचित क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा करें।
- बैठक में हुई चर्चा के आधार पर महत्वपूर्ण बातों की सूची शिक्षक द्वारा तैयार की जानी चाहिए और सभी प्रतिभागियों के हस्ताक्षर लेने से पहले सभी सदस्यों को पढ़कर सुनाया जाना चाहिए।

2.3 विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की भूमिका और कर्त्तव्य

वि.प्र.स. के सदस्य के रूप में आप अपने विद्यालय के कामकाज के लिए उत्तरदायी हैं। आप विद्यालय प्रबंधक हैं।

विद्यालय में अनेक गतिविधियाँ होती हैं, जिनमें वि.प्र.स. सदस्य अपना योगदान दे सकते हैं। इससे विद्यालय के कामकाज में सुधार लाया जा सकता है। वि.प्र.स. सदस्यों की मुख्य भूमिकाएँ और कर्त्तव्य हैं—

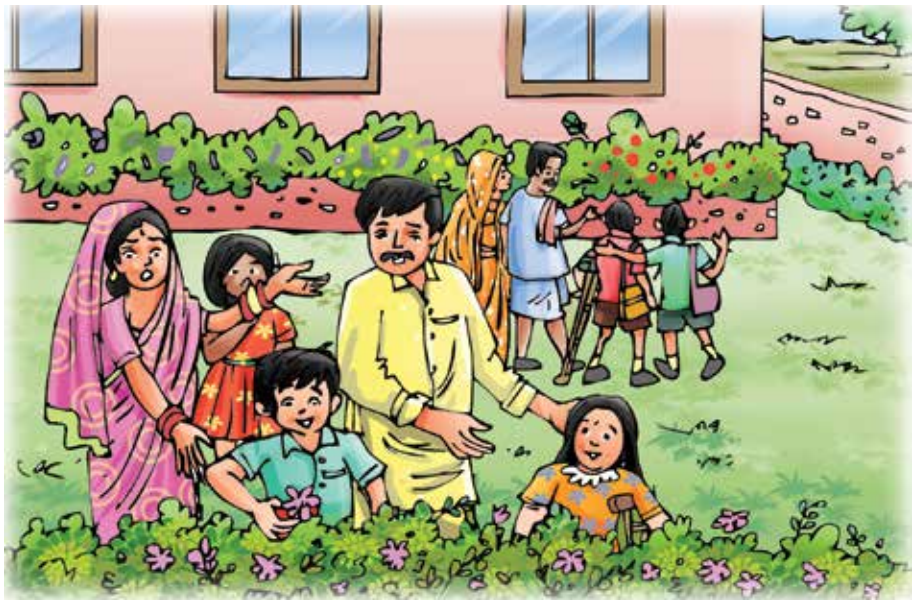

- विद्यालय विकास योजना (वि.वि.यो.) को तैयार करना
- विद्यालय जाने की उम्र वाले बच्चों को विद्यालय में लाना
- मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था और रखरखाव
- सुनिश्चित करना कि कोई शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न न हो
- निधि प्रबंधन
- अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा
- मध्याह्न भोजन
- सामाजिक सर्वेक्षण
- स्वस्थ विद्यालयी वातावरण

संक्षेप में, वि.प्र.स. का मुख्य कार्य विद्यालय के विकास में सहयोग करना, शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी बनाना और सभी की भागीदारी सुनिश्चित कराना है।

2.3.1 विद्यालय विकास योजना तैयार करना

- वि.प्र.स. द्वारा वि.वि.यो. की तैयारी के लिए बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए।
- वि.प्र.स. मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं और अन्य सहायक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करेगी, जिससे विद्यालय के आवश्यकताओं की पहचान व उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
- वि.प्र.स. को एक, तीन-वर्षीय वि.वि.यो. तैयार करनी चाहिए और साथ ही साथ समिति को चिह्नित किए गए विषयों को ध्यान में रखते हुए आवश्यकतानुसार तीन, एक-वर्षीय उपयोजनाओं का भी निर्माण करना चाहिए।
- वि.वि.यो. में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

गतिविधि

किसी सामूहिक कार्य के लिए वि.प्र.स. के सदस्य समूह बनाएँ, जिसमें प्रत्येक समूह में 4-5 सदस्य हों। वे स्वयं के बीच एक विद्यालय का चयन करें और विद्यालय की गतिविधियों और अपनी विशिष्ट भूमिका को समझने के लिए निम्नलिखित प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करें—

- *विद्यालय में कौन-कौन सी गतिविधियाँ की जाती है?*
- *वे गतिविधियाँ कौन-सी हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है?*
- *कौन व्यक्ति किस गतिविधि के लिए उत्तरदायी है?*
- *विद्यालय में वे क्या मुद्दे हैं जो आपको प्रभावित करते हैं?*
- *विद्यालय की प्राथमिक आवश्यकताएँ क्या हैं?*
- *आप विद्यालय के बेहतर कामकाज में कैसे योगदान कर सकते हैं?*

1. कक्षावार अनुमानित नामांकन।
2. मानकों के अनुसार 1 से 5 और 6 से 8 की कक्षाओं के लिए अलग-अलग, अतिरिक्त शिक्षकों की आवश्यकता।
3. मानकों के अनुसार अतिरिक्त मूलसंरचनात्मक सुविधाओं और उपकरणों की आवश्यकता।
4. शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण और विद्यार्थियों के लिए शिक्षण-अधिगम सामग्री एवं वि.वि.यो. के लिए वित्तीय आवश्यकताएँ।
5. वि.प्र.स. जाँच सूची की सहायता से विद्यालय की आवश्यकताओं और उनकी उपलब्धता को इंगित करेगी।

नीचे दी गई सूची विद्यालय की मूलभूत आवश्यकताओं के निरीक्षण और उसके बाद उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने में सहायता करती है।

क्र.सं.	नाम	उपलब्धता	आवश्यकता	आवश्यक कार्रवाई
1.	विद्यालय — भवन			
2.	कक्षावार कक्ष			
3.	किचन शेड			
4.	चार दीवारी			
5.	खेल का मैदान			
6.	शौचालय			
7.	मुख्य शिक्षक का कमरा			
8.	बिजली			
9.	उचित प्रकाश व्यवस्था			
10.	अतिरिक्त शिक्षक/संदर्भ शिक्षक			
11.	हैंडपम्प/पीने का पानी			
12.	पुस्तकालय			
13.	मध्याह्न भोजन का स्थान			
14.	ढलान (रैम्प)			

15.	दरवाजा (गेट)			
16.	मध्याह्न भोजन के लिए प्लेट और गिलास			
17.	फर्नीचर, अनुकूलित फर्नीचर			
18.	श्यामपट्ट (ब्लेकबोर्ड)			
19.	दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक उपकरण			

- वि.वि.यो. विद्यालय प्रशासन के विकेंद्रीकरण के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
- वि.प्र.स. विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय समुदाय/स्थानीय निकाय से संसाधनों को जुटाने के लिए योजना बनाएगी।
- वि.प्र.स. संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी प्राथमिकता तय करेगी।
- वि.प्र.स. की औपचारिक बैठक के दौरान वि.वि.यो. के तैयार दस्तावेज़ पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

गतिविधि

आइए, हम अपने विद्यालय में संरचनात्मक व संसाधनात्मक आवश्यकताओं की सूची बनाएँ व उसके आधार पर योजना तैयार करें।

2.3.2 शालात्यागी बच्चों को विद्यालय में लाना

हम प्राय: अपने आस-पास कुछ ऐसे बच्चों को देखते हैं जो किसी सामाजिक-आर्थिक कारणों से विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं। वि.प्र.स. के सदस्य इस तरह के बच्चों की पहचान आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वे समुदाय का भाग होते हैं और विभिन्न सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेते रहते हैं। वि.प्र.स. निम्न बिंदुओं के माध्यम से विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग 6–14 वर्ष के सभी बच्चों की पहचान करेगी जो किसी सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, मनोवैज्ञानिक स्थितियों के कारण विद्यालय नहीं जा रहे हैं या विद्यालय छोड़ देते हैं—

- गाँव का दौरा करें और विद्यालय नहीं जाने वाले बच्चों या किसी कारणवश विद्यालय छोड़ देने वाले बच्चों के विद्यालय छोड़ने के कारणों के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए माता-पिता/अभिभावकों के साथ चर्चा करें।
- विद्यालय के आस-पास के क्षेत्रों में प्रत्येक शैक्षिक वर्ष के प्रारंभ होने से पूर्व घर-घर जाकर सर्वेक्षण करें व उसमें अपना सहयोग भी प्रदान करें।
- आँगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों की सूची एकत्र करें।
- स्थानीय मज़दूरों की बस्तियों, प्रवासी श्रमिकों, ईट-भट्टों आदि स्थलों पर जाएँ व

गतिविधि

आइए, निम्नलिखित पर चर्चा करें—

(क) विद्यार्थियों को विद्यालय से दूर ले जाने वाले कारक क्या हैं?

(ख) क्या कोई डर या झिझक उन्हें कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने से रोकती है? क्या कारण है जिनसे वे विद्यालय से बाहर रहते हैं?

बच्चों को विद्यालयों में लाने के प्रयास

- *सुनिश्चित करें कि विद्यालय नियमित रूप से चलता है, शिक्षक उपस्थित रहते हैं और सिखाते हैं।*
- *विद्यालय में विद्यार्थियों के अनुकूल वातावरण को सुनिश्चित करें और भेदभाव को रोकें।*
- *सामाजिक-आर्थिक और अन्य स्थानीय कारणों (घरेलू कार्य, त्योहार, कृषि अन्य वित्तीय कार्य आदि) के कारण विद्यार्थियों की विद्यालय छोड़ने के विषय पर विचार करें। आवश्यकता पड़ने*

लक्षित आयु समूह वर्ग (6–14 वर्ष) के विद्यालय न जाने वाले प्रवासी बच्चों की पहचान करें।

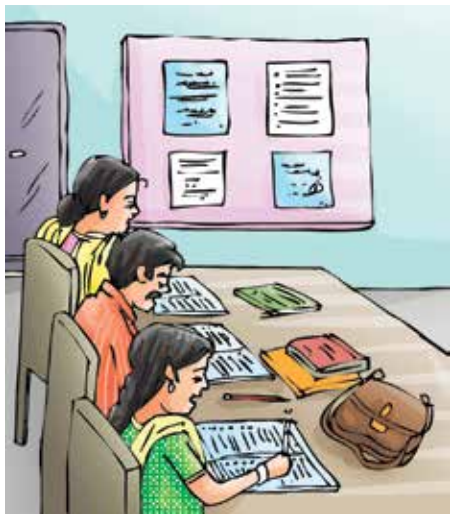

- गाँव के सर्वेक्षण, आँगनबाड़ी व अन्य स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के माध्यम से 6–14 आयु वर्ग के (दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में 6–18 वर्ष) के सभी बच्चों की सूची बनाएँ।
- दिव्यांग बच्चों और अन्य वंचित समूहों के बच्चों की अलग सूची बनाएँ, जो विद्यालय में उपस्थित या नामांकित नहीं हैं।
- अपने क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में नामांकित विद्यार्थियों के साथ लक्षित आयु समूह के सभी बच्चों की सूची का मिलान करें। जो बच्चे अभी भी विद्यालय से बाहर हैं उनका विद्यालय में नामांकन कराएँ।
- सुनिश्चित करें कि वे बच्चे पास के विद्यालय में अपनी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश ले रहे हैं। माता-पिता से बात करके बच्चों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं और अन्य मुद्दों को हल करने का प्रयास करें। सुनिश्चित करें कि वे नियमित रूप से विद्यालय में उपस्थित हों।

- प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के उत्तीर्ण विद्यार्थियों की सूची बनाएँ।
- सुनिश्चित करें कि आँगनवाड़ी, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक उत्तीर्ण विद्यार्थियों का उनकी अगली कक्षा में नामांकन अवश्य हुआ हो।
- आवश्कतानुसार विद्यार्थियों के लिए परिवहन सुविधाओं का प्रावधान करें।

2.3.3 मूलभूत सुविधाएँ

वि.प्र.स. सभी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करेगी जो विद्यालय में विद्यार्थियों के अधिगम में सहायक होती है—

- शिक्षण के लिए पर्याप्त कक्षाएँ और शिक्षण सामग्रियाँ

- पुस्तकालय में पुस्तकों की उपलब्धता
- पर्याप्त खेल सामग्री और खेलने के अवसर
- लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग एवं बाधारहित शौचालय
- सुरक्षित और साफ़ पीने का पानी
- विद्यार्थियों के नामांकन के अनुसार पर्याप्त शिक्षक

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अनुसार विद्यालय में शिक्षकों की संख्या हेतु मानक

पहली कक्षा से पाँचवीं कक्षा के लिए		छठीं कक्षा से आठवीं कक्षा तक
विद्यार्थियों की संख्या	**शिक्षकों की संख्या**	प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय का कम से कम एक शिक्षक आवश्य हो ताकि विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और भाषा प्रत्येक के लिए कम से कम एक अध्यापक मिल सके। • प्रत्येक 35 बच्चों के लिए कम से कम एक शिक्षक। • जहाँ बच्चों का दाखिला 100 से अधिक है— • एक मुख्य शिक्षक • कला शिक्षा, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा तथा कार्य शिक्षा के लिए अंशकालिक प्रशिक्षक। टिप्पणी— विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और एक कार्यालय सह-मुख्य शिक्षक कक्ष होने चाहिए।
60 तक	2	
61 से 90 तक	3	
91 से 120 तक	4	
121 से 200 तक	5	
150 से अधिक	पाँच शिक्षक और एक एक मुख्य शिक्षक	
200 से अधिक	विद्यार्थी शिक्षक अनुपात (मुख्य शिक्षक को छोड़कर) 40 से अधिक नहीं होना चाहिए।	

पर समुदाय से भी इस विषय पर सुझाव माँगें।

- *बच्चों के विद्यालय छोड़ने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने हेतु इसके विभिन्न कारकों, जैसे सामाजिक बाधाएँ, विद्यालय का कठिन अनुशासन, दिव्यांग व अन्य बाधाओं इत्यादि को दूर करने का प्रयास करें।*
- *अध्यापक, विद्यालय कर्मचारियों और सहपाठियों को इन विषयों के प्रति संवेदनशील बनाएँ।*

- गुणवत्ता पूर्ण मध्याह्न भोजन
- प्रत्येक कक्षा के लिए मेज/चटाई की पर्याप्त संख्या
- सुनिश्चित करें कि स्थानीय प्राधिकरण (नगर निगम/प्रखंड विकास आदि) के द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता की नियमित जाँच की जाए।
- साफ़-सुथरा और हरित वातावरण सुनिश्चित करें। वि.प्र.स. के सदस्य विशेष अभियान चलाकर विद्यालय के मैदानों के चारों तरफ़ और समुदाय में खाली पड़े स्थानों पर छायादार पेड़ लगा सकते हैं।

गतिविधि

आइए, गृह आधारित शिक्षा कार्यक्रम (गृ.आ.शि.) के बारे में चर्चा करें और अपने क्षेत्र में गृ.आ.शि. के तहत शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों का पता लगाएँ। ऐसे विद्यार्थियों को प्राप्त होने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के बारे में संदर्भ व्यक्तियों/शिक्षकों और परिवारों के सदस्यों के साथ बातचीत करें।

- गृह आधारित शिक्षा (गृ.आ.शि.) प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना व उन्हें पूर्ण करना।

2.3.4 शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का निषेध

कक्षा या विद्यालय में होने वाली निम्न गतिविधियाँ दंड या शोषण मानी जा सकती हैं।

- विद्यार्थियों को अपमानजनक शब्दों, उपनामों से बुलाना।
- अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए डाँटना।
- कान या शरीर के किसी अन्य भाग को मोड़ना।
- अनुशासनहीनता या बुरा व्यवहार करने पर छड़ी या अन्य माध्यमों से शारीरिक दंड देना।

- किसी कारण से बच्चों को कक्षा के बाहर खड़ा कर देना (ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को कक्षा के भीतर ही किसी अन्य स्थान पर बैठाया जा सकता है)।
- सहपाठियों के सामने उन्हें उठक-बैठक कराना या बेंच पर खड़ा करा देना।
- वि.प्र.स. के सदस्य के रूप में आप अपने विद्यालय में बाल-स्नेही वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयत्न करें।

गतिविधि

- *आइए, कुछ अन्य गतिविधियों पर चर्चा करें, जो विद्यार्थियों की शारीरिक या मानसिक अवस्था को नुकसान पहुँचा सकती हैं।*
- *एक वि.प्र.स. सदस्य के रूप में, विद्यालय में विद्यार्थियों के शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न रोकने के मामले में की गई कार्रवाई के बारे में चर्चा करें।*

शिक्षकों को निम्न गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करें—

- विद्यार्थियों से बातचीत करते समय न तो बहुत सख्ती, न ही बहुत ज़्यादा नरमी प्रदर्शित करें।
- जिन विद्यार्थियों को अधिगम या व्यवहार संबंधी समस्याएँ हो, उनके लिए मार्गदर्शन और परामर्श सुविधाएँ उपलब्ध कराएँ।
- सामाजिक रूप से वंचित वर्गों (बालिकाएँ, दिव्यांग, अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आदि) के विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार के भेदभावपूर्ण व्यवहार की सूचना देने के लिए प्रेरित करें।

2.3.5 निधि प्रबंधन

- सरकारी, स्थानीय निकायों, दान में दी गई धनराशि आदि के माध्यम से विद्यालय द्वारा प्राप्त सभी धनराशियों का विवरण प्राप्त करें।
- वि.वि.यो. के अनुसार धनराशियों के व्यय के लिए प्राथमिकताओं और तरीकों का सुझाव दें।
- प्राथमिकताओं के अनुसार व्यय सुनिश्चित करना।
- सभी रिकॉर्ड, बिल, रसीद और वाउचर आदि का उचित रखरखाव सुनिश्चित करना।
- विभागीय अनुदानों के अलावा, विद्यालय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए स्थानीय निकाय या समुदाय से संसाधनों को जुटाएँ।
- वि.प्र.स. विद्यालय को प्राप्त समस्त धनराशियों और उनके व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा तैयार करेगी।
- वार्षिक लेखा-जोखा और उनके व्यय की जाँच करने के लिए सभी प्रकार के व्यय के विवरणों को एक अलग खाते में रखा जाएगा और विद्यालय के बोर्ड पर भी दर्शाया जाएगा। इन विवरणों को नियमित रूप से वि.प्र.स. की बैठकों में भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
- वार्षिक लेखा वि.प्र.स. के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और मुख्य शिक्षक/संयोजक द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और उसके तैयार होने के एक माह के अंदर स्थानीय प्राधिकरण को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

गतिविधि

- *सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के विद्यार्थियों व उनके माता-पिता से बातचीत करें और उनके साथ यदि किसी प्रकार का भेदभाव या शोषण हो रहा हो तो यह पता करने का प्रयास करें।*
- *वि.प्र.स. के सदस्य के रूप में शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न को रोकने के लिए उपायों पर चर्चा करें।*

2.3.6 अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा

विद्यालय में अधिगम की गुणवत्ता की समीक्षा के लिए कुछ प्रमुख बातों पर न केवल विद्यालय के मुख्य शिक्षक और अन्य शिक्षकों द्वारा अपितु वि.प्र.स. सदस्यों द्वारा भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

वि.प्र.स. के सदस्य अपने विद्यालय के गुणवत्ता संबंधी पक्षों को बेहतर बनाने के लिए यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि—

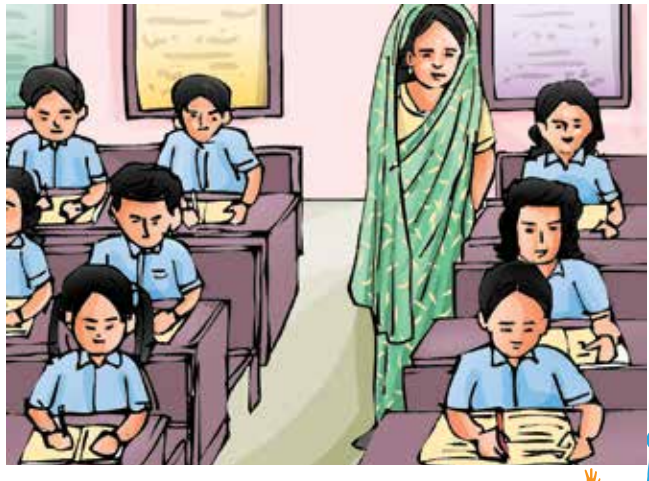

- विद्यालय और कक्षाएँ नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं।
- शिक्षक विद्यालय में आने में नियमितता और समय-पालन बनाए रखते हैं।
- विद्यालय के लिए निर्धारित न्यूनतम शिक्षण घंटों/दिनों में कार्य हुआ है।

गतिविधि

वि.प्र.स. के सचिव की मदद से कक्षा में गुणवत्तापूर्ण अधिगम सुनिश्चित करने के लिए जाँच सूची तैयार करें। सूची को तैयार करने में समुदाय के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल करें।

- शिक्षक पाठ्यचर्या के बारे में जानते हैं और इसके आदान-प्रदान के लिए कक्षा में इस्तेमाल होने वाली तकनीक के साथ अच्छी तरह से परिचित हैं।
- पाठ्यक्रम को शिक्षार्थियों के जीवन के विभिन्न अनुभवों से संबंधित दक्षताओं और कौशलों के विकास पर केंद्रित किया गया है तथा इसे समय पर पूरा किया गया है।
- अध्यापकों द्वारा बच्चों को प्रेरित करने के लिए बाल-केंद्रित विधियों का उपयोग करना। इसके लिए वे विभिन्न शिक्षण प्राविधियों, जैसे खेल-खेल में शिक्षा आदि का उपयोग कर सकते हैं।
- किसी भी विद्यार्थी के साथ उसकी जाति, रंग, लिंग, माता-पिता की सामाजिक-आर्थिक स्थिति या दिव्यांगता के कारण भेदभाव नहीं किया जाता हो।

- सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आई.सी.टी.) का उपयोग अधिकतम किया जाता हो।
- पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण-अधिगम सामग्रियाँ समय पर और आवश्यकता के अनुसार विद्यालय में उपलब्ध हों।
- उपलब्ध सामग्री लगातार बच्चों द्वारा इस्तेमाल की जाती हो। समय-समय पर विद्यार्थियों को पुरस्कार और प्रोत्साहन दिए जाते हों।

- विद्यार्थियों के स्वयं, साथियों, शिक्षकों, परिवार के सदस्यों और समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों का आकलन नियमित आधार पर किया जाता है। इसमें व्यापक रूप से शैक्षिक और सह-शैक्षिक (व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, जीवन कौशल आदि) पक्षों पर ध्यान दिया जाता है।
- मूल्यांकन बच्चे के अनुकूल हो। मूल्यांकन में विद्यार्थी के विकास पर ध्यान दिया जाता है।
- अभिभावक-शिक्षक बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। शिक्षक विद्यार्थी की उपस्थिति में नियमितता, अधिगम क्षमता, अधिगम प्रगति और विद्यार्थी के बारे में कोई अन्य संगत विषय के बारे में माता-पिता को जानकारी देता है।

2.3.7 मध्याह्न भोजन योजना

सुनिश्चित करें कि—

- मध्याह्न भोजन की सूची, रसोईघर/विद्यालय की दीवार पर अवश्य प्रदर्शित हो।
- मध्याह्न भोजन निर्धारित सूची के अनुसार उपलब्ध कराया जाता हो।
- भंडारण, पकाने, वितरण, खाने की प्रक्रिया और हाथ धोने में स्वच्छता बनाए रखी जाती हो।
- पकाने, वितरित करने, साथ मिलकर खाने, धोने आदि के दौरान भेदभाव न हो।
- मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थी के लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो।
- आवश्यकतानुसार मध्याह्न भोजन के समय दिव्यांग विद्यार्थियों की सहायता करें।

2.3.8 सामाजिक सर्वेक्षण

विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण विद्यालयी गतिविधियों में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी बढ़ाता है। यह समुदाय के सदस्यों द्वारा विद्यालय के विकास संबंधी गतिविधियों के निरीक्षण का अवसर प्रदान करते हुए, विद्यालय विकास योजनाओं, गतिविधियों कार्यक्रमों का नियमानुसार व निर्देशानुसार क्रियान्वयन और संसाधनों तथा निधियों का योजनानुसार व्यय सुनिश्चित करता है।

विद्यालय का मुख्य शिक्षक विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के माता-पिता/अभिभावकों, समुदाय के सदस्यों, प्रशासन के सदस्यों, वि.प्र.स. के सदस्यों, शिक्षार्थियों

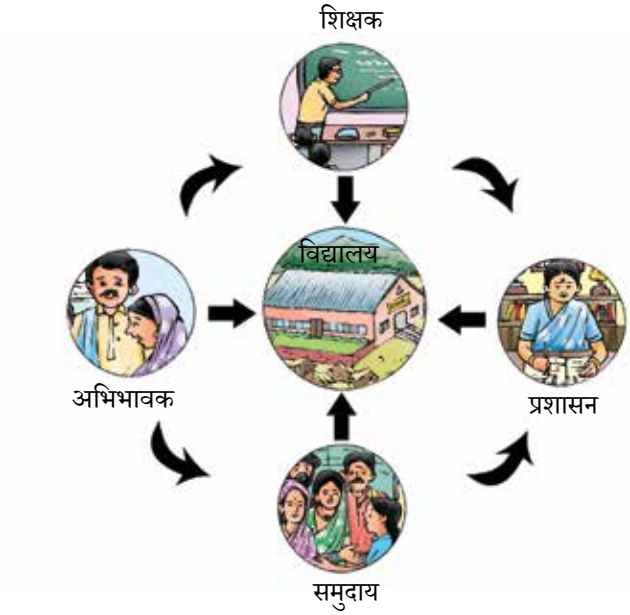

और समुदाय के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों की आम सभा बुलाकर, सामाजिक सर्वेक्षण दल का गठन करवाता है।

इसी सामाजिक सर्वेक्षण दल द्वारा विद्यालय का सामाजिक सर्वेक्षण किया जाता है। इस कार्य में वे विद्यालय के मुख्य शिक्षक, वि.प्र.स. के सदस्यों से परामर्श और सहयोग लेते हैं। विद्यालय का मुख्य शिक्षक और वि.प्र.स. के सदस्य उन्हें आवश्यक जानकारी तथा आँकड़े आदि उपलब्ध करवाते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण दल अपने निष्कर्षों को समुदाय के लोगों, माता-पिता/अभिभावकों, क्षेत्रीय प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करता है। जिससे उनके द्वारा दिए गए सुझावों से विद्यालय को और बेहतर बनाया जा सके। सामाजिक सर्वेक्षण के उचित क्रियान्वयन के लिए वि.प्र.स. को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए।

विद्यालय में विद्यार्थियों को सुरक्षा और संरक्षण मिले। खेल, शौचालय, प्रयोगशाला आदि के प्रयोग के दौरान, विभिन्न प्रोजेक्ट्स और विद्यालय संबंधी अन्य गतिविधियाँ, जिनमें सीढ़ी या रैम्प का प्रयोग हो रहा हो, उनके दौरान अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। इन गतिविधियों को विद्यार्थियों को प्रदर्शन के माध्यम से सिखाने का प्रयास करें। विद्यार्थियों की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सहायकों (चौकीदार, आया आदि) की नियुक्ति की जाए।

- 6–14 वर्ष (दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए 6–18 वर्ष) आयु समूहों के सभी विद्यार्थी आयु के अनुसार उचित विद्यालय की कक्षाओं में नामांकित किए गए हैं और अध्ययन कर रहे हैं।
- दिव्यांग विद्यार्थियों की उपस्थिति भी नियमित हो।
- सामाजिक रूप से वंचित समूह (दिव्यांग विद्यार्थी/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/गरीबी रेखा से नीचे) से संबंधित विद्यार्थियों के लिए निर्धारित सभी सुविधाएँ उन्हें प्रदान की जाती हैं।
- विद्यार्थियों का विस्थापन रोकने का यथासंभव प्रयास करें। यदि कोई विस्थापित विद्यार्थी आया हो तो उसका विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करें।
- विद्यालय की तत्काल आवश्यकताओं, विद्यालय के परिवेश के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता हो।
- विद्यालय की अधिकतम संभव जानकारी (कुल शिक्षक, नामांकन, उपस्थिति, शिक्षण-अधिगम सामग्री, अगली बैठक की तिथि, प्राप्त अनुदान आदि) को विद्यालय के सूचना पट्ट पर दर्शाएँ। यह स्थानीय भाषा में बड़े अक्षरों में लिखी होनी चाहिए।
- बालिकाओं और बालकों के लिए दिव्यांगता अनुकूल अलग-अलग शौचालय की सुविधा हो। दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सहायक की उपलब्धता हो।

गतिविधि

आइए, हमारे विद्यालय में विद्यार्थियों के स्वास्थ्यवर्द्धन कार्यक्रमों के लिए की गई गतिविधियों पर चर्चा करें और उनका पता लगाएँ। विद्यालय में और आस-पास स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी खतरों की सूची तैयार करें। स्वस्थ और सुरक्षित विद्यालयी वातावरण प्रदान करने के लिए की जाने वाली गतिविधियों का सुझाव दें।

2.3.9 स्वस्थ विद्यालयी वातावरण

एक स्वस्थ विद्यालयी वातावरण विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार लाता है। एक स्वस्थ विद्यार्थी सीखने की गतिविधियों में प्रभावी रूप से भाग लेता है। वि.प्र.स. विद्यालय में स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए एक उप-समिति *विद्यालय स्वास्थ्य समिति* का गठन कर सकती है। उन्हें माता-पिता और समुदाय को विद्यालय के स्वास्थ्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। यह समिति सुनिश्चित करेगी कि—

- विद्यालयी परिवेश के आस-पास के क्षेत्रों में प्रचलित संक्रमण, दीर्घकालिक संक्रामक रोगों और पर्यावरण संबंधी खतरों की निगरानी तथा रिकॉर्ड रखने के लिए एक प्रभावी प्रणाली बनाएँ।
- प्रत्येक विद्यालय में आपातकालीन चिकित्सा प्रदान करने के लिए सुविधाओं का विकास करना।
- विद्यालय में नियमित स्वास्थ्य संबंधी जाँचों का आयोजन किया जाए। सभी विद्यार्थियों को स्वास्थ्य कार्ड प्रदान किया गया हो।

2.4 शिकायत निवारण प्रणाली

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वि.प्र.स. को शिक्षक शिकायत निवारण संस्थान (*बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन, 2015*) के रूप में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। शिक्षकों के अलावा वि.प्र.स., विद्यार्थियों, माता-पिता और

क्या आप जानते हैं?

- *लैंगिंक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम, 2016 (पी.ओ.सी.एस.ओ.), यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।*
- *बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 में बालिकाओं के लिए 18 वर्ष की आयु और बालकों के लिए 21 वर्ष की आयु से पहले विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है।*
- *बाल श्रम अधिनियम, 1986 के द्वारा 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के रोजगार (बच्चों के परिवार द्वारा चलाए जा रहे कुछ व्यापार को छोड़कर) व्यवसाय पर प्रतिबंध है।*

यदि कोई शिकायत या सुझाव हो तो संपर्क करें—

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

↑

राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग

↑

जिला न्यायाधीश/ कलेक्टर

↑

जिला शिक्षा अधिकारी

↑

प्रखंड शिक्षा अधिकारी

↑

ग्राम पंचायत

↑

प्रधानाध्यापक

सामुदायिक सदस्यों की विद्यालय से संबंधित शिकायतें सुन सकती है और बाद में विभागीय अधिकारियों/प्राधिकारियों से संपर्क कर सकती है, जो विद्यालय की उन्नति के लिए उत्तरदायी हैं।

उदाहरण— प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी अपने प्रखंड में 90 विद्यालयों की देखरेख करता है। वे वि.प्र.स. के साथ ही विद्यालय के अध्यापकों से प्राप्त शिकायतों को हल करने के लिए कार्यनीतियाँ बनाते हैं। जब भी उन्हें शिकायत या प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं, वे वि.प्र.स. के एक सदस्य, विद्यालय के एक शिक्षक और खंड के एक अधिकारी के साथ तीन अधिकारियों की एक समिति बनाते हैं और वे गाँव का दौरा करते हैं। वे प्रिंट/ डिजिटल सभी प्रकार के साक्ष्यों को एकत्र करते हैं और प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी को उसका रिकॉर्ड प्रस्तुत करते हैं। तदनुसार, प्रखंड शिक्षा विस्तार अधिकारी शिकायतों को हल करने के लिए उपाय करते हैं।

विद्यालय की जानकारी

विद्यालय का नाम व पता _____ स्थापना वर्ष _____

शिक्षकों के बारे में जानकारी कुल पद _____ वर्तमान में कार्यरत _____

वि. प्र. स. की जानकारी स्थापना वर्ष _____ क्या यह कार्यरत है _____

विद्यार्थियों के बारे में जानकारी

6–14 वर्ष के बच्चों की संख्या _____ दिव्यांग बच्चों की संख्या _____

शालात्यागी बच्चों की संख्या _____ विद्यालय ना जाने वाले बच्चों की संख्या _____

विद्यार्थियों के नामांकन और उपस्थिति की जानकारी

	कक्षा	1	2	3	4	5	6	7	8	कुल
बालक	नामांकित									
	उपस्थित									
बालिकाएँ	नामांकित									
	उपस्थित									

विद्यालय की संरचना की जानकारी

क्या विद्यालय भवन की भूमि पंजीकृत है _____ कक्षाएँ पर्याप्त ( ) अपर्याप्त ( )

विद्यालय भवन उत्तम ( ) संतोषजनक ( ) सुधार की आवश्यकता है ( )

नियमित स्वास्थ्य जाँच शिविर का आयोजन होता है हाँ ( ) नहीं ( )

सुविधाएँ	उपलब्ध है और प्रयोग में है	उपलब्ध है किंतु प्रयोग नहीं की जा रही है	अनुपलब्ध है
पेयजल			
मध्याह्न भोजन			
पुस्तकालय			
शौचालय			
खेल का मैदान			
पाकशाला			
बिजली			
फर्नीचर			

प्रयोग किए जाने वाले फर्नीचर की संख्या लिखें अन्यथा गलत का निशान (×) लगाएँ—

	बैंच	डेस्क	मेज	अलमारी	कुर्सी	अन्य
शिक्षक						
विद्यार्थी						

अध्याय 3

विद्यालय-पूर्व शिक्षा

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के पैरा संख्या 11 में विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए प्रावधान है जिसमें कहा गया है— "प्राथमिक शिक्षा के लिए तीन वर्ष से छह वर्ष की आयु तक के बालकों को तैयार करने तथा सभी बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा की व्यवस्था करने की दृष्टि से समुचित सरकार, ऐसे बालकों के लिए निःशुल्क विद्यालय-पूर्व शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।"

3.1 विद्यालय-पूर्व शिक्षा

विद्यालय-पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा है। यह बच्चों को प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार करती है। विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में शामिल होने वाले बच्चे औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। प्रारंभिक तैयारी के कारण बच्चे प्राथमिक विद्यालय में बेहतर ढंग से समायोजन कर लेते हैं।

विद्यालय-पूर्व शिक्षा बच्चों को अच्छी आदतों और वांछनीय सामाजिक कौशलों को विकसित करने में मदद करती है। इस कार्यक्रम में बच्चों का सर्वांगीण विकास खेल और अन्य रोचक गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। बच्चे खोज और अन्वेषण करने का प्रयास करते हैं। वह भय और चिंता से मुक्त, मित्रवत तथा बाल स्नेही वातावरण में स्वयं को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता पाता है। ऐसा वातावरण छोटे बच्चों को केंद्र में आने के लिए प्रेरित करता है। उनके बड़े भाई या बहन उनका ध्यान रखने की चिंता से मुक्त हो जाते हैं और इसलिए वे भी नियमित रूप से विद्यालय जा पाते हैं।

विद्यालय-पूर्व शिक्षा की उपलब्धता, भागीदारी (विद्यार्थियों, शिक्षकों, माता-पिता, देखभालकर्ताओं, समुदाय के सदस्यों आदि) और सुविधाएँ (मूलसंरचना, उपकरणों, सामग्रियों आदि), उच्च गुणवत्ता वाले प्रारंभिक बाल्यावस्था कार्यक्रम तथा सेवाओं की बुनियाद है।

गतिविधि

आइए, अपने क्षेत्र के ऐसे बच्चों की पहचान करें जो विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम की सुविधाओं से वंचित हैं। उन बच्चों को विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में शामिल करने के लिए अपना सुझाव दें।

3.2 विद्यालय-पूर्व शिक्षा का महत्व

यह विश्व स्तर पर स्वीकार किया गया है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था बच्चों के जीवन के अत्यंत महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं। इस अवधि के दौरान विकास की गति बहुत तीव्र होती है। यह बौद्धिक और शारीरिक विकास को निर्धारित करती है। साथ ही साथ यह सामाजिक और व्यक्तिगत आदतों तथा जीवन-मूल्यों को आकार देने की नींव भी रखती है।

प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास में दो मुख्य घटक हैं— देखभाल और शिक्षा।

देखभाल एक व्यापक शब्द है जिसमें उचित पोषण, प्रतिरक्षण, सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग शामिल है।

शिक्षा घटक में 3–6 वर्ष के बच्चों की विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम शामिल हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा (प्रा.बा.दे.शि.) एक समग्र कार्यक्रम है और यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आधारित है कि बच्चे का विकास और प्रारंभिक शिक्षा 'एकीकृत' तरीके से होती है। एकीकृत का तात्पर्य है कि बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा और विकास न केवल उस माहौल से प्रभावित होती है जो बच्चे को मिलता है, बल्कि यह बच्चे के स्वास्थ्य, पोषण और उनकी देखरेख तथा वातावरण से भी प्रभावित होती है।

गतिविधि

1. *आइए, बच्चों की अच्छी आदतें, सामाजिक और संवाद कौशलों के विकास में सहयोग करने वाली हमारी सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों पर चर्चा करें और उन गतिविधियों की एक सूची तैयार करें।*
2. *आइए, छोटे बच्चों के लिए घर पर आसानी से तैयार किए जा सकने वाले पोषण आहार पर चर्चा करें और इसकी एक सूची तैयार करें।*

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा

प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा संरक्षित और अनुकूल वातावरण में बच्चों के चहुँमुखी और सर्वांगीण विकास में सहायता देने के लिए विकासात्मक निरंतरता की प्रत्येक उप अवस्था (गर्भाधारण से जन्म तक, जन्म से तीन वर्षों तक और तीन से छ: वर्षों तक) में देखरेख, स्वास्थ्य, पोषण, खेलकूद तथा प्रारंभिक शिक्षा जैसे अभिन्न तत्वों पर बल देते हुए बच्चे के संपूर्ण और समेकित विकास की धारणा को संपुष्ट करती है।

3.3 राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा नीति 2013— बुनियादी बातें

राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा (प्रा.बा.दे.शि.) नीति 2013 में सार्वभौमिक सुलभता, समानता और समावेशन को ध्यान में रखकर निम्न अनुशंसाएँ की गई हैं—

- 6 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को (जिसमें शहरी रिहाइशी/झुग्गियों में रहने वाले बच्चे भी आते हैं) उनके आस-पास (प्राय: 500 मीटर के अंदर) के विद्यालय-पूर्व कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए।
- विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र/प्रा.बा.दे.शि. केंद्र बच्चों के अनुकूल व सुरक्षित परिवेश में होना चाहिए। इन केंद्रों में स्वास्थ्य, पोषण, उम्र के अनुकूल देखभाल, उद्दीपन और आरंभिक शिक्षा इत्यादि विभिन्न ज़रूरतों का ध्यान रखा जाना चाहिए।
- आस-पास के प्रा.बा.दे.शि. केंद्र में कमज़ोर वर्गों और वंचित समूहों के बच्चों के प्रवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ये प्रावधान निजी और गैर सरकारी केंद्रों में भी किए गए हैं।
- प्रा.बा.दे.शि. में नामांकन के लिए किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा का निषेध किया गया है।
- विभिन्न योजनाओं, जैसे— *राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु अनुरक्षण केंद्र योजना, मनरेगा अधिनियम* आदि के तहत कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए शिशु अनुरक्षण केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए।
- आँगनवाड़ी केंद्रों को बच्चों के अनुकूल प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास केंद्रों की तरह चलाया जाना चाहिए। इन केंद्रों में पर्याप्त मूलभूत संरचना, वित्तीय और मानव संसाधन होने चाहिए।
- शिशु के विकास में विलंबता और दिव्यांगता आशंका का जल्दी पता लगाने के लिए प्रयास सुनिश्चित किए जाने चाहिए ताकि सही समय पर उपचारात्मक सेवाएँ दी जा सकें और विशिष्ट सेवाओं हेतु विशेषज्ञों से संपर्क सुनिश्चित किए जा सकें।
- बच्चों को विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार करने हेतु शिक्षा कार्यक्रम इस प्रकार से बनाया जाए कि प्राथमिक विद्यालयी शिक्षा व्यवस्था के साथ इन्हें जोड़ा जा सके, जिससे प्रा.बा.दे.शि. से प्राथमिक विद्यालय तक का रास्ता सरल हो जाए।

बच्चों की अलग-अलग ज़रूरतों को समाज की प्रतिबद्धताओं द्वारा पूरा किया जा सकता है। समाज संरचनात्मक, भौतिक और मानव संसाधन प्रदान करने में सहायक होता है। यह आवश्यक है कि प्रा.बा.दे.शि. के सभी कार्यक्रमों को दिव्यांग बच्चों और विद्यालयी व्यवस्था में प्रवेश करने वाले पहली पीढ़ी के विद्यार्थियों की विशेष ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील और अनुकूल बनाया जाए।

3.4 शुरुआती वर्षों में समावेशन

शुरुआती वर्षों में समावेशन के लिए दिव्यांग बच्चों और संभावित दिव्यांगता वाले बच्चों की पहचान आवश्यक है। सभी बच्चों को आरंभ से ही अधिगम परिवेश सुलभ होना चाहिए।

शुरुआती वर्षों में पहचान और उपचारात्मक सेवाओं के महत्व को समझना, समावेशन के लिए अति महत्वपूर्ण है। आकलन, जो किसी भी विद्यालय पूर्व या प्रा.बा.दे.शि. कार्यक्रम का अनिवार्य और अविभाज्य घटक है, विकास में होने वाले विलंबों की जल्दी पहचान का एक अवसर प्रदान करता है।

यदि दिव्यांगताओं की पहचान जल्दी हो जाती है और सही समय पर उचित समाधान या उपाय प्रदान किए जाते हैं तो दिव्यांगता और असुविधा की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सकता है।

विद्यालय-पूर्व चरण के सफल समावेशन के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए—

- पाठ्यचर्या लचीली और सुलभ होनी चाहिए।
- केंद्र का भौतिक वातावरण बाधामुक्त होना चाहिए और इस प्रकार से अनुकूलित होना चाहिए कि विविध आवश्यकताओं वाले सभी बच्चों की आवश्यकताएँ पूरी की जा सकें।
- अध्यापन की विधि, आकलन और मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ भी लचीली होनी चाहिए।
- विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों में शामिल शिक्षाकर्मियों को समावेशी शिक्षा के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उन्हें दिव्यांग बच्चों की ज़रूरतों की पहचान करने, आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों से संपर्क करने संबंधी सहायता और विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम में उनके समावेशन हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

- दिव्यांगता आशंकित बच्चों के लिए किए जाने वाले प्रयास उनके परिवार को सशक्त बनाने पर केंद्रित करने चाहिए। दिव्यांग बच्चों के परिवार के सदस्यों को अपने अनुभव साझा करने के अवसर दिए जाने चाहिए। परिवार के सदस्य केंद्र के साथ अपनेपन की भावना विकसित कर सकें, ऐसे प्रयास होने चाहिए।

*यदि बच्चों के विकास में विलंब हो रहा हो, तो उन बच्चों को **प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ** प्रदान की जानी चाहिए। इसमें बच्चों के विकास में पिछड़ेपन की पहचान कर उसके अनुरूप विभिन्न प्रकार के अनुभवों के अवसर दिए जाते हैं। आस-पास की वस्तुओं से खेलना, उन्हें छूना, देखना, उलट-पलट कर महसूस करना जैसे अन्वेषण के अवसर बच्चों को प्रदान किए जाते हैं। इसके साथ ही साथ आवश्यकतानुसार विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक सेवाएँ, जैसे— शारीरिक चिकित्सा, व्यवसायिक चिकित्सा और वाक् चिकित्सा इत्यादि भी दी जाती है। प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं की प्रकृति मुख्यत: प्रतिरोधात्मक (जैसे— कुपोषित बच्चों के लिए पोषक आहार), उपचारात्मक (जैसे— कटे हुए तालु/होठ की उपचार के लिए शल्य क्रिया) और सुधारात्मक (जैसे— चलते हुए बार-बार गिर पड़ने वाले बच्चों के लिए शारीरिक चिकित्सा) हो सकती है।*

3.5 विद्यालय-पूर्व शिक्षा के बुनियादी घटक

विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए बुनियादी रूप से निम्न घटकों का होना आवश्यक है जैसे—

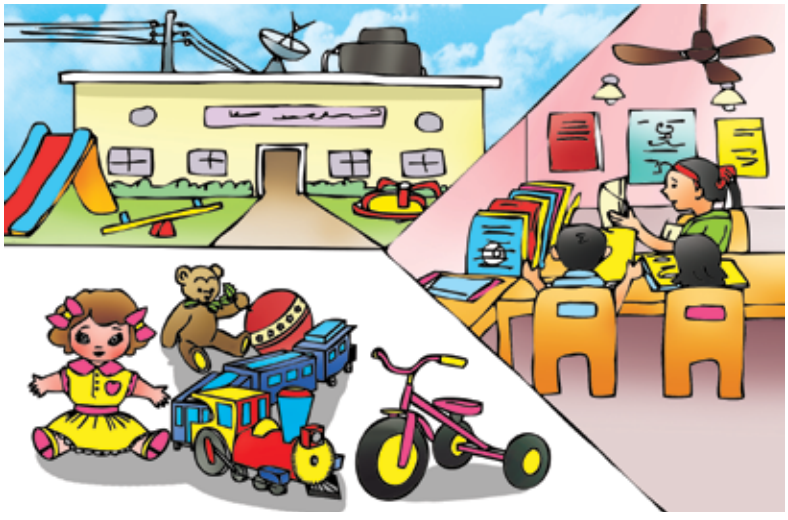

3.5.1 कार्यक्रम की अवधि

- बच्चों के लिए विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम रोज़ाना 4 घंटे (आधा घंटा नाश्ता/भोजनावकाश) के लिए आयोजित किया जाता हो।

3.5.2 भौतिक सुविधाएँ

विद्यालय–पूर्व केंद्र भवन और इसकी स्थिति

- भवन सुरक्षित, मज़बूत और सुगम्य हो। इसे साफ़-सुथरा और हरा-भरा होना चाहिए।
- इसे ऐसी जगह पर स्थित होना चाहिए जहाँ से बच्चे केंद्र में आसानी से पहुँच सकें।

पर्याप्त स्थान

- 30 बच्चों के समूह के लिए कम से कम 35 वर्ग मीटर माप वाली एक कक्षा और पर्याप्त बाहरी क्षेत्र (कम से कम 30 वर्ग मीटर) की उपलब्धता हो।

प्रकाश

- कमरों को पर्याप्त रूप से प्रकाशयुक्त और हवादार रखने की व्यवस्था हो।
- रोशनी देने और उपकरणों को संचालित करने के लिए बिजली की व्यवस्था हो।

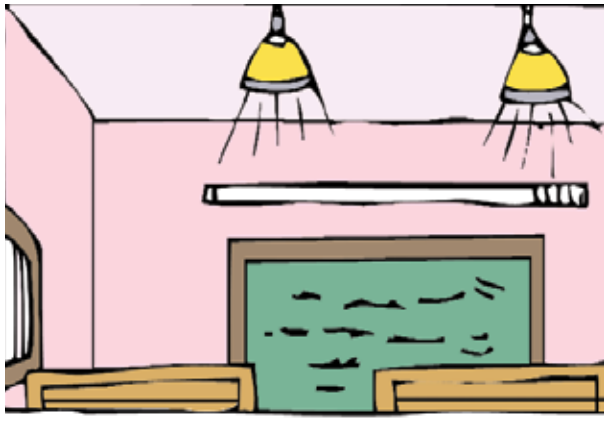

प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाओं में शारीरिक गतिविधियाँ, भाषा की समझ, संप्रेषण कौशल, अवधारणा निर्माण, स्व-देखभाल और सभी ज्ञानेन्द्रियों मुख्यत: देखना, सुनना और स्पर्श करना इत्यादि पर बल दिया जाता है। दिव्यांगता आशंका वाले बच्चों के स्वास्थ्य एवं संपूर्ण विकास के लिए प्रारंभिक हस्तक्षेप सेवाएँ अति आवश्यक है।

शौचालय

- बालक और बालिकाओं के लिए पर्याप्त और अलग-अलग शौचालय हों। ये शौचालय बच्चों के अनुकूल होने चाहिए तथा इनमें हाथ धोने के लिए साबुन और पानी निरन्तर रूप से उपलब्ध होना चाहिए।

पानी

- पर्याप्त और सुरक्षित पेयजल सुविधाएँ हो।

शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात

- उपयुक्त शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात (3–6 वर्ष के बच्चों के लिए नीति के अनुसार 1:20) होना चाहिए।

3.5.3 कक्षा की प्रक्रियाएँ

बच्चों की आयु को ध्यान में रखते हुए कक्षा की प्रक्रियाओं को निर्धारित करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए—

आयु अनुरूप

- पाठ्यचर्या प्रासंगिक हो।
- अधिगम-सामग्री और उपकरण (कम कीमत/बिना कीमत), शिक्षक द्वारा बनाया हुआ और संदर्भ आधारित हो।

गतिविधियाँ

(क) विकास के सभी क्षेत्र (संवेदी और प्रत्यक्षण, शारीरिक-गामक, सामाजिक-भावनात्मक, भाषाई, संज्ञानात्मक, रचनात्मक और सौंदर्य) एक समेकित रूप में प्रस्तावित किए जाएँ।

(ख) बच्चों की ज़रूरतों के अनुसार पढ़ने, लिखने और संख्याओं से परिचय आदि के विकास हेतु गतिविधियों की योजना का निर्माण और कार्यान्वयन किया जाए।

(ग) बच्चों के लिए आयु के अनुसार उपयुक्त संरचित, मार्गदर्शित गतिविधियों और स्वतंत्र रूप से खेलने के बीच संतुलन हो।

(घ) सहयोग और साझा करने की भावना सिखाने के लिए गतिविधियों की योजना बनाई जाए। शिक्षक द्वारा आयु के अनुसार गतिविधियों की उपयुक्तता सुनिश्चित की जाए।

(ङ) शिक्षक/आँगनवाड़ी केंद्र के कार्मिक बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करें, जैसे भोजन के पहले और बाद में हाथ धोना, किसी भी सामग्री का उपयोग करने के बाद उसे वापस उसकी जगह पर रखना आदि। शिक्षक/आँगनवाड़ी केंद्र के कार्मिक माता-पिता के साथ इन आदतों पर चर्चा करें और बच्चों को घर पर भी अच्छी आदतों का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहन दें। बच्चों को स्व-अनुशासन के लिए प्रोत्साहन दिया जाए।

पारस्परिक गतिविधियाँ

- पाठ्यचर्या मातृभाषा में हो अर्थात् घर पर बच्चे द्वारा बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाई जाए।
- विद्यालय-पूर्व केंद्र में औपचारिक शिक्षा या रटकर सीखने की किसी भी गतिविधि का संचालन नहीं किया जाए। औपचारिक शिक्षा की तरह पढ़ने, लिखने या गिनने की गतिविधियों पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए।
- इस स्तर पर गृहकार्य, आकलन या परीक्षा न हो।
- किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक दंड नहीं दिए जाएँ।
- खेल-खेल में सिखाने के तरीकों को बढ़ावा देना चाहिए।

समावेशन

- विद्यालय-पूर्व शिक्षा बच्चों की विशेष आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील और अनुकूल हो।
- व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चों की दिव्यांगता, उनके माता-पिता/पारिवारिक शिक्षा और सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

विद्यालय-पूर्व शिक्षा कर्मियों का प्रशिक्षण

- दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं की पहचान करने, आयु के अनुसार उपयुक्त खेलों और अधिगम सामग्री का उपयोग करने, भौतिक वातावरण के साथ तालमेल बैठाने और माता-पिता से बातचीत तथा परामर्श करने की व्यावहारिक जानकारी विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र में कार्य करने वाले कर्मियों को प्रशिक्षण के दौरान अवश्य दी जानी चाहिए।

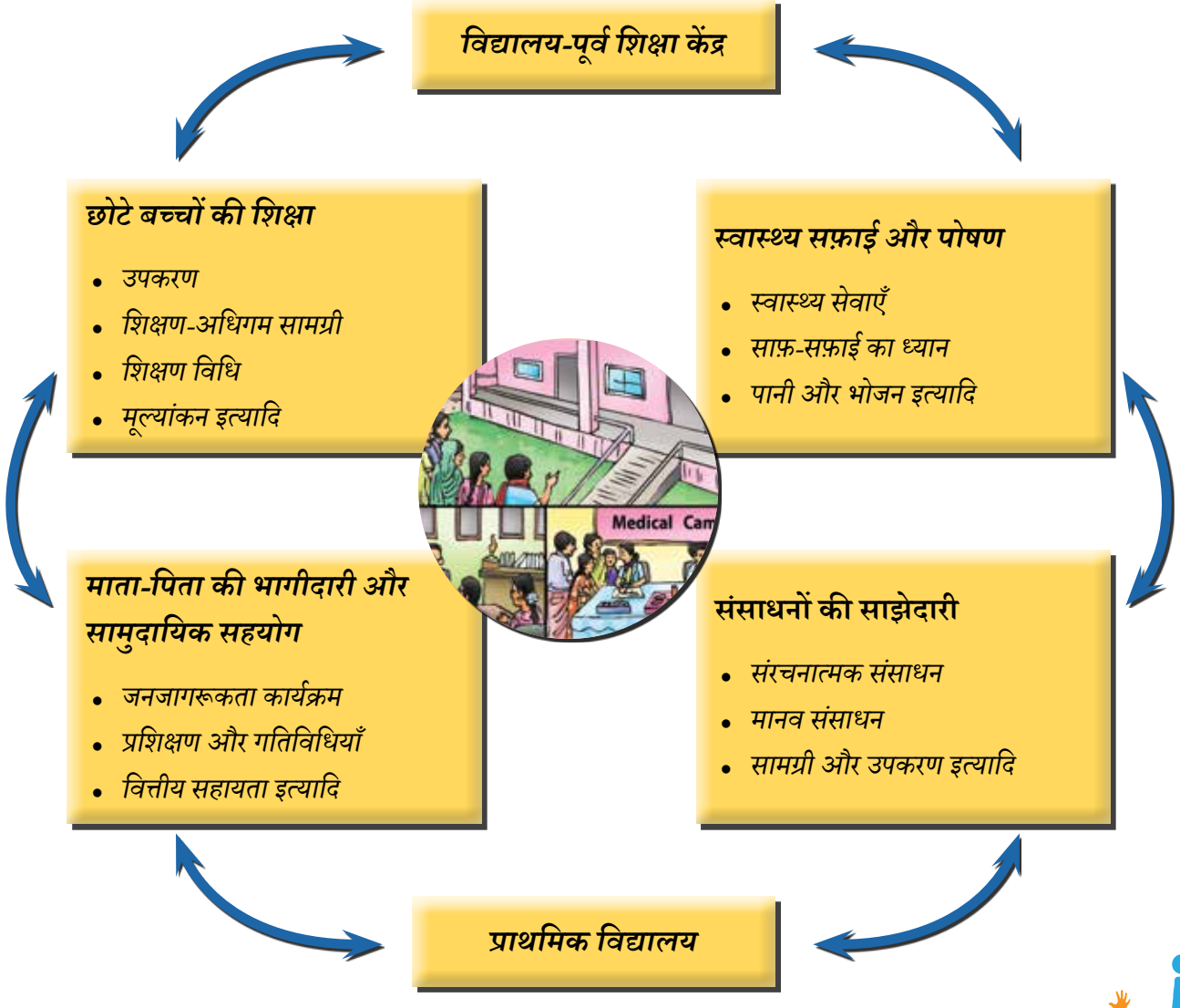

साझी कार्यशैली

- विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालय के साथ साझी गतिविधियाँ करके निकट संबंध बनाएँ। जहाँ तक संभव हो सके, विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र में की जाने वाली गतिविधियों और प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विषयों में तालमेल बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

प्राथमिक चिकित्सा

- केंद्र में प्राथमिक चिकित्सा/प्राथमिक उपचार उपकरण के रूप में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा की उपलब्धता होनी चाहिए।
- बच्चों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाना चाहिए।

3.5.4 स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण

स्वास्थ्य

- बच्चों की साफ़-सफ़ाई (बाल, नाखून आदि) का ध्यान रखा जाए।
- बच्चों का नियमित टीकाकरण हुआ हो और उसका रिकॉर्ड रखा जाना चाहिए।
- प्रत्येक बच्चे की स्वास्थ्य ज़रूरतों और आराम (जैसे सोना तथा विश्राम) का पर्याप्त रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए।

- बच्चों की लंबाई और वज़न नियमित रूप से मापा जाए, जिससे कुपोषित बच्चों की पहचान की जा सके।
- बच्चों की नियमित स्वास्थ्य जाँच की जाए और यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञों की सलाह ली जाए। दिव्यांग बच्चों को शामिल करने के लिए भौतिक परिवेश या कार्यक्रमों में उचित बदलाव किए जाएँ।

बच्चों में कुपोषण के संकेतक

- *वजन, लंबाई या दोनों में वृद्धि नहीं होना।*
- *माँसपेशियों में शक्ति की कमी/अपक्षय।*
- *हाथ-पाँव का पतला होना।*
- *पेट और पैरों में सूजन।*
- *बच्चों का ज़्यादा रोते रहना, चिड़चिड़ाहट और सुस्ती।*
- *त्वचा का शुष्क और परतदार होना।*
- *बालों का बेजान, सूखा, हल्के रंग का और भूसे की तरह दिखना।*

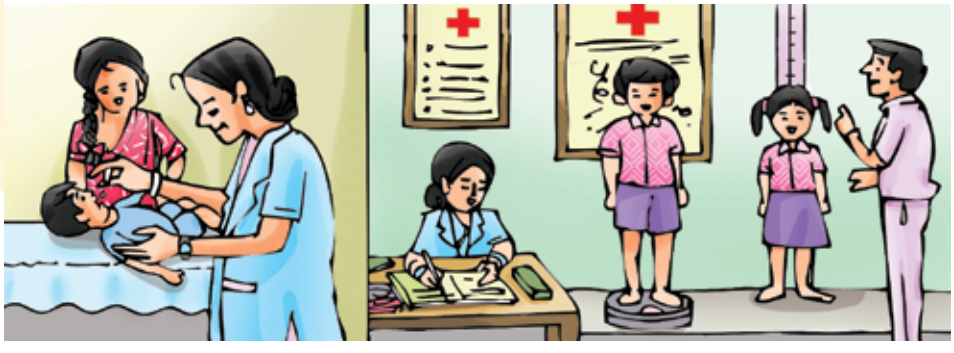

स्वच्छता

- केंद्र, इसके आस-पास के क्षेत्र, कक्षाएँ, शौचालय, खेल का मैदान आदि स्थल साफ़ और स्वच्छ होने चाहिए।
- पर्यावरण को साफ़ रखने के लिए अच्छी आदतों का पालन किया जाए।

पोषण

- खाद्य पदार्थों का संग्रहण, निर्माण और उसका वितरण साफ़-सुथरे तथा स्वच्छ परिवेश में हो।
- विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र कर्मियों को बच्चों के संतुलित और पोषक आहार के बारे में पर्याप्त ज्ञान हो और केंद्र में वे इसे प्रोत्साहित करते हों।

- भोजनावकाश के दौरान उचित सौहार्द्रपूर्ण और प्रसन्नचित सामाजिक वातावरण हो।
- सुनिश्चित करें कि बच्चों को अच्छी तरह से खिलाने के लिए पर्याप्त समय हो।
- सुनिश्चित करें कि बच्चों का भोजन/अल्पाहार पौष्टिक हो।
- बच्चों को पूरक पोषण/घरेलू भोजन नियमित रूप से दिया जाए।

3.5.5 अभिभावक-शिक्षक की साझी भूमिका

बच्चे के समग्र विकास की ज़िम्मेदारी विद्यालय और अभिभावकों द्वारा एक समान रूप से साझा की जाती है। अतः अभिभावकों को प्रोत्साहन दिया जाता है कि वे विद्यालय की गतिविधियों के आयोजन और प्रबंधन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। उन्हें नियमित रूप से विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्रों पर आना चाहिए और अभिभावक-शिक्षक बैठकों में हिस्सा लेकर बच्चे की प्रगति तथा प्रदर्शन पर चर्चा करनी चाहिए।

अभिभावकों को अपने संपर्क या टेलीफोन नंबर में बदलाव की जानकारी विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्रों को अवश्य देनी चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को नियमित रूप से और उचित समय पर विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र भेजना चाहिए,

गतिविधि

भाई-बहनों की भी छोटे बच्चों के विकास में अहम भूमिका होती है। विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों में बच्चों के भाई-बहनों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियाँ सुझाएँ।

साथ ही साथ उन्हें बच्चों की साफ़-सफ़ाई, पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ, स्वच्छ पेयजल आदि भी उपलब्ध कराना चाहिए। यदि माता-पिता की कोई विशेष रुचि है और वे किसी प्रकार की प्रतिभा रखते हैं, जैसे— कविता पाठ, कहानी सुनाना, कठपुतली तैयार करना, कम लागत के मनोरंजक खिलौने बनाना, पोषक व्यंजन बनाने की सरल विधियाँ आदि, तो उन्हें भी विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र की गतिविधियों में संदर्भ व्यक्ति के तौर पर भाग लेने का आमंत्रण देना चाहिए।

गतिविधि

मान लीजिए कि आपके क्षेत्र में विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं हैं। अपने क्षेत्र में एक नये विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र स्थापित करने के लिए एक विस्तृत योजना तैयार करें।

3.6 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

वि.प्र.स. सुनिश्चित करे कि—

- वि.प्र.स. द्वारा विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपरोक्त बुनियादी बातों का ध्यान रखा जाए।

- वि.प्र.स. के सदस्य आँगनवाड़ी केंद्रों की ज़रूरतों की पहचान करने के लिए आँगनवाड़ी केंद्र जा सकते हैं और विद्यालय-पूर्व शिक्षाकर्मियों, अधिकारियों को सुझाव दे सकते हैं। उदाहरण के लिए आँगनवाड़ी केंद्रों में सभी बच्चों का आना-जाना सुगम बनाने हेतु सुझाव, पीने के पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने संबंधी सुझाव आदि।

- जिन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया गया हो या अनसुलझे मुद्दों के बारे में उपयुक्त प्राधिकारियों को सूचित किया जाए।
- वि.प्र.स. उन बच्चों की पहचान में सहायता दे सकती है जिन्हें दिव्यांगता होने की आशंका हो सकती है। इसके लिए वि.प्र.स. आस-पास के विद्यालय के संदर्भ शिक्षकों की मदद से चिकित्सा आकलन शिविर का आयोजन कर सकती है।
- वि.प्र.स. के सदस्य ज़ागरूकता और अभिविन्यास कार्यक्रम के द्वारा दिव्यांगता आशंकित बच्चों के माता-पिता की बातचीत

उन बच्चों के माता-पिता से करा सकते हैं, जिनको सही समय पर उचित परामर्श और स्वास्थ्य सुविधाएँ मिलने से लाभ हुआ हो। इससे सकारात्मक सामाजिक संबंध, मित्रता, स्वीकार्यता, मनोवृत्ति में बदलाव और एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने में मदद मिल सकती है।

गतिविधि

आइए, अपने आस-पास के वंचित समूहों या दिव्यांग बच्चों की पहचान करें, जो विद्यालय-पूर्व शिक्षा कार्यक्रमों में नहीं जा रहे हैं। विद्यालय-पूर्व शिक्षा केंद्र के शिक्षाकर्मियों से मिलें और उन्हें संरचनात्मक, गतिविधियों तथा सामग्रियों में आवश्यकतानुसार अनुकूलन और बदलाव का सुझाव दें।

अध्याय 4

दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा

4.1 प्रत्येक विद्यार्थी की महत्ता

प्रत्येक विद्यार्थी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक विद्यार्थी एक-दूसरे से भिन्न है। यह भिन्नता ही किसी विद्यार्थी की विशेषता होती है, जो न केवल कक्षा में बल्कि समाज में भी उसे महत्वपूर्ण स्थान देती है। दिव्यांगता भी एक ऐसी ही सामाजिक विविधता है जो व्यक्ति और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र को भी प्रभावित करती है। इसलिए समाज का यह दायित्व हो जाता है कि दिव्यांग बच्चों की शिक्षा एवं समुचित देखभाल सुनिश्चित करे।

4.2 दिव्यांगता का अर्थ

दिव्यांगता से तात्पर्य *दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016* में सूचीबद्ध दिव्यांगताओं से है जो संवेदनात्मक, शारीरिक, मानसिक या बौद्धिक दीर्घकालीन क्षीणता के कारण होती हैं।

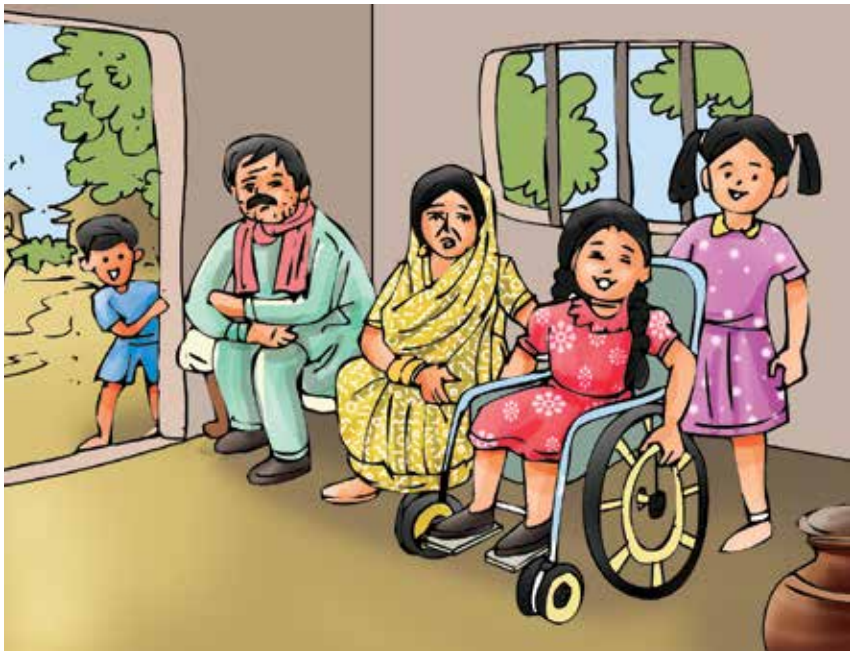

दिव्यांग विद्यार्थी, अन्य विद्यार्थियों के समान ही अपने आस-पास के परिवेश में कई लोगों से मिलते-जुलते हैं, विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं तथा अनेकानेक गतिविधियाँ करते हैं। कई बार परिवेश, विद्यार्थियों की ज़रूरतें पूरी करने के लिए उपयुक्त नहीं होता है और उनके द्वारा किसी कार्य के निष्पादन या प्रतिभागिता में बाधक हो सकता है। उदाहरण के लिए, नल का हैंडल यदि कोई बच्चा अपने हाथ की विकृति के कारण ठीक से नहीं पकड़ सकता तो

वह पानी पीने के लिए नल का उपयोग नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार दिव्यांगता के कारण कुछ विद्यार्थियों को प्रतिदिन की गतिविधियों, जैसे—नहाना, ब्रुश करना, पढ़ना और लिखना इत्यादि सीखने में देरी होती है।

4.3 सूचीबद्ध दिव्यांगता

आइए, दिव्यांगता की विभिन्न प्रकारों, इनके संकेतकों और आवश्यक सहायक सेवाओं के बारे में चर्चा करें—

4.3.1 गति विषयक दिव्यांगता

रमणी और मुनु की कहानी पढ़ें—

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गां.बा.वि.) में जिला शिक्षा अधिकारी के दौरे के समय मुनु की सहपाठी रमणी, जो वि.प्र.स. की विद्यार्थी-सदस्या भी है, उसने बताया कि मुनु के पास पहिये वाली कुर्सी (व्हील चेयर) नहीं है। उसे विद्यालय के प्रांगण और छात्रावास में इधर-उधर जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बचपन से ही मुनु का निचला

ध्यान दें—

- *दिव्यांगता का तात्पर्य 'असमर्थता' या 'निराशा' से नहीं है।*
- *दिव्यांग विद्यार्थियों को विभिन्न कार्यों को करने के लिए उसी तरह व्यक्तिगत सहायता की आवश्यकता हो सकती है जिस तरह किसी अन्य विद्यार्थी को सहायता की ज़रूरत होती है।*
- *उचित अवसर और सहयोग से हर दिव्यांग विद्यार्थी सीख सकता है।*
- *प्रारंभिक पहचान और आवश्यक सेवाएँ दिव्यांग बच्चों में बेहतर परिणाम लाती हैं।*
- *नियमित प्रशिक्षण व सहयोग से ऐसे विद्यार्थियों की जीवन शैली में गुणवत्तापूर्ण बदलाव संभव है।*

गतिविधि

आइए, हम संदर्भ शिक्षक को साथ लेकर आस-पास के आवासीय विद्यालय, जैसे क.गां.बा.वि. या आश्रम विद्यालय का दौरा करें और विद्यालय में भवन की सुगम्यता, उपलब्ध सुविधाओं और उपकरणों की सुलभता का सर्वेक्षण करें।

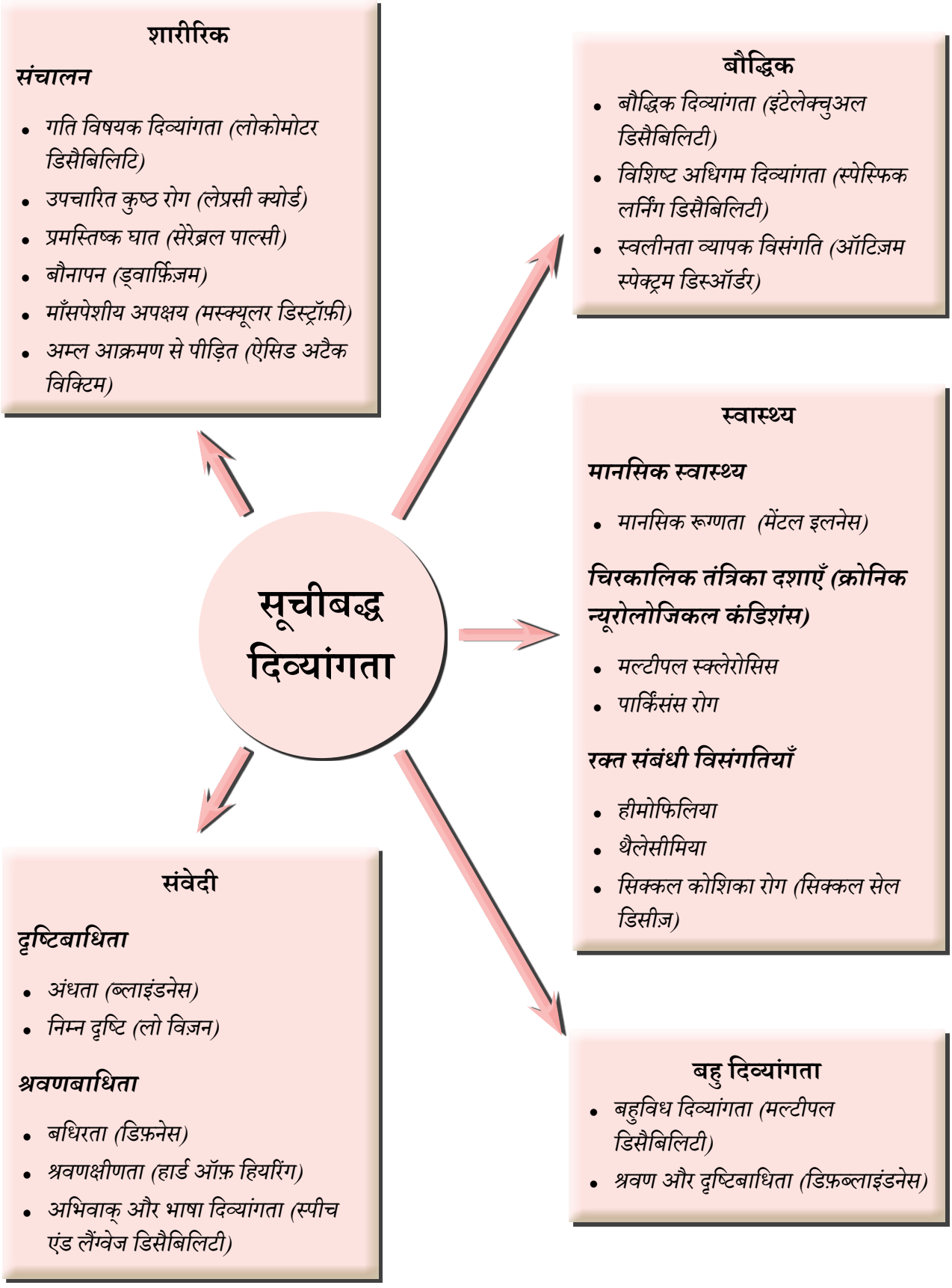

सूचीबद्ध दिव्यांगता

शारीरिक

संचालन

- *गति विषयक दिव्यांगता (लोकोमोटर डिसैबिलिटि)*
- *उपचारित कुष्ठ रोग (लेप्रसी क्योर्ड)*
- *प्रमस्तिष्क घात (सेरेब्रल पाल्सी)*
- *बौनापन (ड्वार्फ़िज़म)*
- *माँसपेशीय अपक्षय (मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफ़ी)*
- *अम्ल आक्रमण से पीड़ित (ऐसिड अटैक विक्टिम)*

बौद्धिक

- *बौद्धिक दिव्यांगता (इंटेलेक्चुअल डिसैबिलिटी)*
- *विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता (स्पेस्फिक लर्निंग डिसैबिलिटी)*
- *स्वलीनता व्यापक विसंगति (ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)*

स्वास्थ्य

मानसिक स्वास्थ्य

- *मानसिक रूग्णता (मेंटल इलनेस)*

चिरकालिक तंत्रिका दशाएँ (क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडिशंस)

- *मल्टीपल स्क्लेरोसिस*
- *पार्किंसंस रोग*

रक्त संबंधी विसंगतियाँ

- *हीमोफिलिया*
- *थैलेसीमिया*
- *सिक्कल कोशिका रोग (सिक्कल सेल डिसीज़)*

संवेदी

दृष्टिबाधिता

- *अंधता (ब्लाइंडनेस)*
- *निम्न दृष्टि (लो विज़न)*

श्रवणबाधिता

- *बधिरता (डिफ़नेस)*
- *श्रवणक्षीणता (हार्ड ऑफ़ हियरिंग)*
- *अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता (स्पीच एंड लैंग्वेज डिसैबिलिटी)*

बहु दिव्यांगता

- *बहुविध दिव्यांगता (मल्टीपल डिसैबिलिटी)*
- *श्रवण और दृष्टिबाधिता (डिफ़ब्लाइंडनेस)*

अंग पोलियो से प्रभावित था। जिला शिक्षा अधिकारी ने तुरंत ही उस प्रखंड के विद्यालयों की संदर्भ शिक्षिका से संपर्क किया। संदर्भ शिक्षिका ने बताया कि मुनु ने दो महीने पहले ही विद्यालय में दाखिला लिया है और व्हील चेयर के लिए उसका चिकित्सीय परीक्षण अभी नहीं कराया जा सका है। उसने यह भी बताया कि संसाधन कक्ष में भी व्हील चेयर उपलब्ध नहीं है। बाद में संदर्भ शिक्षिका ने किसी अन्य प्रखंड संसाधन केंद्र के कार्यालय से व्हील चेयर की व्यवस्था की। अगले दिन, मुनु ने व्हील चेयर का उपयोग किया और वह अपनी व्हील चेयर को चलाने की कला सीखने लगी।

संकेतक

- चलने में या गतिविधियों के लिए हाथों का उपयोग करने में कठिनाई।
- विकृति/जकड़न/ अपूर्ण अंग या अपंगता।
- हड्डियाँ, जोड़, रीढ़, माँसपेशियाँ या शरीर के अन्य अंगों का प्रभावित होना।
- पोलियो से प्रभावित अंगों में पतलापन।

शारीरिक चिकित्सा देकर उन विद्यार्थियों की सहायता की जाती है जिनके हाथ-पैर किसी आघात या दिव्यांगता से प्रभावित होते हैं। यह चिकित्सा किसी प्रशिक्षित शारीरिक चिकित्सक के द्वारा दी जाती है।

- बैठने, चलने-फिरने, दौड़ने जैसी गतिविधियों के तरीके एवं शारीरिक स्थिति में विचित्रता।
- एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए व्हील चेयर, बैसाखी और कृत्रिम अंगों का उपयोग।

व्यावसायिक चिकित्सा द्वारा शारीरिक या मानसिक क्षीणताओं से प्रभावित विद्यार्थी को सार्थक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने के लिए सहायता दी जाती है। यह चिकित्सा किसी प्रशिक्षित व्यावसायिक चिकित्सक के द्वारा दी जाती है।

सहायक सेवाएँ

शारीरिक चिकित्सा (फिजियोथैरेपी), व्यावसायिक चिकित्सा (ऑक्यूपिशनल थैरेपी), स्वजीवनयापन के लिए प्रशिक्षण।

सहायक उपकरण

बैसाखी, वॉकर, व्हील चेयर, विशेष जूते, कृत्रिम अंग और अन्य सहायक उपकरण, जैसे— हाथ की पट्टी।

4.3.2 उपचारित कुष्ठ रोग

इस कहानी को पढ़ें और चर्चा करें—

विद्यालय स्वास्थ्य कर्मचारी, आशा, 11 साल के एक लड़के वसीम की जाँच कर रही थी। उसने देखा कि उसके दाहिने हाथ की हथेली पर घाव है। घाव पीड़ारहित था और उन्होंने दाहिने हाथ की छोटी उंगली के पंजे की विकृति भी देखी। उन्होंने इस बारे में मुख्य शिक्षक को सूचित किया और अनुरोध किया कि उसे पास के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से परामर्श करना चाहिए। मुख्य शिक्षक ने वि.प्र.स. के अध्यक्ष से विद्यार्थी और उसके माता-पिता के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा परामर्श के लिए जाने और उनकी सहायता करने के लिए कहा।

रोग से संबंधित पिछली जानकारी विस्तार से जानने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक को यह पता चला कि छोटी उंगली की विकृति लगभग छह महीने पहले ही विकसित हो चुकी थी और वह अपने गाँव के ही किसी व्यक्ति से पारंपरिक विधि से इलाज करवा रहा था।

प्र. 1. वसीम की इस स्थिति से आप लोग क्या समझते हैं?

प्र. 2. वसीम को चिकित्सीय उपचार में कैसे सहायता मिलेगी?

प्र. 3. कुष्ठ रोग के संचरण को नियंत्रित करने के लिए कौन-कौन से उपाय किए जा रहे हैं?

संकेतक

- त्वचा पर सफ़ेद/पीले रंग के धब्बे तथा उसे स्पर्श करने पर कोई अनुभूति न होना।
- त्वचा का जली हुई त्वचा के जैसा दिखना।
- हाथ/पैर में क्षति/विकृति/विच्छेदन।
- मोटे या गांठदार बाहरी कान और मोटी नसें।
- त्वचा पर घाव, सूजन व गांठ पड़ने से अंगों में विकृति।

परामर्श के अंतर्गत व्यक्तिगत या मनोवैज्ञानिक समस्याओं को हल करने के लिए नैदानिक सहायता और मार्गदर्शन दिया जाता है। यह परामर्श सेवा, किसी प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रदान की जाती है।

सहायक सेवाएँ

सहायक सेवाओं में शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, चिकित्सीय सेवाएँ, परामर्श इत्यादि शामिल हैं। घावों की सुरक्षा के लिए इन विद्यार्थियों को अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होती है और कक्षा की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें प्रोत्साहन और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। विभिन्न शारीरिक और मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों के लिए इन विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

सहायक उपकरण

हाथ की पट्टी (हैंड स्प्लिन्ट्स), विशेष जूते, बैसाखी, वॉकर, व्हील चेयर इत्यादि।

4.3.3 प्रमस्तिष्क घात

इस कहानी को पढ़ें और चर्चा करें—

मेंजो, ज़्यादातर प्राथमिक विद्यालय के बाहर कटहल के पेड़ की छाया में पूरे दिन बिना कोई काम के अपनी बैसाखी बगल में रखकर खाली बैठा रहता था। उसके हाथ-पैरों में जकड़न है। उसे चलने-फिरने में कठिनाई होती है। संदर्भ शिक्षिका ने बताया कि पहले वह पाँचवीं कक्षा तक इसी विद्यालय में पढ़ता था। चूँकि उच्च प्राथमिक विद्यालय उसके गाँव से बहुत दूर है, इसलिए उसके माता-पिता उसे रोज़ाना विद्यालय ले जाने में असमर्थ हैं। अब मेंजो, गृह आधारित शिक्षा प्राप्त कर रहा है।

संकेतक

- अंगों में जकड़न/लचीलापन।
- शारीरिक गतिविधियों में असमन्वय।
- शारीरिक स्थिति व अवस्थाओं में असमानता।
- शरीर के विभिन्न अंगों विशेषकर हाथ और पैरों में जकड़न/शिथिलता।
- चलते समय, पैरों का आपस में टकराना (क्रॉस लेग)।
- कई बच्चों में लार टपकना।
- अस्पष्ट बोली।

सहायक सेवाएँ

शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाक् चिकित्सा और दिनचर्या की गतिविधियों में प्रशिक्षण, व्यवहार सुधार एवं गंभीर स्थिति वाले विद्यार्थियों के लिए गृह आधारित सेवाएँ।

सहायता और उपकरण

हाथ की पट्टी, विशेष जूते, बैसाखी, वॉकर, व्हील चेयर, संप्रेषण पट्ट आदि।

4.3.4 बौनापन

जीतुमनी के विद्यालयी अनुभवों को पढ़ें—

जीतुमनी अपने अनुभवों को बताते हुए कहता है कि उसे एक विद्यालय में दाखिला मिला और वह अध्ययन में बहुत रुचि रखता था, लेकिन उसके सहपाठियों और विद्यालयों के अन्य कर्मचारियों के कारण उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वे सब हमेशा उसके बौनेपन का मज़ाक बनाते थे और उसे भद्दे नामों से पुकारते थे। एक समय पर मज़ाक बर्दाश्त से बाहर हो गया और एक दिन उसने अपने माता-पिता से कहा कि उसे अब विद्यालय नहीं जाना है। लेकिन इस अपमान के बावजूद जीतुमनी ने हार नहीं मानी उसने मुक्त विद्यालय में अपना नामांकन कराया और पिछले वर्ष वहीं से उसने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण की।

संकेतक

- छोटे अंग, विशेष रूप से पैरों और बांहों का ऊपरी भाग।
- छोटी अंगुलियाँ, अंगूठे और बीच की अंगुली के बीच ज़्यादा अंतर।
- कोहनी की सीमित गति।
- मुड़े हुए पैर।
- बड़ा सिर, बड़ा ललाट और चपटी नाक।
- मुड़ी हुई रीढ़ की हड्डी।
- संतुलन की समस्या।
- हड्डियों और जोड़ों में विकृति।

सहायक सेवाएँ

शारीरिक विकास के लिए हार्मोंस संबंधी चिकित्सा, शारीरिक उपचार, शारीरिक चिकित्सा, परामर्श और मार्गदर्शन, पोषण संबंधी हस्तक्षेप तथा शारीरिक व्यायाम आदि। कटा हुआ तालु, मुड़े हुए पैर, दाँत, रीढ़, मस्तिष्क से अतिरिक्त तरल पदार्थ निकालने के लिए, रीढ़ की हड्डी में संकुचन, श्वास में सुधार इत्यादि के लिए शल्य चिकित्सा।

सहायक उपकरण

हाथ की पट्टी, विशेष जूते, बैसाखी, वॉकर आदि।

4.3.5 माँसपेशीय अपक्षय

अयान और अवान की कहानी पढ़ें—

विद्यालय के साप्ताहिक दौरे के समय संदर्भ शिक्षक ने देखा कि अयान दूसरे विद्यार्थियों की तुलना में सीढ़ियों पर धीमी गति से चढ़ रहा था। उन्होंने अयान को चिकित्सक को दिखाने का सुझाव दिया। माता-पिता ने चिकित्सक को दिखाया और उन्हें बताया गया कि सब कुछ ठीक है। पर उनका मन नहीं माना और इसलिए वे अयान को बच्चों के विशेषज्ञ को दिखाने ले गए। चिकित्सक ने शारीरिक रूप से अयान की जाँच की और उसकी पिंडली की माँसपेशियों को देखकर चिंता व्यक्त की। परिवार के सभी सदस्यों को रक्त जाँच के लिए भेजा गया और तब उन्हें पता चला कि केवल अयान ही नहीं बल्कि उसके छोटे भाई अवान को भी माँसपेशीय अपक्षय का रोग है। अयान अब पहिये वाली कुर्सी का उपयोग करता है। छः वर्ष के अवान को घुटने की पट्टी (ऐंक्लट स्प्लिंट्स) लगाई गई है। दोनों अब किसी दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिसमें जाना सुगम्य है।

संकेतक

- पैदल चलते समय अक्सर गिर पड़ना।
- लेटने या बैठने की स्थिति से उठने में कठिनाई।
- दौड़ने और कूदने में परेशानी।
- पैरों के पंजों पर चलना।
- पिंडली की बढ़ी हुई माँसपेशियाँ।
- माँसपेशियों में कमज़ोरी, दर्द और जकड़न।
- रीढ़ की हड्डी में टेढ़ापन।
- सीखने की समस्या।

सहायक सेवाएँ

इस बीमारी का उपचार संभव नहीं है। शारीरिक चिकित्सा, संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के लिए दवा, परामर्श और मार्गदर्शन, पोषण संबंधी हस्तक्षेप, शारीरिक व्यायाम, विभिन्न गतिविधियों में प्रतिभागिता, कार्यात्मक शिक्षण गतिविधियों, व्यक्तिगत गतिविधियों, सामाजिक गतिविधियों और मनोरंजक गतिविधियों आदि में प्रशिक्षण, अनुकूलित पाठ्यचर्या तथा व्यक्तिगत सहयोग, गंभीर दिव्यांगता वाले एवं विद्यालय न जा सकने वाले विद्यार्थियों के लिए गृह आधारित सेवाएँ।

सहायक उपकरण

पैरों की पट्टी (फुट ब्रेसिज़), हाथ की पट्टी (हैंड स्प्लिंट्स), मेरुदंड की पट्टी (स्पाइनल ब्रेसिज़), बैसाखी, वॉकर, पहिये वाली कुर्सी (व्हील चेयर) आदि।

4.3.6 अम्ल आक्रमण (ऐसिड अटैक) से पीड़ित

समुंद्री की कहानी पढ़ें—

समुंद्री अब 6 वर्ष की हो चुकी है, उसने हाल ही में अम्लीय हमले के पीड़ितों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था की मदद से विद्यालय में प्रवेश लिया है। जब वह सिर्फ़ 10 महीने की थी तो उसे कूड़ेदान में फेंक दिया गया था। वह एक राहगीर को मिली। उसे फेंकने से पहले उस पर अम्ल डाला गया था, जिसकी वज़ह से उसका चेहरा और शरीर गंभीर रूप से जल गया था। उसकी एक आँख फिर से खुल गई है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि वह देख सकती है या नहीं। उसकी नाक को आंशिक रूप से फिर से बनाया गया है और उसका मुँह अब खुल सकता है। अब वह सामान्य तरीके से बोल और खा सकती है। अभी समुंद्री का केवल एक कान सामान्य है, दूसरे कान का केवल चौथाई हिस्सा ही बचा है। उसे जीवनभर अपने त्वचा प्रत्यारोपण की प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्योंकि अम्लीय आक्रमण ने न केवल उसके चेहरे की माँसपेशियों को ही क्षति पहुँचाई है, बल्कि उसकी त्वचा भी बढ़ती हुई हड्डियों के अनुरूप पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ पा रही है।

संकेतक

- त्वचा पर जले का निशान और क्षतिग्रस्त ऊतक।
- प्रभावित अंगों में विकृति।
- सूजी, फूली हुई लाल त्वचा।
- त्वचा पर पसीना नहीं आता, शुष्क त्वचा।
- धूप, आग या शुष्क मौसम में जली हुई त्वचा में जलन।
- त्वचा में संक्रमण।
- यदि जोड़, गर्दन आदि प्रभावित हो तो शरीर के अंगों की गति में अवरुद्धता।
- यदि हाथ-पैर, आँख या कान प्रभावित हो, तो उस अंग में या दृष्टि, सुनने आदि में क्षीणता/बाध्यता।
- अवसाद, अम्लीय हमले से संबंधित भयावह यादें और बुरे सपने आना।

घाव का उपचार में जले ऊतकों की सफ़ाई, धूल साफ़ करके और मृत ऊतक हटाना (डीब्रीड्मेंट) शामिल है।

त्वचा की प्रतिस्थापन (ग्राफ्टिंग) में शरीर के अन्य हिस्से से स्वस्थ त्वचा लेकर जले हुए हिस्सों पर प्रत्यारोपित किया जाता है।

सहायक सेवाएँ

संक्रमणों की रोकथाम और इलाज, दर्द-निवारण चिकित्सा, त्वचा में जलन के लिए दवा, घाव का उपचार, शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक उपचार से त्वचा का प्रतिस्थापन,

प्रोटीनयुक्त भोजन, रक्तल में हीमोग्लोबिन स्तर की नियमित जाँच, चरणबद्ध सुधारात्मक सर्जरी, नियमित मालिश, कॉस्मेटिक सर्जरी, समाज में पुनः समेकन हेतु सहयोग, महंगे इलाज के लिए वित्तीय सहयोग, परामर्श सेवाएँ।

4.3.7 अंधता

कुहू की कहानी—

पीहु और कुहू जुड़वाँ बहनें हैं। उनके पिता ने कक्षा एक में पीहु के दाखिले के लिए पास के विद्यालय में संपर्क किया। मुख्य शिक्षक ने पिता से कुहू की भी पढ़ाई के बारे में पूछा। पिता ने उत्तर दिया कि वह जन्म से ही नहीं देख सकती है और अभी तक उसका किसी भी विद्यालय में दाखिला नहीं हुआ है। पिता ने यह भी बतलाया कि वैसे तो वह सब कुछ समझती और स्वयं करती है। उन्होंने पूछा, 'क्या कुहू विद्यालय आ सकती है?' मुख्य शिक्षक मुस्कुराए और कहा कि बेशक कुहू इस विद्यालय में सभी विद्यार्थियों के साथ अपनी पढ़ाई कर सकती है। पिता चिंतित थे कि यह कैसे संभव होगा— उन्होंने तुरंत मुख्य शिक्षक से यह प्रश्न पूछा। मुख्य शिक्षक ने उन्हें 'एतवा' को देखने के लिए कहा जो चौथी कक्षा का छात्र है, ब्रेल पढ़ना और लिखना सीख रहा है। मुख्य शिक्षक के साथ पिता ने 'एतवा' से बातचीत की और वे उसी विद्यालय में कुहू का दाखिला कराने के लिए सहमत हो गए। पीहु और कुहू दोनों ने खुशी-खुशी विद्यालय जाना शुरू कर दिया।

संकेतक

- दृष्टि क्षीणता।
- कई लोग दिन और रात के बीच में अंतर कर सकते हैं, लेकिन दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों के लिए दृष्टि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, चलते समय वस्तुओं से टकरा जाते हैं।
- अनियंत्रित रूप से पुतलियों का घूमना और पलकों का झपकना।
- आँखों में संरचनात्मक विकृति।
- सिर को एक तरफ झुकाकर सुनने या जबाव देने की प्रवृत्ति।
- मौखिक सूचनाओं का ही जबाव देना।
- बच्चे कभी-कभी अवांछनीय व्यवहार करते हैं, जैसे— सिर को हिलाते रहना, अजीब आवाजें निकालना, अपने आप में बुदबुदाना इत्यादि।

अनुस्थिति एवं गामक कौशल प्रशिक्षण (ओरियंटेशन एंड मोबिलीटि स्किल्स)— दृष्टिबाधित और निम्नदृष्टि वाले सभी उम्र के लोगों को सुरक्षित, कुशल और प्रभावी गामक कौशल सिखाया जाता है—

- *'अनुस्थिति' के अंतर्गत स्वयं की स्थिति और गंतव्य स्थान की संबंधित स्थिति को जानने की कुशलता का प्रशिक्षण दिया जाता है।*
- *'गामक कौशल' में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की कुशलता का विकास किया जाता है।*

संवेदी प्रशिक्षण

सीखने के लिए श्रवण, स्पर्श, स्वाद और गंध जैसी संवेदनाओं के पूर्णतया उपयोग के लिए प्रशिक्षण।

सहायक सेवाएँ

यौगिक (प्लस) पाठ्यचर्या में अनुस्थिति एवं गामक कौशल, संवेदी गतिविधियों, दिनचर्या की गतिविधियों, ब्रेल में पढ़ने-लिखने, शारीरिक और खेल गतिविधियों का अनुकूलन शामिल होता है।

सहायक उपकरण

ब्रेल किट, टेलर फ्रेम, अबेकस, ज्यामितीय उपकरण (जियोमेट्री किट), अनुकूलित पठन सामग्री, ब्रेल/डिजिटल/टॉकिंग बुक, ऑडियो टेप, सफेद छड़ी (व्हाइट केन), अनुकूलित खेल सामग्री, उभरी हुई और स्पर्शयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री (मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, आरेख आदि)।

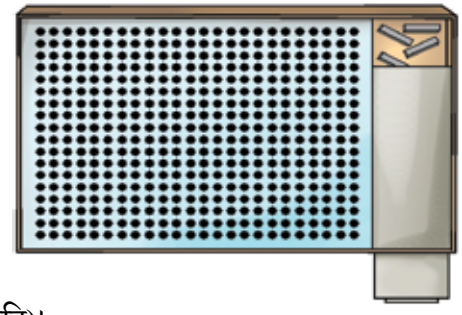

4.3.8 न्यून दृष्टि

इस कहानी को पढ़ें और चर्चा करें—

सविता एक सरकारी विद्यालय में प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका है। उस विद्यालय में भिन्न-भिन्न दिव्यांगताओं से प्रभावित चार विद्यार्थी 'पुन्नी', 'टुनू', 'कोंडू' और 'ताली' भी पढ़ते हैं। सविता का एक बेटा है जो कक्षा 8 में पढ़ता है और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम 'समाया' है। उसे देखने में कठिनाई होती है। तीन साल की उम्र में समाया की आँखों की सर्जरी हुई थी। वह 28 डाइऑप्टर लेंस के चश्मे का प्रयोग कर रही है। समाया, अब विद्यालय जाने लायक हो गई है, पर उसकी माँ को चिंता है कि उसे विद्यालय में अतिरिक्त देखभाल की ज़रूरत होगी, क्योंकि वह अक्सर गिरती-पड़ती रहती है और चलते समय राह में आने वाली वस्तुओं से टकरा जाती है। वह अपनी बेटी के लिए एक उपयुक्त विद्यालय ढूंढ़ रही है। इसके अलावा वह विभिन्न विशेषज्ञों से राय भी ले रही है कि क्या उसकी बेटी दिव्यांग है? क्या उसकी बेटी अपने बड़े भाई की तरह पढ़ सकती है?

गतिविधि

आइए, दृष्टिबाधित प्रभावित विद्यार्थियों की दिन-प्रतिदिन की ज़रूरतों के बारे में चर्चा करें और विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में उनकी सहज प्रतिभागिता हेतु उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के तरीकों का पता लगाएँ।

संकेतक

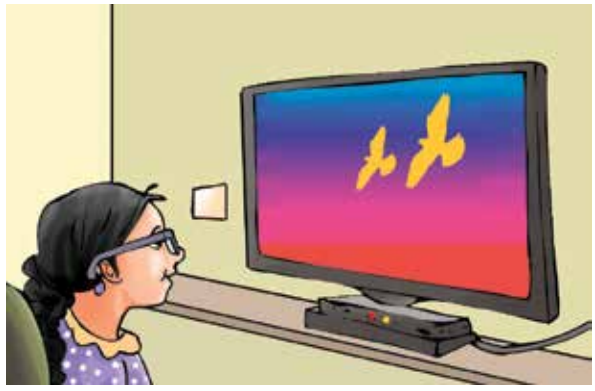

- टीवी को काफ़ी नजदीक बैठकर देखना या किताब को आँखों के बिल्कुल करीब रखकर पढ़ना।
- पढ़ते समय एक वाक्य से किसी और वाक्य पर चले जाना।
- बेहतर देखने के लिए आँखों को मीचना और सिर को एक तरफ़ झुका कर देखना।
- बार-बार आँखें मलना।
- प्रकाश में आँखें चौंधना या आँखों से अत्यधिक पानी आना।
- पढ़ने, टीवी देखने या बेहतर देखने के लिए एक आँख बंद करके देखना।
- ऐसी गतिविधियों से बचना जिसमें निकट दृष्टि (पढ़ने या होमवर्क करने) या दूर की दृष्टि (खेल या अन्य मनोरंजक गतिविधि) की अधिक आवश्यकता होती है।
- सिरदर्द या आँखों में दर्द की शिकायत।
- एक या दोनों आँखों में तिरछापन।
- आँखों-हाथों/आँखों-शरीर के तालमेल में कमी।
- पुस्तक पढ़ने, पहेलियाँ सुलझाने वाले खेल खेलने और अन्य दृष्टिगत गतिविधियों में रुचि न होना।
- पढ़ने के लिए आवर्धक लेंस का उपयोग करना।

गतिविधि

आइए, किसी कक्षा में पढ़ रहे विद्यार्थियों के लिए एक गतिविधि चुनें। उस गतिविधि में भाग लेने के लिए एक निम्नदृष्टि वाले विद्यार्थी की सहायता करने पर चर्चा करें।

सहायक सेवाएँ

यौगिक पाठ्यचर्या, आवर्धक लेंस का उपयोग, बड़े आकार में छपे शब्दों को पढ़ना इत्यादि।

सहायक उपकरण

चश्मा, आवर्धक उपकरण, बड़े आकार में छपी पुस्तकों का उपयोग, उभरी हुई और स्पर्शयुक्त शिक्षण अधिगम सामग्री (मानचित्र, ग्लोब, चार्ट, मॉडल, आरेख आदि) ब्रेल स्लेट, टेलर फ्रेम, सफ़ेद छड़ी (व्हाइट केन), अबेकस, न्यूनदृष्टि हेतु उपकरण (लो विज़न एड), स्क्रीन-रीडर और स्कैनिंग सॉफ़्टवेयर।

4.3.9 श्रवणबाधिता (बधिरता और श्रवणक्षीणता)

इस कहानी को पढ़ें—

एक गाँव में नामांकन अभियान के दौरान वि.प्र.स. के सदस्यों के साथ दो शिक्षकों ने सर्वेक्षण किया। वे 'लूथरा' के घर पहुँचे। उनका बेटा 'बोधो' अपनी बड़ी बहन 'शमनी' के साथ खेल रहा था। अपने शिक्षकों को घर में देखकर शमनी उनकी ओर भागी और उनका अभिवादन किया। शिक्षक ने उसके पिता को बताया कि उन्हें शमनी से 'बोधो'

के बारे में पता चला। फिर उन्होंने वि.प्र.स. के सदस्यों से इस बारे में चर्चा की कि बोधो का नाम विद्यालय में नामांकित नहीं है। लूथरा ने कहा कि बोधो विद्यालय नहीं जा सकता, क्योंकि वह सुन और बोल नहीं सकता है। वि.प्र.स. के सदस्यों और शिक्षकों ने उनके पिता को बोधो की शिक्षा के लिए समझाया और उसके बाद वे अपने बच्चे को विद्यालय में दाखिल कराने के लिए सहमत हो गए। लूथरा ने यह भी बताया कि उसी गाँव में तीन और बच्चे हैं जो सुन और बोल नहीं सकते हैं। उन्होंने दल के साथ जाकर उन बच्चों के घर पर लोगों से मुलाकात की। शमनी बहुत खुश थी। वह खुशी से उछल रही थी और बोल रही थी कि उसका भाई भी उसके साथ विद्यालय जाएगा।

वाक् चिकित्सा

बोलने या संप्रेषण की समस्या वाले विद्यार्थियों की सहायता व प्रशिक्षण के लिए इस उपचार पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह उपचार प्रशिक्षित वाक् चिकित्सक द्वारा किया जाता है।

श्रवण परीक्षण

किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता का मूल्यांकन करना श्रवण परीक्षण है। बधिरता और सुनने की कठिनाई वाले विद्यार्थियों की पहचान श्रवण परीक्षण द्वारा की जाती है।

संकेतक

- टीवी/रेडियो की आवाज़ को बढ़ाकर सुनना।
- सुनने की समस्या के कारण मौखिक प्रश्नों का उत्तर ठीक से न दे पाना।
- पुकारने पर अक्सर जवाब नहीं देना।
- साफ़ न बोल पाना या बोलने/भाषा के विकास में देरी।
- कानों में दर्द या ऊँचा सुनने की शिकायत करना।
- दूसरों द्वारा कही गई बातों को न समझ पाना।
- अपनी उम्र के अन्य बच्चों से अलग तरह से बोलना।
- शुरुआती अवस्था में कई बच्चे प्राय: अपने कानों के निरंतर बहने की शिकायत करते हैं।
- श्रवण यंत्र का उपयोग करना।
- अपनी आवश्यकताओं को इशारों/संकेतों से बताना।

सहायक सेवाएँ

वाक् चिकित्सा (स्पीच थैरेपी) और श्रवण परीक्षण (ऑडियोमेट्री), श्रवण यंत्र का प्रयोग कर संप्रेषण कौशल का प्रशिक्षण, उपकरणों की सहायता से संप्रेषण, श्रवण प्रशिक्षण, वैकल्पिक और संवर्धित संप्रेषण, मौखिक शिक्षण, सांकेतिक भाषा, समग्र संप्रेषण आदि का उपयोग करना।

सहायक उपकरण

श्रवण यंत्र (हियरिंग एड), संप्रेषण बोर्ड, वाक् संश्लेषक (स्पीच सिंथेसाइज़र) आदि।

4.3.10 अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता

क्या हरेन की आवाज वापस आएगी? आइए, उसकी कहानी पढ़ें—

वि.प्र.स. का एक सदस्य सहदेव अपने रिक्शे में हर मंगलवार और शुक्रवार को अभिवाक् और भाषा दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों को प्रखंड संसाधन केंद्र तक लेकर जाता है। प्रखंड संसाधन केंद्र में वाक् चिकित्सक आस-पास के विद्यालयों के विद्यार्थियों को वाक् चिकित्सा और भाषा प्रशिक्षण देते हैं। एक बार, सहदेव ने चिकित्सक को बताया कि करीब एक महीने पहले उसके 10 वर्षीय भतीजे हरेन को उसके घर में स्ट्रोक हुआ था। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अब वह चल-फिर सकता है, लेकिन बात नहीं कर पाता है। हरेन के माता-पिता उसकी इस समस्या से बहुत चिंतित हैं। चिकित्सक ने हरेन को एक बार प्रखंड संसाधन केंद्र लाने के लिए सुझाव दिया और कहा कि वे उसका परीक्षण फिर से करेंगे और उसके लिए वाक् चिकित्सीय प्रशिक्षण गतिविधियाँ तैयार करेंगे।

गतिविधि

आइए, हम कुछ सामान्य वस्तुओं और सामान्य गतिविधियों से संबंधित शब्दों की एक सूची तैयार करते हैं, जिसे बताने के लिए हम अपने दैनिक जीवन में संकेतों का उपयोग करते हैं।

संकेतक

- ध्वनियों, अक्षरों और शब्दों को दोहराना।
- ध्वनियों को खींचकर बोलना।
- कुछ शब्दों को बोलने से बचना।
- आवाज़ न निकलना।
- पतली/मोटी या धीमी/ऊँची आवाज़ में बात करना।
- शब्दों का अनुचित उपयोग।
- विचार व्यक्त करने में असमर्थता।
- बोलने में शब्दों की कमी और व्याकरणीय गलतियाँ।
- निर्देशों को न समझ पाना और न ही अनुपालन कर पाना।

सहायक सेवाएँ

वाक् चिकित्सा उपकरणों, जैसे स्पीच सिंथेसाइज़र की सहायता से संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण, उपकरणों की सहायता से संप्रेषण, वैकल्पिक और संवर्धित संप्रेषण, मौखिक शिक्षण, सांकेतिक भाषा, समग्र संप्रेषण आदि का उपयोग।

4.3.11 बौद्धिक दिव्यांगता

हीरामयीन की कहानी पढ़ें—

धनश्री, एक प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका है जिसे हीरामयीन को पढ़ाने में कठिनाई हो रही है। हीरामयीन एक नयी छात्रा है, जिसने कक्षा 4 में दाखिला लिया है। वह शिक्षिका की बात का उत्तर नहीं देती। वह समझ नहीं पाती है। वह दो शब्दों के वाक्य बोल लेती है। वह कक्षा में पिछली बैंच पर बैठती है। उसे सरल अक्षरों और संख्याओं को पढ़ना और लिखना नहीं आता है।

वह अपने दैनिक कार्यों को बहुत धीरे-धीरे करती है और उसे लगभग हर काम में किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षिका ने यह बात मुख्य शिक्षक को बताई। मुख्य शिक्षक ने संदर्भ शिक्षिका को विद्यालय में बुलाया। संदर्भ शिक्षिका, माता-पिता और धनश्री ने मिल-जुलकर बच्ची के बारे में विस्तार से चर्चा की और इस नतीजे पर पहुँचे कि उसे बौद्धिक दिव्यांगता है। उन्होंने मिलकर उसकी कक्षा की गतिविधियों और विद्यालय की अन्य गतिविधियों की योजना बनाई। संदर्भ शिक्षिका इस नयी विद्यार्थी के लिए बनाए गए कार्यक्रम के क्रियान्वयन को देखने हेतु नियमित रूप से विद्यालय आती रही। हीरामयीन को दैनिक गतिविधियों को सीखना और अक्षरों तथा संख्याओं को लिखना-पढ़ना शुरू कर दिया। हीरामयीन को नियमित रूप से प्रखंड संसाधन केंद्र ले जाना सुनिश्चित करने के लिए संदर्भ शिक्षिका और विद्यालय प्रबंधन समिति ने एक साथ बैठक की तथा गाँव की ही एक प्रखंड कर्मचारी को कहा कि वह हीरामयीन को हर सप्ताह अपने साथ संसाधन केंद्र ले जाए।

गतिविधि

आइए, विषय शिक्षक और संदर्भ शिक्षक से कक्षा की गतिविधियों में बौद्धिक दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों की भागीदारी के बारे में बातचीत करते हैं। उनके अधिगम के मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में भी जानते हैं।

संकेतक

- किसी कार्य को पूरा करने में बहुत ज़्यादा देरी या धीमापन।
- अपनी उम्र के बच्चों की तुलना में विकास में धीमापन, जैसे— दैनिक गतिविधियाँ, संप्रेषण, बैठना, खड़े होना, चलना आदि।
- दिन-प्रतिदिन के कार्य, व्यक्तिगत, सामाजिक, शैक्षिक गतिविधियों को सीखने में अधिक समय लेना।
- अनुदेशों का पालन ठीक से नहीं कर पाना।
- याद न रख पाना।
- अन्य बच्चों की तुलना में सुस्त दिखाई देना।
- कई बच्चे लार पर नियंत्रण नहीं कर पाते, असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं।
- इनका सिर छोटा या बड़ा या चेहरा मंगोलाइड हो सकता है।

सहायक सेवाएँ

व्यक्तिगत गतिविधियाँ, सामाजिक गतिविधियाँ और मनोरंजक गतिविधियाँ आदि का प्रशिक्षण, वाक् चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, मार्गदर्शन और परामर्श, व्यवहार सुधार, अनुकूलित पाठ्यचर्या, गतिविधियों का प्रदर्शन कर सिखाना, क्रियात्मक शैक्षिक गतिविधियाँ, व्यक्तिगत सहायता, विद्यालय न जा पाने वाले गंभीर दिव्यांगता वाले विद्यार्थी के लिए गृह आधारित सेवाएँ आदि।

4.3.12 विशिष्ट अधिगम दिव्यांगता

संदर्भ शिक्षिका, देबोतरी ने जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा निर्देशित एक प्रारंभिक विद्यालय का दौरा किया। वहाँ कक्षा 6 की शिक्षिका कुंभकली ने अपनी कक्षा के हिरक की शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी साझा की। कुंभकली ने बताया कि वह सरल वाक्यों को नहीं पढ़ सकता, दो अंकों को जोड़ना या घटाना भी नहीं जानता है। वह चार अक्षरों के शब्दों को लिखने में भी गलती कर देता है। श्रुतलेख लिखते समय या तो वह अक्षरों को छोड़ देता है या उन्हें गलत क्रम में लिखता है जैसे 'कलम' को 'मकल'। अनुच्छेद पढ़कर सुनाने पर वह उसे अपने शैक्षिक पिछड़ेपन के अलावा बाकी समझ नहीं पाता। सभी व्यवहार वह अपनी आयु के अनुसार उचित रूप से करता है।

संकेतक

- अक्षरों और उनकी ध्वनियों के बीच के संबंध को न समझ पाना।
- सामान्य शब्दों में भी भ्रमित होना, जैसे— 'बाजा', 'सड़क', 'सब्जी'।
- पढ़ने और वर्तनी में प्राय: त्रुटियाँ करना।
- गणित के संकेतकों से भ्रमित होना और गणना करने में त्रुटियाँ करना।
- अपने निजी सामानों को व्यवस्थित न रख पाना।
- अस्पष्ट लिखावट, आँखों और हाथों के तालमेल में कमी।
- तथ्यों को याद न रख पाना।
- व्याकुलता, ध्यान न लगाना और मनोदशा में अनायास विचलन होना।

संवेदना समन्वयन (सेंसरी इंटिग्रेशन)

यह संवेदनात्मक उद्दीपनों से मिली सूचनाओं के अनुरूप हमारी गतिविधियों को समन्वयित करने में तंत्रिका तंत्र की क्षमताओं के विकास में सहायता करता है। यह उपचार प्रशिक्षित व्यावसायिक चिकित्सक द्वारा दिया जाता है।

सहायक सेवाएँ

अनुकूलित पाठ्यचर्या और व्यक्तिगत सहायता, व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधियाँ, बहुसंवेगी गतिविधियों के द्वारा बेहतर अधिगम, संवेदी एकीकरण, व्यवहार सुधार,

व्यावसायिक चिकित्सा और वाक् चिकित्सा, सामाजिक कौशल और संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण।

4.3.13 स्वलीनता व्यापक विसंगति (ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम डिस्ऑर्डर)

यह कहानी पढ़ें—

आठ वर्ष का एलेक्स अपने गाँव के ही विद्यालय की चौथी कक्षा में पढ़ता है। ज़्यादातर वह अपनी खुद की गतिविधियों में लगा रहता है। वह सारा दिन एक पंख के साथ अकेला खेलता रहता है। वह लोगों से नज़रें नहीं मिलाता है। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता है। उसे कक्षा की गतिविधियों को सिखाने में शिक्षकों को बहुत मुश्किल होती है। उसके अधिगम और चिकित्सीय कार्यक्रम के लिए वे अक्सर संदर्भ शिक्षिका से सहायता लेते हैं।

गतिविधि

आइए, प्रखंड संसाधन केंद्र में चलें और स्वलीन विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की जानकारी हासिल करें।

संकेतक

- आँख नहीं मिलाना।
- विचित्र/एक ही जैसे व्यवहारों को दोहराना।
- बातचीत न कर पाना या बातचीत करने में त्रुटियाँ करना।
- दिनचर्या का पालन करने में कठिनाई।
- अपनी ही दुनिया में मग्न/खोए रहना।
- विचित्र तरीके से खेल-क्रियाओं में संलिप्त रहना, जैसे कपड़े/बैग से धागा निकालना या विचित्र चीज़ों से खेलना आदि।

सहायक सेवाएँ

संवेदना समन्वयक, व्यवहार सुधार, व्यावसायिक चिकित्सा और वाक् चिकित्सा, सामाजिक कौशल और संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण, अनुकूलित पाठ्यचर्या तथा

व्यक्तिगत सहायता, व्यवस्थित दिनचर्या, बेहतर अधिगम के लिए दृश्य प्रेरक पिक्चर कार्ड, सैंड पेपर कटिंग, कठपुतलियाँ या किसी अन्य बहुसंवेदनात्मक सामग्री का उपयोग करना।

4.3.14 मानसिक रूग्णता

इस कहानी को पढ़ें और लहसू के बारे में चर्चा करें—

लहसू कक्षा सात में पढ़ता है। अचानक ही उसने कुछ अलग तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया, जैसे अपने आप से बातें करना। वह बताता है कि उसे अपने आस-पास कुछ चीजें उड़ती दिखाई देती हैं और कोई उसे मार डालना चाहता है। कभी-कभी तो वह चुपचाप अपने आप में खोया रहता है। कभी अचानक ही वह गुस्सा दिखाता है और उग्र हो जाता है। विद्यालय के शिक्षकों ने उसके माता-पिता से चिकित्सीय सलाह लेने के लिए कहा। उसके माता-पिता बहुत गरीब थे। उन्होंने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक को दिखाया, जिन्होंने उसे शहर के अस्पताल भेज दिया। माता-पिता, फिर शिक्षक से मिले और उन्होंने शहर में उसकी चिकित्सा के लिए कुछ व्यवस्था कर दी। अब वह अपनी बीमारी की दवा ले रहा है और इस समय विद्यालय नहीं आ रहा है।

योग चिकित्सक विभिन्न बीमारियों और अस्वस्थता के उपचार के लिए योग अभ्यासों का प्रयोग करते हैं।

संकेतक

बच्चों को विभिन्न तरह की मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का अनुभव हो सकता है—

- दोस्तों और परिवार के लोगों से न मिलना-जुलना।
- बार-बार गुस्से में भड़कना, अपने आप में खोए रहना, उदासी और अवसाद।
- अनिद्रा/अतिनिद्रा।
- अपने आपको या दूसरों को चोट पहुँचाने का प्रयास करना।
- मनोदशा में बदलाव, उदासी या खोयापन का एहसास, जो कम से कम दो सप्ताह तक रहता है या स्वभाव में गंभीर परिवर्तन, जिसके कारण घर या विद्यालय में आपसी संबंधों का बिगड़ना।

- भय की अनुमति, बिना किसी कारण के भयभीत रहना, कभी दिल की धड़कन तेज हो जाना या सांस तेज चलना या बहुत भयभीत होना जिससे दैनिक गतिविधियों में बाधा हो सकती है।
- व्यवहार में बदलाव— व्यवहार या व्यक्तित्व में अचानक बहुत अधिक बदलाव और उग्र तथा अनियंत्रित

रिलैक्सेशन थैरेपी के द्वारा विश्राम करने की प्रक्रिया में किसी व्यक्ति को अपने शरीर के विभिन्न अंगों को शिथिल करना सिखाया जाता है जिससे दर्द, व्याकुलता, तनाव और क्रोध में कमी आती है तथा शांति की अनुभूति होती है।

व्यवहार, जैसे— बार-बार झगड़ा करना, हथियारों का उपयोग और अन्य लोगों को घायल कर देने की इच्छा व्यक्त करना, कुछ असंगत बातें करना, अपने आपसे बातें करना, बिना कारण हँसना इत्यादि कुछ चेतावनी देने वाले संकेत हैं।

- ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई।
- बिना किसी खास वज़ह के वजन का बढ़ना या घटना, अचानक भूख न लगना, लगातार उल्टी होना।
- मादक द्रव्यों का सेवन— अपनी भावनाओं से निपटने के लिए ड्रग्स या नशीले पदार्थ का सेवन करने लगना।

गतिविधि

यदि कोई बच्चा किसी बीमारी के कारण एक महीने से विद्यालय नहीं जा रहा है तो उसकी इस अनुपस्थिति के दौरान कक्षा में हुई विभिन्न गतिविधियों को सिखाने के लिए उसके शिक्षक व माता-पिता से चर्चा करें।

सहायक सेवाएँ

(रिलैक्सेशन थैरेपी) चिकित्सीय उपचार, मनोवैज्ञानिक परामर्श, योग चिकित्सा, शिथिल चिकित्सा पद्धति का प्रयोग, व्यवहार सुधार आदि।

4.3.15 मल्टीपल स्क्लेरोसिस

हेमती की कहानी पढ़ें—

हेमती जब 4 वर्ष की थी तभी से उसने नृत्य सीखना शुरू कर दिया था। वह शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य करती है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पहला लक्षण उसके पैर में सुन्नता से शुरू हुआ था। उसने समझा कि उसके विद्यालय के सांस्कृतिक कार्यक्रम में प्रदर्शन करते समय स्टेज़ पर पड़ी हुई पिन/सुई चुभने के कारण यह हुआ होगा। उसे पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से उसे तत्काल सार्वजनिक अस्पताल के न्यूरोलॉजी यूनिट में परीक्षण करने के लिए भेजा गया। उसे रक्त जाँच, मस्तिष्क का एम.आर.आई. और रीढ़ संबंधी जाँच (स्पाइनल टैप) के लिए भर्ती कराया गया। अंत में रिलैप्सिंग-रिमिटिंग/मल्टीपल स्क्लेरोसिस होने की पहचान की गई। इस बारे में चिकित्सक ने उसके माता-पिता से बात न कर, सीधे उससे बात की। उन्होंने रोग और उसके इलाज के विकल्पों को समझाया। हेमती ने पूछा कि क्या मैं अब नृत्य कर सकती हूँ और अपने दोस्तों के साथ बाहर जा सकती हूँ? इस बीमारी की पहचान को अब तीन वर्ष बीत चुके हैं और हेमती को अब तक तीन बार इसके पुनरावर्तन (रिलैप्स) होने पर इलाज करवाना पड़ा है।

इसके दोबारा होने पर उसे 3 से 5 दिन अस्पताल में इलाज के कई सत्रों के लिए रहना पड़ता है। उसे हर दो सप्ताह में सुई भी लगाई जाती है। वह अब भी नृत्य नहीं छोड़ना चाहती है। नृत्य उसके जीवन की महत्वपूर्ण गतिविधि है। इसमें उसकी विशेष रुचि है। वह नहीं चाहती है कि उसकी बीमारी उसे कोई भी ऐसी चीज़ करने से रोके, जो वह करना चाहती है।

संकेतक

- एक या अधिक अंगों में शिथिलता या कमज़ोरी जो आम तौर पर शरीर के आधे हिस्से में, पैरों और धड़ पर होती है।
- आम तौर पर किसी एक आँख में प्राय: पुतलियों के घूमने पर दर्द होना।
- आंशिक या पूर्ण दृष्टिक्षीणता।
- लंबे समय तक युग्मित दृष्टि।
- अपने शरीर के विभिन्न अंगों में झनझनाहट या दर्द।
- गर्दन घुमाने पर बिजली के झटके जैसा अनुभव।
- चलने में पैरों में कंपन या असमन्वय।
- अस्पष्ट बोली।
- थकावट, चक्कर आना और मलमूत्र त्याग करने में दिक्कत होना।

सहायक सेवाएँ

बीमारी के पुनरावर्तन होने पर तत्काल चिकित्सीय उपचार, वाक् चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, मार्गदर्शन और परामर्श, आत्मनिर्भर रहने, चलने-फिरने तथा इलाज के दौरान कक्षा में अनुपस्थित रहने की अवधि में हुई शैक्षिक गतिविधियों को सीखने के लिए व्यक्तिगत सहायता।

सहायक उपकरण

चलने-फिरने में सहायक उपकरण, जैसे— बैसाखी, वॉकर, पहिये वाली कुर्सी और देखने में सहायक उपकरण, जैसे— ऑप्टिकल एड।

ध्यान दें—

विद्यालय जाने वाले आयुवर्ग के बच्चों में पार्किंसंस रोग नहीं होता है। इसमें माँसपेशियों में कंपन व जकड़न के कारण व्यक्ति काफी धीमी गति से चलता है। यह मुख्यत: उम्रदराज व्यक्तियों में मिलता है।

4.3.16 अधिरक्तस्राव (हीमोफिलिया)

अफज़ल भागते हुए शिक्षिका के पास आया और बताया कि उसके भाई, रज्ज़ाक का बहुत ज़्यादा खून बह रहा है। शिक्षिका उसे देखने गई और उन्हें पता चला कि वह दोपहर के भोजन के बाद दोस्तों के साथ खेलते समय गलियारे में फिसल गया था। उसे उसके बाएँ पैर के घुटने पर चोट लगी थी। शिक्षिका ने प्राथमिक चिकित्सा की, लेकिन खून बहता ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था। उन्होंने उसकी माँ को फ़ोन करके बुलाया। शिक्षिका से माँ ने अनुरोध किया कि बच्चे को तत्काल उपचार के लिए पास के अस्पताल में लेकर चलें ताकि उसे विशेष दवाएँ, इंट्रा वेस्कुलर (आई.वी.) विधि से दी जा सके।

अस्पताल के रास्ते में उसने शिक्षिका को बताया कि रज़्ज़ाक को हीमोफिलिया है, जो खून बहते रहने की एक बीमारी है, जिसमें रक्त के थक्के नहीं जमते हैं। वह दवा लेकर आई थी, जो रेफ्रिजरेटर में रखी जाती है, यह दो शीशियों में आती है— एक द्रव और एक चूर्ण। जब भी रज़्ज़ाक को ज़रूरत होती है, तब वह उसको उसी अस्पताल में ले जाती है, जहाँ नर्स इन्हें आपस में मिलाकर सिरिंज में डालती है और उसके हाथ में इंट्रा वेस्कुलर तरीके से देना शुरू करती हैं। लगभग 5 मिनट के बाद दवा काम करनी शुरू करती है। जब उसे बहुत अधिक चोट लग जाती है तब प्राय: दवा लेने के बाद उसे एक-दो दिन रुकना पड़ता है। रज़्ज़ाक अब 13 वर्ष का हो गया है, ज़्यादातर लोग उसकी इस बीमारी से अवगत नहीं हैं। कभी-कभी शरीर के अंदर खून के बहाव के कारण उसे बहुत बड़े घाव हो जाते हैं। ज़्यादातर जब ऐसा होता है तो वह अच्छी तरह चल फिर नहीं पाता है।

संकेतक

- बड़े या गहरे घाव से रक्तस्राव।
- जोड़ों में दर्द और सूजन।
- पेशाब में रक्तस्राव।
- कटने या चोट लगने पर खून बहते रहना।
- लगातार नाक से रक्तस्राव।

प्रतिस्थापना चिकित्सा विधि (क्लॉटिंग फैक्टर रिप्लेसिमेंट थैरेपी) में बच्चे के खून में क्लॉटिंग फैक्टर के नहीं होने के कारण रक्त के थक्का जमने में सहयोगी प्रतिकारकों को संचरित किया जाता है।

सहायक सेवाएँ

इसका कोई इलाज नहीं है, किंतु रक्त के थक्का जमने में सहयोगी कारकों की प्रतिस्थापना से सफलतापूर्वक इलाज कर इसे नियंत्रित किया जा सकता है। खून बहाव के दौरान तत्काल चिकित्सीय सहायता प्रदान करें। खेल, मनोरंजन और गामक इत्यादि गतिविधियाँ किसी के संरक्षण में की जाएँ।

4.3.17 थैलेसीमिया

क्या धित्री, अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर पाएगी? उसकी कहानी पढ़ें—

धित्री का विद्यालय जाना प्राय: बाधित होता रहा है और अपनी बीमारी के कारण उसे लगातार कई दिनों तक अनुपस्थित रहना पड़ता है। उसे नियमित रूप से खून चढ़वाने के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, जबकि उसकी सहेलियाँ विद्यालय में पढ़ाई करती हैं। जब वह केवल पाँच माह की थी, तब उसे थैलेसीमिया रोग होने का पता

चला। उसके माता-पिता को गहरा सदमा लगा, किंतु वे इस सदमे से धीरे-धीरे संभल गए। वे चाहते थे कि उसका बचपन खुशहाली में बीते। जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, वह आस-पास के बच्चों के साथ खेलने लगी। उसका दाखिला पास के ही विद्यालय में कराया गया जहाँ आस-पास के अन्य बच्चे पढ़ते हैं। उसने कक्षा सात तक अपनी पढ़ाई जारी रखी और अपने इलाज में कुछ कठिनाइयों के कारण हाल ही में उसे विद्यालय छोड़ना पड़ा। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। थैलेसीमिया से उसकी वृद्धि रूक-सी गई है और लगातार खून चढ़ाने से उसके शरीर में आयरन की मात्रा बढ़ गई है। किंतु, धित्री अपनी बीमारी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती है। उसने अपनी विद्यालय की पढ़ाई पूरी करने का निर्णय लिया है।

संकेतक

इस बीमारी की प्रकृति और गंभीरता के अनुसार संकेत और लक्षण भिन्न-भिन्न हो सकते हैं।

- अत्यधिक थकावट और कमज़ोरी।
- त्वचा का रंग पीला या फ़ीका पड़ना या आँखों का सफ़ेद होना।
- चेहरे की हड्डी में विकृति।
- धीमी वृद्धि और विकास।
- पेट में सूजन।
- गहरे रंग का पेशाब।
- लगातार संक्रमण।
- भूख न लगना।

सहायक सेवाएँ

नियमित रूप से खून देने की प्रक्रिया की देखरेख करना, संभवतः प्रत्येक कुछ सप्ताहों में आयरन की मात्रा कम करने के लिए दवा, अस्थिमज्ज़ा प्रत्यारोपण (कुछ चुने हुए मामलों में) जिससे जीवनभर खून चढ़वाने की जरूरत नहीं होती है, सामान्य स्वास्थ्य और वृद्धि की देखरेख और आपातकालीन अवस्था में देखभाल की योजना, रोग की जटिलताओं, जैसे— रक्त का विषैलापन, खून चढ़ाने के बाद होने वाले दुष्प्रभाव, दवा का दुष्प्रभाव आदि की पहचान, विद्यालय के साथ समन्वय, विद्यालय, परिवार और अस्पताल के साथ खून देने की अनुसूची साझा करने के लिए बेहतर संबंध की आवश्यकता, इलाज

गतिविधि

विद्यालय में विद्यार्थियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड का अवलोकन करें और उन विद्यार्थियों की सूची तैयार करें जिन्हें तत्काल चिकित्सा की आवश्यकता होती है।

की वज़ह से विद्यालय नियमित रूप से न जा पाने पर बच्चे के लिए विशेष प्रावधान, इलाज के दौरान विद्यालय के छूटे हुए कार्य को पूरा करने में सहायता इत्यादि।

4.3.18 हसियाकार रक्त कोशिका रोग (सिक्कल सेल डिसीज़)

ध्यान दें

कुछ बच्चों में सिक्कल कोशिका विसंगति और थैलेसीमिया दोनों एक साथ हो सकते हैं, जैसे— सिक्कल बीटा थैलेसीमिया।

तपन की कहानी पढ़ें—

हाल ही में अपने गाँव के प्राथमिक विद्यालय से कक्षा पाँच तक की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद तपन को अपने सभी साथियों के साथ उच्च प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित किया गया। उसकी माँ, पलाबिता, इस विद्यालय की नव गठित वि.प्र.स. की निर्वाचित सदस्य हैं। वि.प्र.स. की मासिक बैठक में, उन्होंने अन्य सदस्यों को बताया कि तपन को हसियाकार रक्त कोशिका रोग (सिक्कल सेल डिसीज़) है। उन्होंने यह भी बताया कि कभी-कभी तपन के शरीर में काफी दर्द होता है, क्योंकि सिक्कल कोशिकाएँ केले या हसिया की तरह मुड़े हुए आकार की होती हैं और वे सामान्य लाल कोशिकाओं की तरह नरम और लचीली नहीं होती हैं, इसलिए वह पतली रक्त वाहिकाओं में फंस जाती हैं। इसकी वजह से, शरीर के कुछ हिस्सों में पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है और तब दर्द या क्षति होती है। उन्होंने बताया कि तपन दवा ले रहा है, पर अक्सर दर्द होने पर चिकित्सीय उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती होने की वजह से कक्षा छोड़नी पड़ती है। वि.प्र.स. के सदस्यों और अध्यापकों ने आश्वासन दिया कि वे बच्चे की देखभाल करेंगे और इस बारे में विद्यालय के कर्मचारियों और अन्य बच्चों को भी शिक्षित करने का प्रयास करेंगे।

ध्यान दें

बहुत ठंड या गर्मी, शरीर में पानी की कमी, बहुत अधिक थकान, संक्रमण, तनाव, बहुत अधिक ऊँचाई पर जाने से, कंपकंपी इत्यादि कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जिसमें सिक्कल कोशिका का दर्द उभर सकता है।

संकेतक

सिक्कल कोशिका विसंगति की गंभीरता और प्रकृति के अनुसार इसके संकेत और लक्षण अलग-अलग हो सकते हैं।

- खून में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी।
- प्लीहा (स्प्लीन) ठीक से काम न करने के कारण संक्रमण।
- लाल रक्त कोशिकाएँ (सिक्कल कोशिका) पतली रक्त वाहिकाओं में फंसने के कारण शरीर में दर्द होना और पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति न हो पाना।
- पेशाब की सांद्रता घटने के कारण बार-बार पेशाब के लिए जाना।
- वृद्धि और विकास में देरी।

सहायक सेवाएँ

रिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की पूर्ति) हेतु चिकित्सीय उपचार और प्रबंधन संक्रमण, खून देना, अत्यधिक जटिलताओं की स्थिति में अस्थिमज्ज़ा प्रत्यारोपण, बाह्य ऑक्सीजन, दर्द से राहत के लिए दवा, हीमोग्लोबिन बढ़ाना, संक्रमणों की रोकथाम के लिए टीकाकरण करना आदि। विद्यालय और परिवार को अतिरिक्त तरल पदार्थ देने, विश्राम करने, छात्र के साथ आने-जाने, दर्द की दवा देने, दर्द वाले हिस्से पर गर्म या ठंडा पैड लगाने, भावनात्मक सहयोग देने, दर्द में राहत या दर्द से ध्यान हटाने इत्यादि का अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए।

गतिविधि

जिन बच्चों में दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्याएँ हैं, उनके माता-पिता के साथ बात करें और यह तय करें कि विद्यालय की कौन-कौन सी गतिविधियाँ इन बच्चों के स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से खतरनाक हो सकती है और किन गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता से उन्हें छूट दी जा सकती है, उदाहरण के लिए हीमोफिलिया से प्रभावित बच्चे को खेल या क्रीड़ा से छूट प्रदान करना।

4.3.19 बहु दिव्यांगता (मल्टीपल डिसैबिलिटी)

जुमानी की कहानी पढ़ें—

जुमानी अपनी दिव्यांगता के बावजूद विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करती रही है। वह न तो सुन सकती है और न ही देख सकती है। वह तीसरी कक्षा में पढ़ती है और श्रवण यंत्र का उपयोग करती है। उसे *सर्व शिक्षा अभियान* के तहत ब्रेल किट, अबेकस और टेलर फ्रेम मिला है। विद्यालय में एक संदर्भ शिक्षिका आती है जो श्रवण-दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रशिक्षित है। जुमानी साधारण गणित के कार्य, जैसे अबेकस पर साधारण जोड़ और घटाव को हल करना सीख रही है। उसने पहले ही ब्रेल में वर्णमालाएँ लिखना और पढ़ना सीख लिया है।

संकेतक

- दो या अधिक विभिन्न दिव्यांगताओं का होना।
- दृष्टिक्षीणता के साथ-साथ बौद्धिक विकास में भी कमी।
- सुनने और देखने (श्रवण और दृष्टि बाधित) की समस्याएँ।
- प्रमस्तिष्क घात के कारण हाथ/पैर में जकड़न के साथ-साथ देखने या सुनने की समस्या का होना।

गतिविधि

विद्यालय की सुगम्यता की जाँच करने के लिए एक सूची बनाएँ।

सहायक सेवाएँ

वाक् चिकित्सा, शारीरिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, मार्गदर्शन और परामर्श, व्यवहार सुधार, संवेदी-गतिविधियों में प्रशिक्षण, अनुस्थिति एवं गामक कौशल, सामाजिक और संप्रेषण कौशल में प्रशिक्षण, व्यक्तिगत शैक्षिक सेवाएँ, विद्यालय न जा पाने वाले विद्यार्थियों के लिए गृह आधारित सेवाएँ आदि।

सहायक उपकरण और साधन

विद्यार्थियों की विभिन्न दिव्यांगताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप ही गमन संप्रेषण, शैक्षिक और दैनिक गतिविधियों इत्यादि के लिए सहायक उपकरण।

गतिविधि

आइए, हम अपने राज्य की विशेष योजनाओं और इस तरह की योजनाओं के तहत दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रावधानों का पता लगाएँ और उन पर चर्चा करें।

4.4. बाधारहित सुगम्य परिवेश

- विद्यालय भवन और खेल के मैदान तक जाने वाले रास्ते समतल होने चाहिए। प्रवेश द्वार और दरवाजों की चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि पहिए वाली कुर्सी आसानी से आवागमन कर सके।
- विद्यालय में ढलान (रैम्प) बनाते समय उसकी निर्धारित ढलान 1:12 का पालन किया जाना चाहिए और सभी रैम्प में दोनों तरफ पटरीबंद (हैंड रेल) लगी होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर एक फीट की ऊँचाई है तो 12 फीट लंबा ढलान होना चाहिए, जिससे एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठा विद्यार्थी स्वयं ही विद्यालय में आवागमन कर सके।

गतिविधि

नीचे दिए गए ढलानों (रैम्पस) के चित्रों में से सही (√) और गलत (×) को इंगित करें और अपने चयन के कारणों का उल्लेख करें—

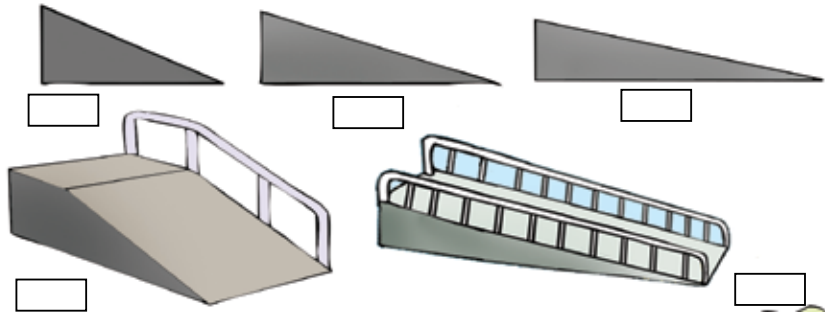

- शौचालय सुगम्य होने चाहिए और सतह से नल इतनी ऊँचाई पर लगा हो कि दिव्यांगजन आसानी से प्रयोग कर सकें। आस-पास की सतहें साफ़-सुथरी और फिसलनमुक्त होनी चाहिए।

दिव्यांगता प्रमाणपत्र

1. *दिव्यांग व्यक्ति या उसके विधिक अभिभावक अथवा उसकी देखरेख करने वाले इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत संस्था उस दिव्यांग व्यक्ति/बच्चे के निमित्त दिव्यांगता प्रमाणपत्र के लिए उसके निवासीय जिले के सरकारी अस्पताल में चिकित्सा प्राधिकारी या अधिसूचित सक्षम प्राधिकारी के पास आवेदन कर सकतें है।*

- विभिन्न उपकरण और सहायक सामग्रियाँ, जैसे— कैलिपर्स, पहिये वाली कुर्सी, हाथ या पैर की पट्टी (ब्रेसिस), विशेष कुर्सियाँ, बैसाखियाँ, ढलान बोर्ड (वेज़), ब्रेल किट, पेंसिल पकड़ने की ग्रिप, संप्रेषण पट्ट आदि उपलब्ध होने चाहिए।

- कक्षाओं में पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और उन्हें हवादार होना चाहिए। कक्षाकक्ष में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार से होनी चाहिए कि शिक्षक सभी बच्चों पर ध्यान दे सकें। इसमें दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार उनके बैठने की उचित व्यवस्था और आवाजाही की सुगम्यता होनी चाहिए।

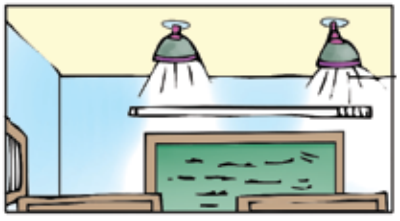

- विद्यार्थियों के लिए विद्यालय एवं कक्षाकक्ष में शैक्षिक सहायक सामग्री, जैसे— दृश्य, श्रव्य, स्पर्श, सचित्र अधिगम सहायक सामग्री, ब्रेल, बड़े अक्षरों के लेख, श्रव्य-पुस्तकें, इलेक्ट्रॉनिक-पुस्तकें, डिजिटल और तकनीकी सहायक सामग्री, विज्ञान विषयों और अन्य विषयों से संबंधित प्रयोगशालाएँ इत्यादि की उपलब्धता तथा सुलभता होनी चाहिए।

- दिव्यांग विद्यार्थियों की ज़रूरतों के अनुसार पाठ्यचर्या, कक्षाकक्ष में पठन-पाठन की गतिविधियाँ और मूल्यांकन की प्रक्रियाएँ अनुकूलित की जानी चाहिए।

4.5. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए प्रावधान (सुविधाएँ और रियायतें)

- *सर्व शिक्षा अभियान* के तहत प्रावधान के अन्तर्गत नि:शुल्क उपकरण एवं अन्य सहायक सामग्री, अधिगम सामग्री, जैसे— ब्रेल पाठ्यपुस्तकें, ऑडियोटेप, श्रव्य-पुस्तकें, बड़े लिखावट वाली पाठ्यपुस्तकें आदि अन्य सुविधाएँ, जैसे— परिवहन सुविधाएँ, छात्रावास सुविधाएँ, छात्रवृत्तियाँ, पुस्तकें, वर्दियाँ, सहायक उपकरण, सहायक (पाठक, लिपिकार), संसाधन कक्ष सेवाएँ, दिव्यांग बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति (स्टाइपेंड) और विशेषज्ञों की सेवाएँ, जैसे— शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, वाक् और व्यावसायिक चिकित्सक, शारीरिक चिकित्सक, गामक प्रशिक्षक और अन्य चिकित्सीय विशेषज्ञ इत्यादि उपलब्ध कराई जाएगी।

2. *दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन के साथ निवास का साक्ष्य, दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो और आधार नंबर या आधार नामांकन नंबर की प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए।*
3. *आवेदन की प्राप्ति पर चिकित्सा प्राधिकारी आवेदक द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन करेगा एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका के आधार पर दिव्यांगता की जाँच करेगा।*
4. *सम्यक जाँच के पश्चात् चिकित्सा प्राधिकारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र (स्थायी या प्रमाणपत्र की विधिमान्य की अवधि के साथ) आवेदन की प्राप्ति की तारीख से एक माह के भीतर जारी करेगा।*
5. *दिव्यांग व्यक्ति या बच्चा जिसके पास दिव्यांगता प्रमाणपत्र है, वह सरकारी या वित्तपोषित गैर-सरकारी संगठनों की योजनाओं के तहत अनुज्ञेय विभिन्न सुविधाओं, रियायतों तथा लाभों हेतु आवेदन कर सकता है।*

गतिविधि

चलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों और संदर्भ शिक्षकों से मिलें। आप अपने जिले में दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें। दिव्यांग विद्यार्थियों के माता-पिता को यदि दिव्यांगता प्रमाणपत्र प्राप्त करने में किसी कठिनाई का सामना करना पड़ा है तो उनसे भी इस बारे में बातचीत करें।

गतिविधि

विद्यार्थियों, माता-पिता और समुदाय के सदस्यों की विद्यालय संबंधी शिकायतों को सुनने और इसके बाद विभाग के अधिकारियों/ प्राधिकारियों से संपर्क करने का अधिकार विद्यालय प्रबंध समिति को प्राप्त है। आइए, विद्यालय की ओर से दिव्यांग विद्यार्थियों को दी जाने वाली शिक्षा और सहायक सेवाओं पर शिकायत करने की प्रक्रिया पर चर्चा करें और इसका पता लगाएँ।

- सहायक सामग्री और उपकरण (ए.डी.आई.पी.) की खरीद एवं अनुकूलन (फिटिंग) के लिए दिव्यांगजनों की सहायता योजना।
- दिव्यांगजनों के लिए रेल, बसों और हवाई यात्राओं में सुविधाएँ और रियायतें।
- दिव्यांगजनों के लिए जीवन बीमा योजनाएँ।
- दिव्यांगजनों एवं उनके माता-पिता को आयकर में छूट।

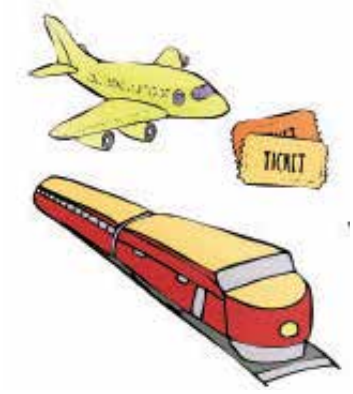

4.6. शिकायत निवारण

बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 और *राष्ट्रीय न्यास (नेशनल ट्रस्ट) अधिनियम, 1999* से संबंधित शिकायतों के निवारण के लिए दिव्यांग विद्यार्थियों के विधि द्वारा मान्य अभिभावक/संरक्षक इनसे संपर्क कर सकते हैं—

- विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष/सचिव।
- प्रखंड (ब्लॉक) शिक्षा अधिकारी।
- जिला शिक्षा अधिकारी।
- राज्य समावेशी शिक्षा समन्वयक।
- केंद्र एवं राज्यों के दिव्यांगजनों के लिए नियुक्त आयुक्त।
- केंद्र एवं राज्यों के बाल अधिकार संरक्षण आयोग (रा.बा.अ.सं.आ.)/शिक्षा अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (शि.अ.सं.प्रा.) के अध्यक्ष/सचिव।

4.7. विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

आपके समुदाय के प्रत्येक दिव्यांग बच्चे को समुचित शिक्षा मिलनी चाहिए। विद्यालय प्रबंधन समिति के एक ज़िम्मेदार सदस्य के रूप में आपके निम्नलिखित कार्य हैं—

- आस-पास के दिव्यांग बच्चों की पहचान करना जिन्हें शिक्षा और किसी अन्य प्रकार का सहयोग नहीं मिला है।
- शिक्षकों, स्वास्थ्य कर्मियों, संदर्भ शिक्षकों और माता-पिता की सहायता से दिव्यांग विद्यार्थियों के नाम, लिंग, पता, दिव्यांगता की प्रकृति, आवश्यक सुविधाएँ और उपलब्ध सुविधाओं, शैक्षिक और चिकित्सीय सेवाओं की जानकारी आदि का रिकॉर्ड बनाना और उसका रख-रखाव करना।
- प्रखंड संसाधन केंद्र, जिला दिव्यांगता पुनर्वास केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक अस्पताल, दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठन आदि संस्थाओं पर आवश्यकतानुसार दिव्यांग विद्यार्थियों को भेजना जहाँ से उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायताएँ प्राप्त हो सकें।
- जिला शिक्षा कार्यालय के मुख्य समन्वयक (नोडल अधिकारी) के माध्यम से विद्यालय में अधिगम संसाधनों की व्यवस्था करना।
- कक्षाकक्ष में समान आयुवर्ग के अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करना।
- अभिभावक और शिक्षकों की नियमित बैठकें आयोजित करना जिससे दिव्यांग विद्यार्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने में शिक्षकों की मदद की जा सके।
- दिव्यांग विद्यार्थियों के माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्यों को उनकी शिक्षा के महत्व को समझाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना।

गतिविधियाँ

- *विभिन्न दिव्यांगताओं वाले विद्यार्थियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सहायक उपकरणों की तस्वीर/फोटोग्राफ अपने मोबाइल/इंटरनेट की सहायता से एकत्र करें और संदर्भ शिक्षक से संपर्क कर या प्रखंड संसाधन केंद्र जाकर इनकी उपयोगिता का पता लगाएँ।*
- *विद्यालय के शिक्षक/संदर्भ शिक्षक की सहायता लेकर बहु दिव्यांगता वाले विद्यार्थियों के माता-पिता को उनके बच्चों के लिए आवश्यक विभिन्न कार्यक्रमों से अवगत कराने हेतु दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम-अनुसूची तैयार करें।*

अध्याय 5

सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा

5.1 सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूह

सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक रूप से अन्य पिछड़े वर्ग शामिल हैं।

आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर वर्गों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के ऐसे विद्यार्थी शामिल हैं जिनके माता-पिता या अभिभावकों की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम आय से कम है।

इनमें सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, भाषाई, लिंग या ऐसे अन्य किसी कारकों के कारण सुविधावंचित समूहों या वर्गों के लोगों को भी शामिल किया गया है, जैसे—

- शहरी क्षेत्रों के सुविधावंचित बच्चे।
- बाल मजदूर, खास तौर पर बंधुआ बाल मजदूर और घरेलू कामगार।
- पारिस्थितकीय दृष्टि से वंचित, दुर्गम, वनवासी, रेगिस्तानी इलाकों में रहने वाले बच्चे जो प्राय: घरेलू कार्यों, जैसे— जलाऊ ईंधन, पानी आदि की व्यवस्था में व्यस्त रहते हैं।
- अत्यधिक निर्धन, भूमिहीन कृषकों के बच्चे।
- कचरा चुनने वाले परिवारों और अन्य मलीन समझे जाने वाले कार्यों में लिप्त परिवारों के बच्चे।
- ट्रांसजेंडर समुदाय के बच्चे।

गतिविधि

आप अपने क्षेत्र की अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची तैयार करें।

- देह व्यापार में लिप्त अभिभावकों के बच्चे।
- मानवीय आपदा, नागरिक संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों के बच्चे।
- बंजारों, मौसमी प्रवासी श्रमिकों, खानाबदोश समुदायों और चरवाहों के बच्चे जिनकी जीवन शैली घुमंतू और अस्थायी है।

5.2 सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे

सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के बच्चों की सामान्य एवं विशिष्ट दोनों तरह की आवश्यकताएँ और चुनौतियाँ हो सकतीं हैं, जो शिक्षा में उनके समावेशन को प्रभावित करती हैं। इन समूहों के बच्चों की शिक्षा संबंधी वास्तविक परिस्थितियों के गहन अध्ययन की आवश्यकता है। जैसे ही कोई सुविधावंचित समूह का बच्चा शिक्षा व्यवस्था में प्रवेश करता है, विद्यालय स्तर पर शीघ्र ही उनकी शिक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों और सरोकारों की पहचान आवश्यक हो जाती है। शिक्षा में इन बच्चों के समावेशन में अवरोध उत्पन्न करने वाले कारकों की पहचान करने के लिए कक्षाकक्ष की गतिविधियाँ, बैठक व्यवस्था, कक्षा में प्रयोग की जाने वाली भाषा, कक्षाकार्य, अधिगम का मूल्यांकन, उनकी रुचियाँ, कक्षाकक्ष में तथा कक्षा के बाहर आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता इत्यादि का अवलोकन करना ज़रूरी है।

देश में सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों का सशक्तीकरण और विकास प्राथमिकता

पर रखा गया है, क्योंकि ये सभी अपने सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन के कारण समाज में अन्य वर्गों की तुलना में हाशिए पर हैं। इन समूहों के बच्चों को विद्यालय में लाने के क्रम में सर्वप्रथम इन बच्चों का सावधानीपूर्वक और व्यवस्थित रूप से मानचित्रण किया जाना चाहिए, जैसे वे कौन हैं और कहाँ रहते है इत्यादि। सरकार द्वारा पहचान की गई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय बहुल विशेष फ़ोकस जनपदों में इन बच्चों को चिह्नित करने में वि.प्र.स. एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में सभी सरकारी और स्थानीय प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्गों और सुविधावंचित समूहों के बच्चों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए और उन्हें किसी भी आधार पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने से रोका न जाए। *शिक्षा के अधिकार अधिनियम, 2009* के तहत चूँकि विद्यालय विकास योजना तैयार करने का उत्तरदायित्व वि.प्र.स. का है, अतः वि.प्र.स. द्वारा विद्यालय विकास योजना में समावेशी रणनीतियाँ, जैसे— शालात्यागी बच्चों की पहचान, विद्यालय में उनका नामांकन, विद्यालय एवं कक्षाकक्ष का अनुकुल वातावरण इत्यादि सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

सामाजिक दृष्टि से सुविधावंचित समूहों के बच्चों की शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार प्राय: स्थानीय परिवेश व परिस्थितियों से संबंधित होते हैं। वि.प्र.स. को ऐसे मुद्दों की पहचान करने, समावेशन के प्रतिकूल गतिविधियाँ, यदि हों, तो उन्हें दूर करने और विद्यालयों में सौहार्द्रपूर्ण वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है।

5.2.1 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे

किसी विद्यालय की वि.प्र.स., अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दों एवं सरोकारों की पहचान करने एवं उनका निवारण करने हेतु विद्यालय व कक्षाओं का सामाजिक सर्वेक्षण कर सकती है। सामाजिक सर्वेक्षण करते समय वि.प्र.स. के सदस्य निम्नलिखित मुद्दों का अवलोकन कर सकते हैं—

- यदि कक्षा में बैठने की व्यवस्था ठीक न हो, उदाहरण के तौर पर यदि वे अलग या कक्षा में पीछे बैठते हों, तो अनुसूचित जाति के विद्यार्थी कभी-कभी अलगाव महसूस कर सकते हैं।
- सभी विद्यार्थियों के साथ, इन विद्यार्थियों पर भी कक्षा में पर्याप्त समय और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। उनके कक्षा के कार्य, गृहकार्य या अन्य कक्षागत गतिविधियों की नियमित रूप से जाँच की जानी चाहिए। उन्हें कक्षा में सवाल पूछने के लिए उत्साहित किया जाना चाहिए और उनके प्रश्नों को सही तरीके से संबोधित किया जाना चाहिए।

- कुछ मुद्दे, जैसे विद्यालय में देर से आने पर, विद्यार्थियों के बीच छोटे-मोटे झगड़े होने पर, अन्य विद्यार्थियों के द्वारा जातिसूचक शब्दों से पुकारने इत्यादि स्थितियों में उस परिस्थिति का विश्लेषण करने में भावनात्मक समझ की आवश्यकता हो सकती है। इस तरह के मुद्दों से निपटने के दौरान विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ऐसे दिन-प्रतिदिन के मुद्दों से निपटने के लिए सावधानीपूर्वक रणनीतियाँ तैयार कर उन्हें कुशलतापूर्वक लागू करना चाहिए। अनदेखी और सख्ती, दोनों ही तरह के व्यवहारों से बचा जाना चाहिए।
- विद्यालय की हर एक गतिविधियों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों सहित सभी विद्यार्थियों की सहभागिता का समान अवसर सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सार्वजनिक समारोहों, जैसे विद्यालय के वार्षिक उत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और अन्य समारोहों में इन विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए।

- विद्यालय में शिकायत सेवा की उचित व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि अशोभनीय टिप्पणी, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग, शैक्षिक कार्यों में अक्षम मानना, विद्यालय के संसाधनों, जैसे पेयजल के उपयोग करने से मनाही, मलीन समझे जाने वाले कार्यों में संलिप्तता इत्यादि जैसे प्रकरण में शीघ्रता से शिकायत एवं निवारण किया जा सके।

- अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ समय पर और पूरी तरह से लागू की जानी चाहिए। प्रोत्साहन के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जाना चाहिए।
- शिक्षकों, विद्यार्थियों, वि.प्र.स. के सदस्यों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों के बीच अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता तथा जागरूकता का अभाव है।

- विद्यालय की पाठ्यचर्या में इन समूहों से जुड़े लोगों को आर्दश के रूप प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए जिससे विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक पृष्ठभूमि वाले विद्यार्थी पाठ्यपुस्तकों के माध्यम से उनके दृष्टिकोणों को जान पाएँगे तथा उनकी आवश्यकताओं को समझ पाएँगे।
- अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों की अपर्याप्त संख्या एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

5.2.2 अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रत्येक विद्यार्थी की अधिगम एवं अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हस्तक्षेप योजना बनाई जानी चाहिए। विद्यालयी गतिविधियों में इन विद्यार्थियों की सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से निम्नलिखित हस्तक्षेप रणनीतियाँ उनकी शिक्षा से संबंधित मुद्दों के निराकरण करने हेतु सुझाई गई हैं—

- शैक्षिक गतिविधियों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों के विभिन्न मतों व विचारों पर ध्यान देना आवश्यक होता है। विद्यालय में एक प्रतिवेदन व्यवस्था (रिपोर्टिंग) प्रारंभ की जानी चाहिए, जहाँ असमावेशी व्यवहारों की शिकायत की जा सके। यह इस दिशा में एक सराहनीय कदम हो सकता है। विद्यालय में एक शिकायत-पेटी हो और शिकायतों का निवारण निश्चित समय-सीमा के भीतर होना चाहिए जिनको प्रधानाध्यापक या अन्य विद्यालय प्रभारी द्वारा नियमित रूप से निपटाया जाना चाहिए। यदि शिकायतों के निवारण में देरी होती है, तो शिकायतकर्ता के हौसलों में कमी आती है। शिकायतों के निवारण संबंधी सुचनाओं के विवरण को वि.प्र.स. की मासिक बैठक में साझा किया जाना चाहिए।
- विद्यार्थियों की उपस्थिति और उनके ठहराव की निगरानी नियमित रूप से की जानी चाहिए। विद्यालयी गतिविधियाँ, जैसे— खेल, संगीत समारोह, नाटक इत्यादि में इन समूहों के विद्यार्थियों की सहभागिता को बढ़ावा दिया जाए क्योंकि इस तरह की गतिविधियाँ विद्यार्थियों के बीच सामाजिक बंधनों को कम करके आपसी मेलजोल को प्रबल करने में सहयोगी होती हैं। यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न सिर्फ विभिन्न पृष्ठभूमियों के विद्यार्थियों को एक मंच पर लाता है, बल्कि उनके भीतर छुपी हुई प्रतिभाओं को भी पहचान दिलाता है।

- विद्यालय में कक्षावार परिचर्चा के लिए नियमावली या दिशा-निर्देश तैयार किए जाने चाहिए, जैसे बैठने की व्यवस्था इस तरह से सुनिश्चित की

जाए, जिससे विद्यार्थी अपनी जाति, समुदाय, लिंग आदि के आधार पर अलग न महसूस करे।

- समाज में सुधार लाने में शिक्षकों की भूमिका अहम होती है। शिक्षक विद्यालय में एक प्रमुख व्यक्ति होता है और समाज में व्याप्त कुप्रथाओं को समाप्त करने में सहायता कर सकता है। सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन दोनों ही तरह के प्रशिक्षणों में शिक्षकों को सुविधावंचित समूहों के विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील बनाने की आवश्यकता है जिससे वे उनकी विशेष समस्याओं को समझकर उनका आसानी से निपटारा कर सकें और इन समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षा में समावेशन संबंधी हस्तक्षेप रणनीतियाँ सुनिश्चित कर सकें।
- अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षकों की पर्याप्त संख्या हो और इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति के शिक्षकों तथा इन समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा के क्षेत्र में कार्यानुभव वाले शिक्षकों की नियुक्तियाँ हों, इन मुद्दों पर नियमित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।
- विद्यालय एवं कक्षाकक्ष में समावेशी व सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने में सहयोगी शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया पर शिक्षकों के क्षमता संवर्द्धन हेतु सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है। कक्षाकक्ष की गतिविधियों का अवलोकन वि.प्र.स. के सदस्य कर सकते हैं। साथ ही समावेशन के प्रतिकूल यदि किसी तरह का व्यवहार हो रहा हो, तो उसके प्रति भी सदस्यों को सजग रहना चाहिए।
- स्थानीय परिवेश और विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर आवश्यकतानुसार अनुसूचित जाति की बहुलता वाले बसाव क्षेत्रों में नये विद्यालय या आवासीय विद्यालय खोलना, वाहन संबंधी सुविधाओं का प्रावधान जैसे विशेष हस्तक्षेप किए जाने चाहिए।

गतिविधि

विद्यार्थियों के साथ बातचीत करें और विद्यालयों की गतिविधियों में स्थानीय खेल-कूद, लोक गीतों, नृत्य, संगीत, वाद्ययंत्रों इत्यादि को शामिल करने के उदाहरणों पर एक पुस्तिका तैयार करें।

5.2.3 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे

अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों की विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, इन जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों एवं सरोकारों की पहचान तथा उनका विश्लेषण करने में सहभागिता कर सकती हैं—

- अधिकांशत: जनजातियों की आबादी दूरदराज, पहाड़ी या बहुत घने जंगलों वाले क्षेत्रों में निवास करती हैं, जहाँ से विद्यालयों तक पहुँचना कठिन होता है।
- इन जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा में भाषाई और सांस्कृतिक विविधताएँ अन्य मुद्दे हैं। विद्यालयी व्यवस्था में विद्यार्थी को तालमेल बैठाने में परेशानी हो सकती है। कभी-कभी शिक्षण-अधिगम सामग्री और पाठ्यपुस्तकें ऐसी भाषा में होती हैं, जिन्हें विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं।
- पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों की पाठ्य सामग्रियों में विद्यार्थियों के अर्जित ज्ञान और उनके अनुभवों को अनदेखा किया जाता रहा है। अधिकांशत: पठन सामग्री

प्रबलित भाषाओं एवं संस्कृतियों पर ध्यान केंद्रित कर तैयार की जाती है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी विद्यालय की भाषा को नहीं समझ पाते और इसलिए पाठ्यपुस्तकों की पाठ्य सामग्रियों को भी नहीं समझ पाते तथा एक ही कक्षा में कई वर्ष तक पढ़ते रहते हैं और अंततः विद्यालय छोड़ देते हैं।

- एक ही कक्षा में विभिन्न भाषाएँ/मातृभाषा बोलने वाले विद्यार्थी हो सकते हैं। बहुभाषी या विद्यार्थी की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना सरल नहीं है। कुछ भाषाओं की कोई लिपि नहीं है, तो कुछ भाषाएँ अनुसूचीबद्ध नहीं हैं।
- अधिकांश भाषाओं में शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का भी अभाव है। कभी-कभी तो विद्यार्थियों और उनके माता-पिता द्वारा कक्षागत संवाद में मातृभाषा के प्रयोग पर भी प्रतिरोध जताया जाता है, जो उनकी शिक्षा संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है और जनजातीय विद्यार्थियों के समावेशन की प्रक्रिया में बाधक होता है।
- जनजातीय विद्यार्थियों की शिक्षा में भाषा-संबंधी मुद्दों के निवारण के लिए प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक और अहम मुद्दा है।

5.2.4 अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण

विद्यालय का परिवेश ऐसा होना चाहिए जहाँ प्रत्येक विद्यार्थी सुरक्षित और स्वीकार्य महसूस करे और अपनी विविध पृष्ठभूमि के कारण कोई भी विद्यार्थी पीछे न छूटे। जनजातीय विद्यार्थियों का बहुभाषी होना, उनकी सामाजिक-सांस्कृतिक पूंजी और विविधतापूर्ण ज्ञान कक्षा में आसानी से उपलब्ध ऐसे सर्वोत्तम संसाधन हैं, जिनका उपयोग जनजातीय विद्यार्थियों के साथ-साथ अन्य विद्यार्थियों के शिक्षण-अधिगम के संवर्द्धन में किया जा सकता है। विद्यालयों में इन समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा में समावेशन से संबंधित मुद्दों के निराकरण के लिए निम्नलिखित हस्तक्षेप रणनीतियों पर बल देना आवश्यक है—

- स्थानीय भाषा में विद्यार्थियों को कक्षागत गतिविधियों को समझाने के लिए शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को संलग्न किया जा सकता है।
- जनजातीय क्षेत्रों में आँगनवाड़ी और बालवाड़ी केंद्र विद्यालयों के नजदीक ही स्थापित किए जाने चाहिए, जिससे जनजातीय बालिकाओं या बड़े बच्चों को अपने छोटे भाई-बहनों की देखभाल के लिए रुकना न पड़े।
- जनजातीय बहुलता वाले राज्यों में प्रखण्ड और संकूल स्तर पर संसाधन केंद्रों की सुलभता होनी चाहिए जिसका उपयोग बहुभाषीय शिक्षा हेतु शैक्षिक उपकरणों और शिक्षण सामग्रियों के विकास, शिक्षकों के प्रशिक्षण तथा अन्य शैक्षिक और तकनीकी सहायता हेतु किया जाना चाहिए।
- समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं में शिक्षण-अधिगम सामग्रियों का विकास किया जाना चाहिए।

- अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी अन्य भाषाओं की विषयवस्तु को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। अत: प्राथमिक शिक्षा की शुरुआती कक्षाओं में विद्यार्थियों के लिए मातृभाषा में पाठ्यपुस्तकें तैयार की जानी चाहिए।
- शिक्षकों को जनजातियों की सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति संवेदनशील बनाया जाए और उन्हें बहुभाषीय शिक्षा में शिक्षण हेतु प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वे शिक्षण-अधिगम गतिविधियों में स्थानीय भाषा, ज्ञान, सभ्यता व संस्कृति को शामिल कर सकें।
- गैर-जनजातीय शिक्षकों को जनजातीय क्षेत्रों में कार्य करने तथा जनजातीय उपभाषा के ज्ञानार्जन हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- विद्यालय और समुदाय के बीच सामाजिक दूरी को कम करने के लिए विद्यालयी गतिविधियों में समुदाय के सदस्यों की सहभागिता बढ़ाई जानी चाहिए।
- विद्यालय में सांस्कृतिक मेल-मिलाप अति आवश्यक है। विद्यालय में नियमित रूप से सांस्कृतिक व अन्य गतिविधियाँ आयोजित की जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों को एक-दूसरे से मिलने-जुलने, उन्हें समझने और एक-दूसरे की सामाजिक-सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करने के अवसर मिल सकें।

5.2.5 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों से संबंधित मुद्दे

शिक्षा व्यवस्था समाज से अलग-थलग होकर काम नहीं करती है। जातिगत, आर्थिक तथा स्त्री-पुरुष संबंधों का पदानुक्रम, सांस्कृतिक, भाषाई और धार्मिक विविधता व असमान आर्थिक विकास भारतीय समाज की विशेषताएँ हैं। इससे शिक्षा की प्राप्ति और विद्यालय में विद्यार्थियों की सहभागिता प्रभावित होती है। लोगों के धार्मिक विश्वास, जीवन-शैली और सामाजिक संबंधों की समझ एक-दूसरे से बहुत अलग है। अत: यह आवश्यक हो जाता है कि शिक्षा व्यवस्था भी हमारे समाज में निहित सांस्कृतिक विविधताओं के अनुरूप हो। जब विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी एक साथ अध्ययन करते हैं तो यह अधिगम की गुणवत्ता में सुधार लाने के साथ-साथ विद्यालय के समस्त वातावरण को भी समृद्ध बनाता है।

कुछ अल्पसंख्यक समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित एक प्रमुख मुद्दा उनके द्वारा अपनी शिक्षा पूरी किए बिना ही विद्यालय त्याग देना है। इसका मुख्य कारण परिवार की दयनीय आर्थिक स्थिति होती है। ऐसी दशा में विद्यार्थी, परिवार को सहयोग करने के उद्देश्य से कारीगर, मिस्त्री आदि के रूप में कार्य करने लगते हैं या फिर घरेलू गतिविधियों में परिवार के अन्य सदस्यों को सहयोग करने लगते हैं।

गतिविधि

आइए, अपने राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की शिक्षा तथा कल्याण से जुड़ी राज्यव्यापी योजनाओं की जानकारी हासिल करें व उन योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न प्रावधानों पर परिचर्चा करें।

5.2.6 अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों की शिक्षा से संबंधित मुद्दों का निराकरण

सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताएँ हमारे समाज की विशेषताएँ एवं पूंजी हैं। अल्पसंख्यक समूहों के विद्यार्थियों की इन विविधताओं को ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा में समावेशन से संबंधित मुद्दों के निराकरण में निम्नलिखित हस्तक्षेप रणनीतियाँ कारगर हो सकती हैं—

- हमारे समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं को विद्यालयों में पर्व-त्योहारों के रूप में मनाया जाना चाहिए।
- सांस्कृतिक और धार्मिक विविधताओं से संबंधित मुद्दों के प्रति शिक्षकों को संवदेनशील बनाने हेतु स्थानीय परिवेश एवं परिस्थितियों के अनुरूप विशेष प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है।
- अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अल्पसंख्यक बहुलता वाले क्षेत्रों में विद्यालयों की वि.प्र.स. में अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों के माता-पिता का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए।

5.3 सामाजिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए प्रोत्साहन योजनाएँ

इन समूहों के विद्यार्थियों के लिए कुछ प्रोत्साहन योजनाएँ इस प्रकार हैं—

- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
- पुस्तक बैंक योजना
- निशुल्क पुस्तकें और गणवेश
- आश्रम विद्यालय
- मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति
- सुधारात्मक (रेमेडियल) कोचिंग योजना
- मदरसों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की योजना
- मदरसा शिक्षा का आधुनिकीकरण
- निजी सहायता प्राप्त/सहायता नहीं पाने वाले अल्पसंख्यक संस्थानों में बुनियादी सुविधाओं के विकास की योजना

5.4 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

वि.प्र.स. का यह दायित्व है कि—

- सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों को विद्यालयों में प्रवेश दिलाएँ और उनकी नियमित उपस्थिति का ध्यान रखें। सभी गैर-नामांकित और शालात्यागी विद्यार्थियों को उनकी आयु के अनुरूप प्रवेश मिले तथा उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
- सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों के दिव्यांग विद्यार्थियों की पहचान, उनका विद्यालय में नामांकन, उनकी प्रारंभिक शिक्षा और अन्य जरूरतों की उचित व्यवस्था करें एवं उनको मिलने वाली सुविधाओं का ध्यान रखें।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदाय की बहुलता वाले क्षेत्रों में *बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के तहत निर्धारित मानदंडों और मानकों के क्रियान्वयन पर ध्यान रखें।
- यह ध्यान रखें कि सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों के विद्यार्थियों के शिक्षा में समावेशन के प्रतिकूल किसी भी तरह का व्यवहार न हो और न ही उनकी प्रारंभिक शिक्षा बाधित हो।
- *बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009* के अंतर्गत विद्यार्थियों को दिए गए अधिकार, खास तौर पर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न, विद्यालय से निष्कासन और एक ही कक्षा में रखने पर निषेध तथा किसी भी समय में विद्यालय में दाखिले के प्रावधान इत्यादि का नियमत: क्रियान्वयन हो।
- इन विद्यार्थियों को मिलने वाली सुविधाएँ, जैसे— गणवेश, पाठ्यपुस्तकें, मध्याह्न भोजन इत्यादि की व्यवस्था समयानुसार उपलब्ध कराई जाएँ। इसमें किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर समिति का यह दायित्व है कि वे इसे विद्यालय के मुख्य शिक्षक तथा स्थानीय शासन के संज्ञान में लाएँ।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों से संबंधित पूर्वाग्रह और गलत धारणाएँ विद्यालय में प्रबलित न हो।
- प्राथमिक स्तर पर कक्षाओं में पठन-पाठन स्थानीय भाषा में हो, न कि केवल राज्य स्तरीय भाषा के माध्यम से। शिक्षण-अधिगम की प्रक्रियाओं के दौरान नयी संकल्पनाओं की व्याख्या करते समय दिए गए उदाहरण स्थानीय संदर्भ/पर्यावरण के हो, भले ही पाठ्यपुस्तकों में ऐसे उदाहरण न भी हो।
- मूल्य आधारित शब्दों, जैसे अच्छा परिवार, अच्छा लालन-पालन और अच्छा घर इत्यादि का प्रयोग विद्यालय में न ही करें, क्योंकि ये सभी सामान्यतया परिवार की आर्थिक स्थितियों से जुड़े प्रतीत होते हैं।
- विद्यालय, वि.प्र.स. और स्थानीय समुदायों से किए जाने वाले सभी प्रशासनिक संवाद या सूचनाएँ, उदाहरण के लिए विद्यार्थियों की शिक्षा और कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाएँ, विद्यार्थियों का शैक्षिक प्रगति-पत्र, क्षतिपूर्ति, पुरस्कार, उपकरण, सहयोग राशि तथा सहायता संबंधी सरकारी आदेश, अधिसूचनाएँ एवं परिपत्र आदि स्थानीय भाषा में हो।

गतिविधि

आइए, अपने क्षेत्र के आदिवासी समुदाय में प्रचलित कुछ स्वास्थ्य और स्वच्छता संबंधी व्यवहारों तथा खाद्य पदार्थों की एक अनुकरणीय सूची तैयार करें। इसे कक्षा में "स्वास्थ्य और स्वच्छता" विषय पर परिचर्चा के दौरान उदाहरण देने में उपयोग में ला सकते हैं।

अध्याय 6

जेंडर दृष्टिकोण और बालिकाओं की शिक्षा

6.1 जेंडर और समाजीकरण

गतिविधि

महिलाओं के बिना दुनिया का अस्तित्व संभव नहीं है। इस कथन पर परिचर्चा करें।

जेंडर

जेंडर व्यवहारों का एक समुच्चय है, जो पुरुषों और महिलाओं के लिए समाज द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसे समाज बनाता है। हर समाज अपने लिए अपनी जेंडर संबंधी भूमिकाएँ तय करता है। जेंडर संबंधी भूमिकाएँ स्थान और समय के साथ परिवर्तित होती रहती हैं।

लिंग

यह किसी व्यक्ति की शारीरिक और प्राकृतिक विशेषताएँ हैं, जिसके आधार पर यह निर्धारित होता है कि वह व्यक्ति पुरुष है या महिला।

15 अप्रैल, 2014 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में, ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को तीसरे जेंडर का दर्जा दिया और उन्हें सामाजिक-आर्थिक दृष्टि से वंचित वर्ग के रूप में मान्यता दी गई।

ट्रांसजेंडर

समाज में एक तीसरा वर्ग भी होता है जिसे थर्ड जेंडर (ट्रांसजेंडर) के नाम से जाना जाता है। इस वर्ग के सदस्य अपनी जेंडर संबंधी अनिश्चितता के कारण ट्रांसजेंडर कहे जाते हैं।

ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को कई तरह के भेदभावों का सामना करना पड़ता है। बिना किसी रूढ़िवादी सोच या भेदभाव के ट्रांसजेंडर विद्यार्थियों के लिए सभी स्तरों पर समान अवसर सुनिश्चित करने की नितांत आवश्यकता है। प्रारंभ में ही यदि सामाजिक रूढ़िवादिता तथा भेदभाव को खत्म करें तो ट्रांसजेंडर बच्चों को विद्यालय में दाखिल कराने और ऊँची कक्षाओं तक उनकी पढ़ाई-लिखाई जारी रखने में सहायता मिलेगी।

हमारे समाज में बालक और बालिकाओं में अंतर जन्म से ही किया जाने लगता है। जेंडर की निर्दिष्ट भूमिकाओं में निर्माण, तालमेल और संप्रेषण की प्रक्रिया बच्चे के जन्म से ही आरंभ हो जाती है तथा यह बच्चे के बड़े होने तक उनके समाजीकरण का हिस्सा बनी रहती है।

प्राय: सभी समाजों में, पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग पोशाकें निर्धारित हैं। इसके अलावा, उन्हें अलग-अलग भूमिकाएँ दी जाती हैं। आम तौर पर पुरुषों को घर का मुखिया, मालिक, संपत्ति की देखभाल करने वाला और भोजन की व्यवस्था करने वाला माना जाता है। वे राजनीति, धर्म, व्यापार और व्यवसायों में सक्रिय माने जाते हैं। महिलाओं को घर संभालने, बच्चों और बड़े-बूढ़ों की देखभाल करने एवं घर के अन्य कार्यों को करने के लिए तैयार किया जाता है।

भूमिकाओं और ज़िम्मेदारियों का यह विभाजन परिवार और समाज में उनके समाजीकरण को निर्धारित करता है। चूँकि पुरुषों को पैसे कमाने और संपत्ति जुटाने की भूमिका दी जाती है। अतः उनकी प्रधान भूमिका हो जाती है, जबकि महिलाएँ उनकी अधीनस्थ भूमिकाएँ निभाती हैं। यह मानसिकता परिवारों में पुरुषों और महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का कारण बनने लगती है। हमारे देश का लिंगानुपात और साक्षरता दर इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है।

गतिविधि

आइए, कुछ 'जेंडर निर्धारक प्रतीक चिह्नों' पर चर्चा करें। दिनभर में अपने परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाएँ। दोनों सूचियों की तुलना करें। कौन-कौन किस कार्य को करता है? किस पर कार्यों का बोझ ज़्यादा है? दोनों द्वारा किए जाने वाले कार्यों में क्या अंतर है? यदि पुरुष शारीरिक रूप से मज़बूत है, तो वह महिला की मदद क्यों नहीं कर सकता? इन भूमिकाओं के निष्पादन में इन अंतरों पर चर्चा करें।

कृपया ध्यान रहे कि बालक और बालिकाओं के बीच किए जाने वाले अंतर और भेदभाव एक समाज से दूसरे समाज में तथा समय-समय पर बदलते रहते हैं।

परिवार और समुदाय के सदस्य बालक या बालिका के रूप में बच्चों की पहचान को बताने लगते हैं। फलस्वरूप बच्चा एक छोटी उम्र से ही जेंडर आधारित भूमिकाओं को समझना शुरू कर देता है। जैसे-जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है वह परिवार और समुदाय से उसी लिंग के व्यक्ति के साथ अपनी पहचान बनाना सीखता जाता है। परिणामस्वरूप, परिवार में बालक अपने परिवार के पुरुष सदस्यों और बालिकाएँ अपने परिवार की महिला सदस्यों के आचरण को अपनाना शुरू कर देते हैं।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत में—
लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों पर 933 महिलाएँ।
कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत।
पुरुष साक्षरता दर 82.14 प्रतिशत।
महिला साक्षरता दर 65.46 प्रतिशत।

शुरुआत से ही, बालिका के साथ परिवार में भेदभाव किया जाता है। उन्हें भ्रूणहत्या या शिशुहत्या का शिकार होना पड़ता है। भारत में बाल लिंग अनुपात 927 (2001 की जनगणना के अनुसार) से घटकर 919 (2011 की जनगणना के अनुसार) रह गया है, जो बालिकाओं के अस्तित्व पर एक गंभीर प्रश्न चिह्न है। हमारे समाज में बेटे को प्राथमिकता देने की रूढ़िवादी सोच, इस गिरावट का एक कारण मानी जा सकती है। बालिकाओं को प्राय: समाज में बोझ के रूप में देखा जाता है, जिसके कारण लिंग आधारित गर्भपात की घटनाएँ हो रही हैं। बालिकाएँ ज़्यादातर मूलभूत ज़रूरतों, जैसे— स्नेह, भोजन, शिक्षा और रोज़गार के अवसरों से भी वंचित रह जाती हैं।

दिव्यांग बालिकाएँ विद्यालयों में नामांकन और शिक्षा पूरी करने के अवसरों से वंचित रह जाती है, क्योंकि जन्म से ही उन्हें भेदभाव का सामना करना पड़ता है। समाज में उन्हें अतिरिक्त बोझ के रूप में देखा जाता है। प्राय: उन्हें घर में, विद्यालय में या विद्यालय जाने के रास्ते में शारीरिक और सामाजिक दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ता है। शौचालय जाने या कपड़े बदलने के दौरान प्राय: उन्हें किसी की मदद की ज़रूरत होती है और ऐसे में उनकी निजता को खतरा रहता है।

6.2 बालिकाओं की शिक्षा का महत्व

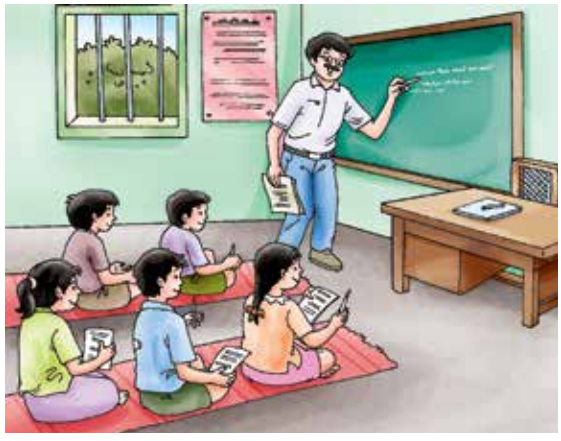

बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 प्रत्येक बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत में जहाँ जेंडर संबंधी भेदभाव की गहरी पैठ हैं, तो यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण हो जाता है कि बालिकाओं को प्राथमिकता दी जाए। कई सर्वेक्षणों से यह पता चलता है कि माता-पिता अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहते हैं लेकिन उनकी सुरक्षा और विद्यालय की उपलब्धता उनके लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

6.2.1 भारत में बालिकाओं के लिए वैधानिक संरक्षण

- *बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006* में बाल विवाह प्रतिबंधित किया गया है। इस अधिनियम के तहत लड़कियों का 18 वर्ष या इससे अधिक और लड़कों का 21 वर्ष या इससे अधिक की उम्र में विवाह करना वैधानिक माना जाता है। इस अधिनियम में बाल विवाह को संपन्न कराने, संचालित कराने या निर्दिष्ट कराने या दुष्प्रेरित कराने वाले व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान है।
- *लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012* के तहत लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और कामोद्दीपक अपराधों से बच्चों का संरक्षण करने और ऐसे अपराधों का जाँच एवं सुनवाई करने के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना कर सुरक्षा देने का प्रावधान है।
- *किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015* के अनुसार जघन्य अपराध, जैसे दुष्कर्म और हत्या करने वाले किशोर जिसकी उम्र 16 वर्ष या अधिक है, इन मामलों में किशोर न्याय बोर्ड उसके अपराध करने की मानसिक तथा शारीरिक क्षमता की प्रारंभिक जाँच कर उस पर वयस्क के तौर पर मुकदमा चलाने का आदेश दे सकता है।
- *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005* महिलाओं के अधिकारों को और अधिक प्रभावी सुरक्षा प्रदान करता है जो परिवार के अंदर किसी प्रकार की हिंसा की शिकार हैं।

गतिविधि

चलिए, हम अपने क्षेत्र में बालिका शिक्षा से संबंधित कुछ मुद्दों पर चर्चा करें। ऐसे मुद्दों की सूची बनाएँ और ऐसे मुद्दों से निपटने के लिए किए गए उपायों की जानकारी हासिल करें।

भारत के संविधान के अनुसार

- *अनुच्छेद 14 जेंडर में समानता सुनिश्चित करता है।*
- *अनुच्छेद 15 लिंग के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध लगाता है।*
- *अनुच्छेद 15(3) में राज्यों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने के लिए अनुमति दी गई है।*
- *अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के अवसरों में समानता प्रदान करता है।*
- *अनुच्छेद 39 राज्य को पुरुषों और महिलाओं को आजीविका के पर्याप्त साधन प्रदान करने की सुविधा देता है।*
- *अनुच्छेद 51 क (ङ) बताता है कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य वे महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें।*

6.3 बालिकाओं की शिक्षा हेतु नीतिगत प्रयास

6.3.1 प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की विद्यालयी शिक्षा की सार्वभौमिक सुलभता और जेंडर संबंधी भेदभाव की समाप्ति सुनिश्चित करना

शालात्यागी विद्यार्थियों की दरों में कमी लाने के विभिन्न प्रयासों के बावजूद खास तौर पर बालिकाओं के विद्यालय छोड़ने की समस्या में कमी नहीं आई है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यक समुदायों एवं दिव्यांग बालिकाओं को विद्यालय आने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्राय: विद्यार्थियों और समुदाय के सदस्यों द्वारा इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे— उनका पढ़ाई में मन न लगना, उनकी पढ़ाई पर काफ़ी खर्च होना और घर तथा बाहर के कामों में उनकी व्यस्तता इत्यादि। विद्यालय में बालिकाओं का नामांकन बढ़ाने और उनके विद्यालय छोड़ने की दर में कमी लाने में समुदाय की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है।

6.3.2 दुर्गम और दूरदराज़ के क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बालिकाओं का शिक्षा में समावेशन

कुछ नवाचारी कार्य नीतियाँ, जैसे कुछ समुदाय आधारित गतिविधियाँ, प्रभावी नेतृत्व और विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन तथा उनका ठहराव बनाए रखने के लिए शिक्षकों की प्रतिबद्धता इत्यादि की नितांत आवश्यकता है। इसके लिए समुदाय के लोगों को नियमित रूप से आपस में चर्चा करनी चाहिए, स्थानीय समुदाय का समर्थन लेकर बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए और उनकी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सेतु पाठ्यचर्या प्रदान की जानी चाहिए।

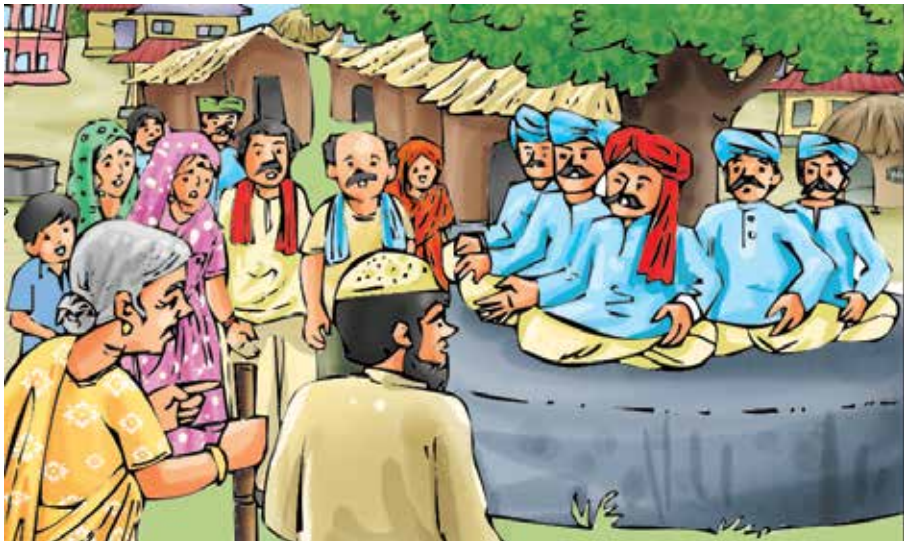

6.3.3 विद्यालय-पूर्व शिक्षा के लिए सुविधाएँ प्रदान करना

बालिकाओं के विद्यालय छोड़ देने का एक प्रमुख कारण छोटे भाई बहनों की देखभाल करना है। विद्यालय-पूर्व केंद्रों को प्राथमिक विद्यालयों से जोड़कर हम बालिकाओं का नियमित विद्यालय जाना सुनिश्चित कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय प्राय: इन उद्देश्यों के लिए भूमि और श्रम का दान करते हैं। महिला समूहों को इस संपूर्ण प्रक्रिया और केंद्र की देखरेख का कार्य सौंपा जा सकता है।

6.3.4 विद्यालयों में मध्याह्न भोजन में ताजा पका हुआ भोजन उपलब्ध कराना

ज़्यादातर विद्यार्थी खासकर लड़कियाँ घर के कामों में व्यस्त होने के कारण बिना भोजन किए विद्यालय पहुँचती हैं। ताजा मध्याह्न भोजन देकर हम उनकी उपस्थिति बढ़ाने के साथ-साथ उनके पोषण स्तर में भी सुधार ला सकते हैं। वि.प्र.स. के सदस्य मध्याह्न भोजन संबंधी कार्यों की निगरानी कर सकते हैं।

6.3.5 विद्यालय प्रबंधन समिति में महिलाओं की भागीदारी

वि.प्र.स. की संरचना में 50 प्रतिशत महिला सदस्य होती हैं। वे विद्यालय की गतिविधियों की योजना बनाने और उन योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित करके विद्यालय की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाती हैं। वे विद्यालयों में बालिकाओं के नामांकन, उनके ठहराव और उनकी प्रारंभिक शिक्षा को पूरा करवाने का प्रयास कर बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे सकती हैं। वे विद्यालयों में बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण की देखरेख कर सकती हैं। वे बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रावधानों और अन्य सहायक सेवाओं की निगरानी में भी भागीदारी निभा सकती हैं।

6.3.6 दिव्यांग बालिकाओं का समावेशन

प्राय: दिव्यांग बालिकाएँ शैक्षिक और व्यावसायिक अवसरों से वंचित रह जाती हैं। दिव्यांग बालिकाओं के माता-पिता को अपनी बेटियों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है।

आइए, तुसु की कहानी पढ़ते हैं—

तुसु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गा.बा.वि.) की कक्षा 7 में पढ़ती है। चार साल पहले उसने अपने गाँव के विद्यालय में दाखिला लिया। उसके माता-पिता यह नहीं जानते थे कि वह कैसे पढ़-लिख सकेगी क्योंकि वह देख नहीं पाती है। उसी वर्ष पहली बार विद्यालय

गतिविधि

बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य की राज्य विशेष योजनाओं, जैसे— बालिकाओं के लिए साइकिल योजना, सहयोग राशि योजना, लैपटॉप वितरण योजना इत्यादि के बारे में जानें और उनके प्रावधानों पर चर्चा करें।

में वि.प्र.स. का गठन हुआ था। वि.प्र.स. के सदस्यों में से एक ने उस जिले के एक विद्यालय के बारे में जानकारी दी जहाँ पर वह ब्रेल लिपि में पढ़ना और लिखना सीख सकती है। वि.प्र.स. ने उसके लिए उस विद्यालय में ब्रेल सीखने की व्यवस्था की। तुसु ने ब्रेल सीखी और उसे पाँचवीं कक्षा के बाद क.गा.बा.वि. में दाखिला मिल गया। उसके शिक्षक ब्रेल नहीं जानते हैं। कक्षा में जैसे उसके अन्य सहपाठी देवनागरी या रोमन लिपियों में कक्षा कार्य लिखते हैं वह ब्रेल लिपि में लिखती है। वह शिक्षकों को अपने ब्रेल में लिखे कार्यों को पढ़कर सुनाती है ताकि उसका मूल्यांकन किया जा सके।

6.4 बालिकाओं की शिक्षा के लिए योजनाएँ

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक योजनाएँ और कार्यक्रम चलाए हैं जिनमें से कुछ निम्न हैं—

- **समग्र शिक्षा**— यह भारत के प्रमुख कार्यक्रमों में से एक है जिसे वर्ष 2018 में प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में 'विद्यालय' की परिकल्पना एक निरंतरत विद्यालयी शिक्षा के रूप में विद्यालय-पूर्व, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तरों तक के लिए की गई है। इसका उद्देश्य सभी के लिए विद्यालयी शिक्षा को सुलभ और सहज बनाना है और साथ ही सामाजिक एवं जेंडर संबंधी मुद्दों को दूर कर बच्चों के अधिगम स्तरों में उल्लेखनीय सुधार लाना है। *बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009* के प्रावधानों का कार्यान्वयन समग्र शिक्षा (पूर्व में सर्व शिक्षा और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा) के माध्यम से ही किया जा रहा है।
- **कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय**— कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय (क.गा.बा.वि.), समग्र शिक्षा के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक आवासीय विद्यालय है। इन विद्यालयों की स्थापना दूर और दुर्गम आबादी क्षेत्रों में की गई है जहाँ विद्यालय बहुत दूर हैं और बालिकाओं की सुरक्षा एक चुनौती है। ऐसे क्षेत्रों में बालिकाओं की शिक्षा प्राय: पूरी नहीं हो पाती। क.गा.बा.वि. के माध्यम से इस समस्या का समाधान किया गया है। प्रखंड स्तर पर इन विद्यालयों की स्थापना की गई है जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की बालिकाओं के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत आरक्षण और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की बालिकाओं के लिए शेष 25 प्रतिशत का आरक्षण है।

6.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

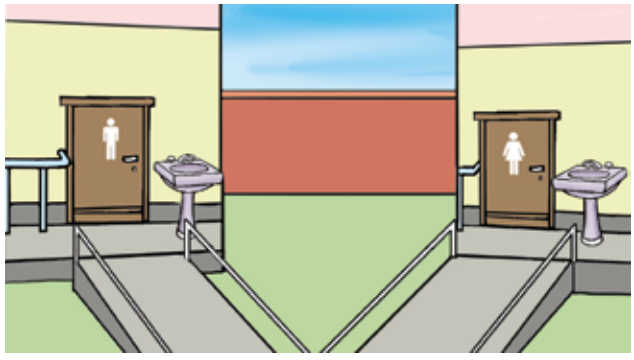

- गाँव की बालिकाएँ विशेषकर दिव्यांग बालिकाएँ जो विद्यालय नहीं जाती हैं, उनकी पहचान करें और उन्हें विद्यालय में दाखिल करवाएँ।
- वि.प्र.स. के सदस्य, ट्रांसजेंडर बच्चों को भी अन्य बच्चों के साथ-साथ विद्यालय में प्रवेश दिलाने में शिक्षकों और अन्य शिक्षा अधिकारियों की मदद कर सकते हैं।
- बालिकाओं और ट्रांसजेंडर बच्चों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वि.प्र.स. ग्राम स्तर पर जागरूकता अभियान का आयोजन कर सकती है। ऐसे कार्यक्रमों में शिक्षित बालिकाएँ प्रेरणा स्रोत के रूप में अपना योगदान दे सकती हैं।
- वि.प्र.स. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय भवन में बालिकाओं के लिए अलग बाधारहित शौचालय हो और आस-पास की जगह स्वच्छ हो।
- बालिकाओं पर होने वाली किसी भी प्रकार के शारीरिक, शाब्दिक और मानसिक हिंसा को रोकना तथा विद्यालय आने-जाने के दौरान किसी भी तरह की छेड़छाड़ से बालिकाओं की सुरक्षा का ध्यान रखना वि.प्र.स. का एक प्रमुख दायित्व है।
- वि.प्र.स. को विद्यालय और ग्राम पंचायत के कार्यों तथा निर्णय प्रक्रिया में बालिकाओं एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए।
- आस-पास के विद्यालयों के वि.प्र.स. के सदस्य सामूहिक रूप से विभिन्न गतिविधियों, जैसे— लोक संचार, लोकोक्ति, लोक गीत आदि के माध्यम से जेंडर आधारित भेदभाव और हिंसक कुरीतियों, जैसे— भ्रूण हत्या, शिशु हत्या, दुष्कर्म, घरेलू हिंसा, यौन दुर्व्यवहार इत्यादि के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से समुदाय के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया जाना चाहिए तथा अन्य सामाजिक समूहों खासकर महिला मंडलों को इन कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई में शामिल करना चाहिए।

गतिविधि

आइए, हम अपने जिले में बालिकाओं की शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की पहचान करें। बालिकाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों को एकत्रित करें।

अध्याय 7

विद्यालय के किशोर विद्यार्थी

7.1 किशोर विद्यार्थी

किशोर विद्यार्थी देश के लिए सृजनात्मक संसाधन हैं। इनमें असीमित ऊर्जा, जोश, क्षमता और मूल्यों के साथ-साथ नये-नये प्रयोग करने की सशक्त इच्छा होती है। वे एक बेहतर दुनिया बनाना चाहते हैं। किशोरावस्था में बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिस कारण से किशोरावस्था को जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था के रूप में जाना जाता है।

ध्यान दें—

किशोरावस्था से जुड़े मुद्दों और विषयों को बहुत ही सावधानी से तथा संवेदनशील होकर से निपटना चाहिए। इस अवस्था में बच्चों को प्रामाणिक व उम्र के अनुसार उपयुक्त जानकारी प्रदान करनी चाहिए।

किशोरावस्था प्रत्येक बच्चे के जीवन में बहुत सारे शारीरिक-भावनात्मक परिवर्तनों, कई सामाजिक-मनोवैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों के साथ आती है। यह बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ने की अवस्था है।

7.2 किशोरावस्था का अर्थ

9–16 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को किशोर माना जाता है, यद्यपि निम्न आयु सीमा 9–11 वर्ष और ऊपरी आयु सीमा 16–19 वर्ष के बीच की हो सकती है।

किशोरावस्था विशेष गुणों और परिवर्तनों के विकास वाला एक चरण है। इन विशेष गुणों और परिवर्तनों में तीव्र शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक तथा व्यावहारिक परिवर्तन एवं विकास के साथ ही साथ नवीन प्रयोग करने की आकांक्षा, यौन परिपक्वता व वयस्कता का विकास शामिल है। इस दौरान व्यक्ति सामाजिक-आर्थिक निर्भरता से सापेक्षिक आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर होता हैं।

किशोरावस्था के दौरान बाल्यावस्था की शारीरिक और भावनात्मक विशेषताओं का स्थान धीरे-धीरे वयस्क अवस्था की विशेषताएँ ले लेती हैं, जैसे— लंबाई और वजन में वृद्धि, शरीर के आकार में परिवर्तन, आवाज़ में बदलाव, चेहरे पर बालों का उगना आदि।

7.3 किशोरावस्था से जुड़े मुद्दे

- शारीरिक बदलाव से जुड़े मुद्दे
- भावनात्मक बदलाव से जुड़े मुद्दे
- स्वास्थ्य और सफ़ाई के प्रति सजगता
- मादक पदार्थों के सेवन से उत्पन्न मुद्दे

7.3.1 शारीरिक बदलाव से जुड़े मुद्दे

शारीरिक परिवर्तनों में शरीर में होने वाले बदलाव शामिल हैं, जैसे वजन और लंबाई में परिवर्तन, शरीर के आकार में परिवर्तन, चेहरे पर मुहाँसे, बालकों में चेहरे पर बालों का आना और आवाज़ में परिवर्तन, बालिकाओं में मासिक धर्म आदि।

बच्चे इस बात में रुचि लेने लगते हैं कि वे कैसे दिख रहे हैं। वे अक्सर ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसा कोई भी नहीं है जिसके साथ वे अपनी किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों और उनसे जुड़ी समस्याओं तथा कठिनाइयों को बिना किसी हिचकिचाहट या झिझक के साझा कर सकें।

ये शारीरिक बदलाव इनके विकास का हिस्सा है और इनमें चिंता की कोई बात नहीं है। सभी बच्चे इन परिवर्तनों से गुजरते हैं, किंतु उनकी आयु भिन्न हो सकती है।

7.3.2 भावनात्मक बदलाव से जुड़े मुद्दे और चुनौतियाँ

किशोरावस्था आत्म-पहचान के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपनी छवि के बारे में सजग होने लगते हैं। विभिन्न प्रकार के भावनात्मक बदलाव भी इस अवधि में हो सकते हैं, जो उनके चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, अवसाद आदि व्यवहारों में परिवर्तित हो सकता है।

इसी प्रकार इनके सामाजिक व्यवहार में भी बदलाव आ जाता है, जैसे बच्चा अपने माता-पिता की तुलना में अपने हमउम्र लोगों के विचारों से अधिक सहमत होता है। कई बार बच्चे पढ़ाई, खेलों और अन्य गतिविधियों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं।

ये शारीरिक और भावनात्मक परिवर्तन उनके शरीर में होने वाले हार्मोन संबंधी परिवर्तन के कारण होते हैं।

गतिविधि

चलिए, किशोर बच्चों के समूह के साथ बातचीत करते हैं और उनकी भावनात्मक आवश्यकताओं को जानने का प्रयास करते हैं। इन भावनात्मक आवश्यकताओं को दो श्रेणियों में बाटें— बच्चे की सामान्य आवश्यकताएँ और विशेष आवश्यकताएँ। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में उपाय सुझाएँ।

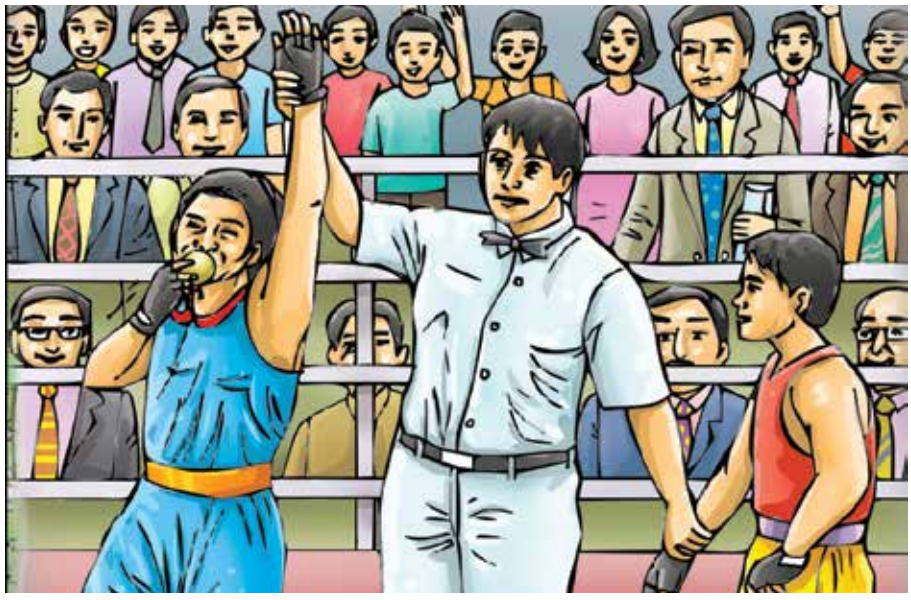

शारीरिक व्यायाम, मनोरंजन और खेलों से उन्हें शारीरिक सुदृढ़ता पाने और उसे बनाए रखने में मदद मिलती है। यह आत्म-अभिव्यक्ति तथा सामाजिक विकास के स्वस्थ साधन के रूप में भी कार्य करता है। विद्यालय और कामकाज के बाद मनोरंजन गतिविधियाँ ऊर्जा और उत्साह वापस ले आती हैं। शारीरिक शिक्षा और मनोरंजन की गतिविधियाँ किशोर और किशोरियों के बीच आत्मविश्वास बढ़ाने, मित्रता को सुदृढ़ बनाने तथा परस्पर सम्मान की भावना जगाने के अवसर प्रदान करती हैं।

7.3.3 स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति सजगता

गतिविधि

दिव्यांग बालिकाओं के माता-पिता के साथ बातचीत करें और मासिक धर्म के दौरान उन बालिकाओं को होने वाली कठिनाइयों का पता लगाएँ। इन कठिनाइयों के समाधान हेतु अभिभावक-शिक्षक बैठक का आयोजन कर सकते हैं और इसमें प्रशिक्षित संदर्भ शिक्षक/शिक्षिकाओं तथा विशेषज्ञों को बुलाकर माता-पिता से

स्वास्थ्य का अभिप्राय स्वस्थ शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्थाओं से है। रोगों से मुक्त होने के अतिरिक्त, अच्छे स्वास्थ्य में सभी शारीरिक अंगों का उचित कार्य करना भी शामिल होता है। इसमें शरीर और मन दोनों का ही अच्छा अनुभव करना सम्मिलित है यह हमें जीवन में अच्छी तरह से कार्य करने में सक्षम बनाता है।

स्वच्छता संबंधी गतिविधियाँ अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने में सहायता करती हैं। इस प्रकार रोगों से मुक्त रहने के लिए और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ-साथ व्यक्तिगत स्वच्छता के तहत कुछ गतिविधियाँ हैं, जैसे— खाने से पहले और बाद में हाथ धोना, दाँतों की नियमित रूप से सफ़ाई, नियमित रूप से स्नान करना और स्वच्छ कपड़े पहनना।

यह बालिकाओं और बालकों दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। बच्चों को खुद को साफ़-सुथरा रखने और पौष्टिक आहार लेने की ज़रूरत होती है।

मासिक धर्म के दौरान स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है। स्वच्छता बनाए रखने के लिए बालिकाओं को रोजाना स्नान करना चाहिए। कपड़े हर दिन बदलने चाहिए। दिव्यांग बालिकाओं को मासिक धर्म के दौरान उनकी स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता हो सकती है।

बातचीत कराएँ और उन्हें अपनी बेटियों के मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखने संबंधी जानकारी प्रदान करें। इस प्रक्रिया के सफ़ल आयोजन में 'प्रदर्शन' और 'भूमिका निर्वाह' की प्रविधियाँ मददगार साबित हो सकती हैं।

7.3.4 मादक पदार्थों के सेवन से जुड़े मुद्दे

नशीले पदार्थों का सेवन करने के लिए आकर्षित होने की आशंका किशोर बच्चों में अधिक होती है। नशीली दवाएँ तथा मादक पदार्थ व्यक्तियों की मानसिक अवस्था को बदल सकते हैं और उनके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं।

अपनी पहचान बनाने के प्रयास में किशोर कुछ नयी चीजें करने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी कारकों से अधिक प्रभावित होते हैं, जैसे— मीडिया, साथी और अन्य। वे बिना किसी को बताए निर्णय ले सकते हैं। इससे वे नशीले पदार्थों के गलत उपयोग का शिकार हो सकते हैं, खास तौर पर जब उनके पास कोई उचित सलाहकार या सहयोगी न हो। इस अवस्था में विद्यार्थी कभी-कभी दोस्तों तथा सोशल मीडिया से प्रभावित होकर सिगरेट, नशीली दवाएँ, तंबाकू, गुटका, शराब आदि का सेवन प्रारंभ कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे नशे के आदी हो जाते हैं और पढ़ाई में दिलचस्पी छोड़ देते हैं। जीवन कौशल आधारित शिक्षा से मादक पदार्थों पर अत्यधिक निर्भरता के कारण होने वाले दुष्परिणामों से निपटने में मदद मिल सकती है।

ध्यान दें—

चिकित्सा के अलावा नशीले पदार्थों और नशीली दवाओं के सेवन को नशीले पदार्थों का व्यसन कहते हैं। इनका प्रयोग करने से न केवल व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य पर, अपितु स्वास्थ्य संबंधी अन्य सभी आयामों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

गतिविधि

मान लीजिए कि आपको पता चला है कि आपके विद्यालय में कुछ बच्चे मादक पदार्थों का सेवन करते हैं। आप उनसे मादक पदार्थों का सेवन छुड़ाने के लिए क्या कदम उठाएँगे? आप मादक पदार्थों का सेवन नहीं करने वाले बच्चों के लिए कौन-से एहतियाती उपायों का सुझाव देंगे?

7.4 जीवन कौशल आधारित शिक्षा

जीवन कौशल सामान्य कौशल हैं, जो किशोर युवाओं के लिए दैनिक जीवन की मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए बहुत उपयोगी हैं। जीवन कौशल स्वयं के कार्यों या किसी अन्य व्यक्ति के कार्यों को करने में सहायता करता है। ये कौशल जीवन में विविध अनुभव प्रदान करते हैं तथा आस-पास के परिवेश को अनुकूल रूप में बदलकर स्वस्थ और आनंददायक जीवन जीने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होते हैं।

पार्वती की कहानी पढ़ें

विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) की अध्यक्ष, पार्वती ने अपने घर में विद्यालय के किशोरों के लिए कुछ गतिविधियों की शुरुआत की है। उनका घर विद्यालय के बहुत नज़दीक है। उन्होंने स्थानीय सामग्रियों द्वारा कला और शिल्प का काम शुरू किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पेंटिंग, खेल और नाटक, सामूहिक खेल, गपशप आदि गतिविधियों का आयोजन किया। बच्चों को ये गतिविधियाँ बहुत उत्साहवर्धक लगती हैं। वे अपनी भावनाओं को वि.प्र.स. की अध्यक्ष पार्वती और अपने दोस्तों से साझा करने में सहज और स्वतंत्र महसूस करते हैं। इन गतिविधियों के दौरान वे विद्यालय और घर संबंधी मुद्दों को साझा करने लगे। पार्वती इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यालय जाने वाले किशोर बच्चों के बीच पारस्परिक संवाद कौशल विकसित करने की कोशिश कर रही है।

बच्चों में निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने के लिए कुछ अन्य गतिविधियों पर चर्चा करें और योजनाएँ बनाएँ—

(क) सहयोग और सामूहिक कार्य

(ख) अनुभूति संबंधी कौशल का विकास

(ग) निर्णय लेने का कौशल

(घ) समस्या को सुलझाने का कौशल

(ङ) कठिन परिस्थितियों का सामना और स्व-प्रबंधन कौशल

कहानी पढ़ें

विजय एक 16 वर्षीय विद्यार्थी है। वह धूम्रपान करता है और चाहता है कि उसके दूसरे दोस्त भी धूम्रपान करें। वह उन्हें सिगरेट देता हैं। मुजीब धूम्रपान करना स्वीकार कर लेता है ताकि कोई उसका मज़ाक न बनाए। अशोक सोचता है कि एक सिगरेट उसे नुकसान नहीं पहुँचा सकती, लेकिन भविष्य में उसे धूम्रपान करने की आदत पड़ सकती है, इसलिए उसने मना कर दिया। राजू जानता है कि धूम्रपान उसे बीमार कर देगा लेकिन वह स्वयं को समूह से बाहर नहीं होने देना चाहता और इसलिए वह मान जाता है। मंजू इसके लिए सीधे मना कर देती है।

निम्नलिखित सूची में कुछ जीवन कौशल दिए गए हैं। समूह में चर्चा करें और पता करें कि इन बच्चों के बीच कौन-से जीवन कौशल विकसित करने की आवश्यकता है।

(क) निर्णय लेने का कौशल
(ख) समस्या को हल करने का कौशल
(ग) विवेचनात्मक चिंतन का कौशल
(घ) अपनी बात मनवाने का कौशल
(ङ) मना करने का कौशल
(च) कठिन परिस्थितियों से मुकाबला करने का कौशल
(छ) स्व-प्रबंधन कौशल
(ज) किसी पक्ष का समर्थन करने का कौशल

7.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

विद्यालय प्रबंधन समिति (वि.प्र.स.) के सदस्यों को किशोर विद्यार्थियों की शिक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों और साथ ही साथ इन मुद्दों से निपटने के उपायों से अवगत होना चाहिए। वि.प्र.स. को सहभागिता दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों के माध्यम से ऐसे अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए, जिसमें किशोर विद्यार्थी अपने ज्ञान, व्यवहार और विशेष रूप से जीवन कौशलों को विकसित कर सकें।

वि.प्र.स. को सुनिश्चित करना चाहिए

- विद्यालयों में चारदीवारी (बाउंडरी वॉल) और मुख्य दरवाजे (गेट) हो ताकि न केवल जंगली/घरेलू जानवरों का प्रवेश रोका जा सके, बल्कि असामाजिक तत्वों को भी दूर रखा जा सकें। ऐसे तत्व विद्यालय आने के इच्छुक बच्चों के लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं।
- विद्यालय में बालिकाओं और बालकों के लिए अलग-अलग शौचालय हों। शौचालय उपयोग करने लायक अवस्था में होने चाहिए और उनमें पानी हमेशा उपलब्ध रहना चाहिए।
- किशोर बच्चों की ऊर्जा को सही दिशा प्रदान करने और उन्हें नशे तथा अन्य मादक पदार्थों के हानिकारक दुष्प्रभावों आदि का ज्ञान कराने के लिए वि.प्र.स. द्वारा

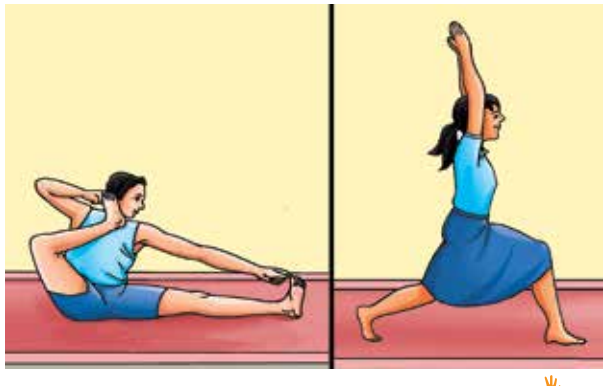

विद्यालय में व इसके बाहर भी अनेक प्रकार की गतिविधियाँ आयोजित की जा सकती हैं, जैसे— समारोह, खेल, नाटक, योग, फिल्म दिखाना, सांस्कृतिक गतिविधियाँ आदि।

- विद्यालय के आस-पास पान, तंबाकू, गुटका, सिगरेट आदि जैसी चीजों की बिक्री की कोई दुकान नहीं हो।
- बच्चे नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में आते हों और घरेलू कार्य, बाल श्रम तथा अन्य गतिविधियों के कारण उनकी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं आए।
- दिव्यांग बच्चों के साथ कोई दुर्व्यवहार और शोषण न हो। दिव्यांग बच्चों का शोषण और दुर्व्यहार का शिकार होने की आशंका अधिक होती है। वि.प्र.स. के सदस्यों को इसके लिए अधिक सचेत रहना चाहिए।

- प्रत्येक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के लिए आवश्यक सुविधाएँ हों, जैसे— बाधारहित विद्यालय वातावरण, रैंप, शौचालय, कक्षाएँ, खेल का मैदान आदि।
- विद्यालय में खेल का मैदान हो। बच्चों की कक्षाओं की समय-तालिका में खेल तथा अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए स्थान हो।
- मासिक धर्म के दौरान बालिकाओं की दैनिक दिनचर्या को प्रतिबंधित करने वाली प्रथाओं से संबंधित अंधविश्वासों को हटाने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन वि.प्र.स. द्वारा किया जा सकता है।
- जीवन कौशल विकसित करने के लिए बच्चों को प्रशिक्षित करने वाली गतिविधियों का आयोजन विद्यालय द्वारा नियमित रूप से किया जाए।
- किसी प्रकार के संकट या तनाव की स्थिति में विद्यालय बच्चों को सहायता (मार्गदर्शन और परामर्श सेवाएँ) देता हो।
- किशोरावस्था के दौरान भावनात्मक बदलाव से निपटने और उनके प्रबंधन के लिए जीवन कौशलों की शिक्षा दी जाती हो। संवाद कौशलों का विकास बहुत ही ज़रूरी है ताकि किशोर वर्ग अपने माता-पिता, अध्यापकों और बुजुर्ग लोगों के साथ अपनी समस्याएँ साझा कर सके।

अध्याय 8

आपदा, सामाजिक विवाद और विद्यालय

8.1 आपदा का अर्थ और प्रकृति

किसी घटना या घटनाओं की शृंखला जिससे समाज के सामान्य क्रियाकलाप में बाधा उत्पन्न होती है या गंभीर क्षति पहुँचती है तो उन्हें आपदा कहा जाता है। ऐसी घटनाएँ व्यापक स्तर पर मानव जीवन, भौतिक संसाधन और पर्यावरण को नुकसान पहुँचाती हैं। सामान्यतया समाज इस तरह की घटनाओं में होने वाली क्षति या नुकसान की भरपाई अपने स्तर पर अथवा स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके नहीं कर पाते, अतएव उन्हें सामान्य अवस्था में आने के लिए बाहरी सहयोग की आवश्यकता होती है।

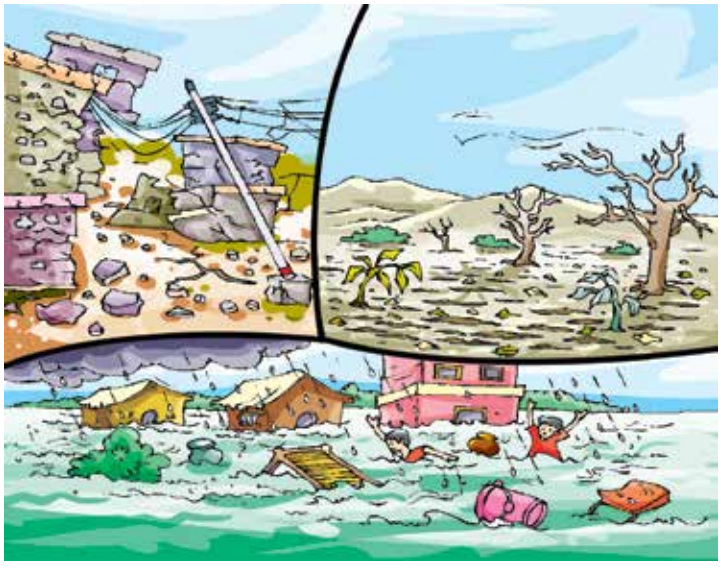

आपदाएँ उनके घटित होने की गति के अनुसार धीमी या आकस्मिक हो सकती हैं। यदि ये किसी प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पन्न होती है तो इन्हें प्राकृतिक कहा जाता है और यदि ये मनुष्य की गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं तो इन्हें मानव निर्मित कहा जाता है। भूकंप, भूस्खलन, सुनामी, ज्वालामुखी, हिमस्खलन, बाढ़, अकाल, तापमान का बढ़ना, सूखा, जंगली आग, चक्रवात, तूफ़ान, लहर और महामारी इत्यादि प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण हैं। आगजनी, रासायनिक या नाभिकीय संयत्रों में विस्फोट, प्रदूषण या दुर्घटनाएँ आदि मानव निर्मित आपदाएँ कहलाती हैं।

गतिविधि

आइए, अतीत में घटित हुई कुछ विनाशकारी घटनाओं/ परिस्थितियों और समाज के दैनिक जीवन पर इसके प्रभावों पर चर्चा करें। विद्यालयी शिक्षा और बच्चों पर इसके प्रभावों की भी चर्चा करें।

8.2 सामाजिक विवाद का अर्थ और प्रकृति

सामाजिक विवाद लोगों के बीच होने वाली पारस्परिक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होने वाली स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये लोगों अथवा विभिन्न समूहों के बीच असहमति की परिस्थितियों में उत्पन्न होते हैं। यदि इन असहमति की परिस्थितियों से उपजे विवाद से निपटने का उचित तरीका न निकाला जाए तो ये विवाद हिंसात्मक और विध्वंसक भी हो सकते हैं।

जटिल आपात स्थितियाँ, विस्थापन, औद्योगिक दुर्घटनाएँ, परिवहन दुर्घटनाएँ, दंगे, आतंकवादी गतिविधियाँ, अपहरण आदि कुछ ऐसी घटनाएँ/परिस्थितियाँ हैं, जो मनुष्य की गलतियों से उत्पन्न होती हैं। ये प्राय: मानव रिहाइशों के आस-पास होती हैं। इनका विद्यालय जाने वाले बच्चों पर अल्पकालिक या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है, जिसके घातक परिणाम भी हो सकते हैं।

ध्यान दें—

विकास संबंधी परियोजनाएँ किसी क्षेत्र के विकास के लिए अति आवश्यक होती है, परंतु यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उस क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पर इसका प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

किसी क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जाने वाली विकास संबंधी परियोजनाएँ, जैसे— बांध, सड़कें और अन्य मूल संरचनात्मक परियोजनाएँ कभी-कभी आस-पास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए नुकसानदायक साबित होती हैं और उनके विस्थापन तथा पर्यावरण के नुकसान का कारण बन जाती हैं। इससे उस क्षेत्र में रहने वालों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। कई बार ये प्रभाव एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक हस्तांतरित होते हैं। अधिकांश विकास परियोजनाओं में, विस्थापित परिवार के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है। कभी-कभी बच्चों की शिक्षा के प्रति उपेक्षा का व्यवहार आगे स्थितियों को जटिल बना देता है जिससे उनकी शिक्षा पर असर पड़ता है।

8.3 आपदाओं और सामाजिक विवादों के कुछ उदाहरण

विगत वर्षों में समाज ने कई आपदाओं और सामाजिक विवादों का सामना किया है, जैसे—

- 26 जनवरी 2001 को, गुजरात में एक विध्वंसकारी भूकंप आने से जीवन और संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। अनेक विद्यालयों की इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गईं। सिक्किम में 18 सितंबर 2011 को इसी प्रकार का भूकंप आया और इसमें

कई लोगों की मौत हो गई। कई इमारतें नष्ट हो गईं। मणिपुर में 4 जनवरी 2016 को आए भूकंप में जीवन और संपत्ति की बहुत अधिक हानि हुई।

- 16 जुलाई 2004 को लार्ड कृष्ण विद्यालय, कूंभकोणम, तमिलनाडु में आग लगने से 94 छात्रों की जलने से मृत्यु हो गई।
- 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण भारत के तटीय प्रदेशों, जैसे— तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तटीय क्षेत्रों और अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में जीवन तथा संपत्ति की अपार क्षति हुई।

- जून 2013 में, उत्तराखण्ड में बादल फटने और भारी बारिश की अनेक घटनाएँ हुई, जिनसे इस क्षेत्र में बाढ़ आई तथा भू-स्खलन हुए। अनेक विद्यालय बाढ़ में बह गए और निचले क्षेत्रों में पानी भर गया। प्रशासन के पास कुछ दिनों तक इन विद्यालयों को बंद रखने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं बचा था। कुछ क्षेत्रों के विद्यालय एक माह से अधिक बंद रहे क्योंकि इस क्षेत्र के विद्यालयों को जोड़ने वाली सड़कें तथा अन्य रास्ते पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे।

- नवंबर–दिसंबर 2015 में तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण चेन्नई और आस-पास के जिलों के अधिकांश क्षेत्रों में पानी भर गया। इसके कारण जिला प्रशासन कई दिनों तक विद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों को बंद करने के लिए बाध्य हो गया और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई।
- 2–3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल के यूनियन कार्बाइड कारखाने में गैस रिसाव से हज़ारों लोगों की मौत हो गई। बहुत सारे लोग घायल हो गए। इस गैस रिसाव से प्रभावित माता-पिता से पैदा होने वाले कुछ बच्चों को जन्मजात समस्याएँ हो गईं।
- हमने देखा है कि देश के कई हिस्सों में जाति और धर्म के कारण होने वाले दंगों और विवादों से समाज का सामान्य

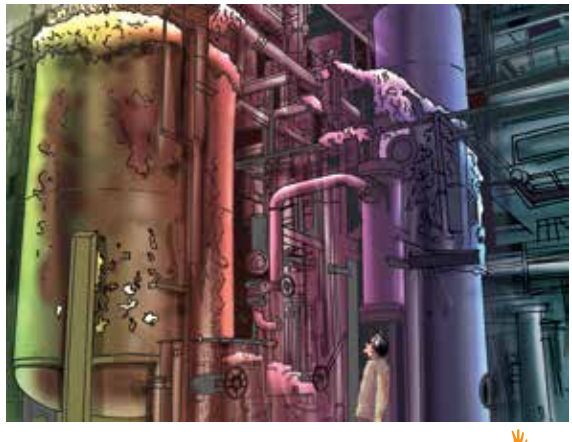

कार्यकलाप गंभीर रूप से बाधित होता है। अगस्त और सितंबर 2013 में, उत्तर प्रदेश के मुज़फ़्फ़रनगर और शामली जिले दो समूहों के बीच सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित हुए। इससे हज़ारों बच्चों की पढ़ाई कई माह तक गंभीर रूप से बाधित रही। प्रभावित परिवारों ने अपने घर और जमीन छोड़ दिए, उनके पास शिविरों में रहने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था।

- हज़ारों बच्चे वामपंथी चरमवाद से प्रभावित क्षेत्रों में अस्थायी आश्रयों (पोर्टा केबिन) में रहने के लिए मज़बूर हो गए। इन क्षेत्रों में कुछ विद्यालय अर्द्ध सैनिक बलों के द्वारा उपयोग किए गए, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई और विद्यालय प्रभावित हुए। इससे उनके भविष्य की संभावनाओं पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। प्राय: इस प्रकार के विवादों के पीछे विभिन्न प्रकार के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक कारण होते हैं। अधिकांशतः ऐसे विवाद कई दिनों और सप्ताहों तक विद्यालय को बंद करा देते हैं।

गतिविधि

आइए, हम ऊपर दिए गए उदाहरणों में आपदाओं और सामाजिक विवादों की प्रकृति पर चर्चा करते हैं और उन्हें वर्गीकृत करते हैं। यदि आपने ऐसी किसी आपदा अथवा सामाजिक विवाद का सामना किया हो जिससे आपके बच्चे या विद्यालय पर प्रभाव पड़ा हो तो उस पर विचार-विमर्श करें।

उपरोक्त चर्चाओं और उदाहरणों से स्पष्ट है कि आपदाएँ, चाहे प्राकृतिक हों अथवा मानव निर्मित हों या विवादित स्थितियों से उत्पन्न हों, सभी को प्रभावित करती हैं। ये उम्र, लिंग, आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आधार पर विभेद नहीं करती। हालाँकि बच्चे, दिव्यांग, महिलाएँ, बुजुर्ग और बीमार लोग आपदाओं के ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जहाँ तक बच्चों की पढ़ाई का संबंध है तो विभिन्न प्रकार की आपदाओं के कारण विद्यालय बंद हो जाने से समस्या और भी बढ़ जाती है।

8.4 आपदा प्रबंधन

आपदा प्रबंधन की प्रक्रिया मात्र राहत केंद्रित न होकर आपदाओं के समग्र प्रबंधन तक पहुँच गई है। आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन के लिए *आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005* लागू किया गया। *आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति, 2009* में विद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों में संरचनात्मक तथा गैर-संरचनात्मक सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। आपदा प्रबंधन निम्न संदर्भों में की जाने वाली सतत् एवं समेकित प्रक्रिया है—

(क) आपदा की रोकथाम करना।

(ख) आपदा के जोखिम को कम करना।

(ग) आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता संवर्धन करना।

(घ) किसी आपदा से निपटने की तैयारी करना।

(ङ) त्वरित प्रतिक्रिया करना।

(च) आपदाओं की गंभीरता का मूल्यांकन करना।

(छ) आपदाओं के पश्चात निकासी, राहत और बचाव प्रदान करना।

(ज) पुनर्वास और पुननिर्माण कार्य करना।

यह योजना निर्माण, उसके समन्वयन और क्रियान्वयन पर निर्भर करता है।

8.4.1 आपदा प्रबंधन के कुछ बुनियादी बिंदु

'आपदा प्रबंधन' में आपदाओं के प्रभाव को कम करने (शमन), आपदाओं से निपटने की तैयारी करने, आपदाओं के समय की जाने वाली प्रतिक्रिया और आपदाओं के पश्चात की जाने वाली बचाव संबंधी गतिविधियों की आवश्यकता होती है। आपदा शमन के लिए निम्न गतिविधियाँ की जा सकती हैं, जैसे भवन निर्माण के मानकों का ध्यान रखना, संवेदनशील स्थलों का विश्लेषण करना और आपदा संबंधी जन जागरूकता फैलाना इत्यादि। आपदाओं से निपटने की तैयारी आपदा से पहले की उन गतिविधियों से संबंधित है, जो आपदाओं से होने वाले नुकसान की आशंका को कम करने में सहायक होती है। आपातकालीन अभ्यास/प्रशिक्षण, चेतावनी प्रणाली आदि आपदाओं के समय की जाने वाली त्वरित प्रतिक्रिया, आपदा के दौरान की उन गतिविधियों से संबंधित हैं जो आपदाओं के प्रभाव को कम करती है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक चेतावनी प्रणाली की आपातकालीन गतिविधियाँ, आपदा प्रभावित व्यक्तियों की तलाश और उनका बचाव आदि। बचाव में आपदा के बाद की गतिविधियाँ शामिल हैं, जैसे अस्थायी आवास, चिकित्सा और देखभाल, परामर्श सेवाएँ, क्षतिपूर्ति संबंधी दावे तथा अनुदान आदि।

आपदा प्रबंधन योजना के कुछ प्रमुख बिंदु नीचे दिए गए हैं

- प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा प्रबंधन की योजना होनी चाहिए। सभी बच्चों के साथ-साथ दिव्यांग बच्चों की आवश्यकता को भी ध्यान में रखकर योजना तैयार की जानी चाहिए।

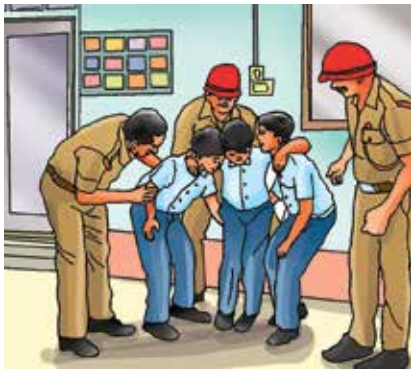

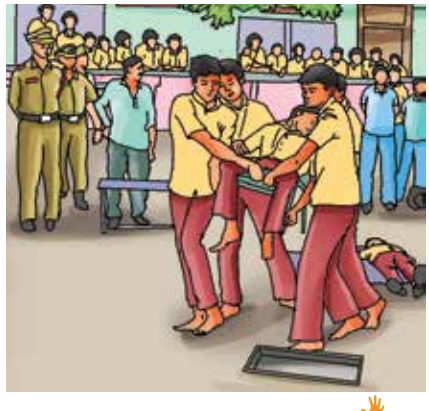

गतिविधि

आइए, अपने विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति, आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया योजना और आपदा प्रबंधन दलों का निर्माण करते हुए आपदा प्रबंधन संरचना तैयार करें।

नक्शे पर निम्नलिखित स्थानों को दर्शाया जाना चाहिए—

- *विद्यालय और कक्षाओं का स्थान।*
- *विद्यालय में कमज़ोर संरचना वाला स्थान।*
- *प्रयोगशाला का स्थान।*
- *प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स का स्थान।*
- *वैकल्पिक निकास द्वार का स्थान।*
- *मुख्य बिजली आपूर्ति का स्थान/स्विच बोर्ड।*
- *विद्यालय के अंदर और बाहर के निचले क्षेत्र।*
- *रसोई/कैंटीन का स्थान।*
- *खुली जगह/खेल का मैदान।*
- *आपातकाल के समय मदद मांगने के लिए संचार साधनों, जैसे— सीटी, घंटी, झंडा, सायरन, इंटरनेट सुविधा के साथ कंप्यूटर का स्थान।*

- विद्यालयों में प्रत्येक 6 माह में आपदाओं की आशंका से निपटने की तैयारी पर पूर्वाभ्यास आयोजित किए जाने चाहिए। इन पूर्वाभ्यासों में दिव्यांग बच्चों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- पूर्वाभ्यास के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय आपदा प्रबंधन दलों की भूमिकाएँ और ज़िम्मेदारियाँ पहले से तय की जानी चाहिए और उन्हें स्पष्ट रूप से बताई जानी चाहिए।
- आपातकालीन परिस्थितियों में विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं, जैसे—पुलिस, अग्निशमन सेवा, सिविल/रक्षा/होमगार्ड, एम्बुलेंस सेवा और आपातकालीन चिकित्सा दल आदि द्वारा प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर विद्यालय द्वारा मांगी जाने वाली सहायता तथा प्रदान की जा सकने वाली सहायता को मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) के रूप में विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना में शामिल किया जाना चाहिए।
- विद्यालय में आपदा प्रबंधन संरचना होनी चाहिए। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति जिसमें मुख्य शिक्षक अध्यक्ष के रूप में हो। आपदा प्रतिक्रिया योजना और आपदा प्रबंधन दल, आपदा प्रबंधन संरचना के भाग होते हैं। विद्यालय द्वारा आदर्श रूप में निम्नलिखित संरचना का पालन किया जाना चाहिए।

आपदा प्रबंधन संरचना

(क) विद्यालय में आपदा प्रबंधन समिति, जिसमें प्रधानाचार्य अध्यक्ष हों।

(ख) आपदा प्रबंधन प्रतिक्रिया योजना, जिसमें खतरे की पहचान और सुरक्षा आकलन, संसाधनों की उपलब्धता (बाहरी और आंतरिक), विभिन्न आपदा प्रबंधन दलों का गठन और आपदा की स्थिति में एकत्र होने के तय क्षेत्रों के साथ निकासी की योजना हो।

(ग) निम्न आपदा प्रबंधन दलों को गठित करने के लिए अनुशंसा की गई है—

- आपदा जागरूकता दल।
- चेतावनी और सूचना प्रसार दल।
- प्रत्येक कक्षा के लिए निकासी दल हो, जिसमें आपदा के समय कक्षा में उपस्थित शिक्षक द्वारा एक अग्रणी के तौर पर नेतृत्व किया जाए।

- खोज और बचाव दल (प्रति 100 छात्रों के लिए एक दल)।
- प्राथमिक चिकित्सा दल (प्रति 100 छात्रों के लिए एक दल)।
- बस सुरक्षा दल।

(घ) दलों में मनोनीत शिक्षक/गैर अध्यापन कर्मचारी इनके नेतृत्व की भूमिका में होने चाहिए जिन्हें बड़ी कक्षाओं के मनोनीत विद्यार्थियों (विद्यालय के प्रधान विद्यार्थी/मॉनीटर आदि) की सहायता मिलनी चाहिए।

- पूर्वाभ्यास आयोजित करने के पहले यह सुनिश्चित किया जाए कि विद्यालय में अपेक्षित आपदा प्रबंधन संरचना है। इसके विवरणों की जाँच की जानी चाहिए।
- समन्वयक को जिला, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- पूर्वाभ्यास के दौरान पहचानी गई कमियों को दूर किया जाना चाहिए।
- आपदा प्रबंधन समिति को भूकंप से विद्यालय भवन की प्रतिरोधकता की जाँच करने के लिए विद्यालय भवन के संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक हिस्सों का विश्लेषण करना चाहिए तथा इसके अनुसार भूकंप के प्रबंधन की योजना बनानी चाहिए। विद्यालय जिस भूकंपीय क्षेत्र में आता है उसकी पहचान की जानी चाहिए।
- आपदा प्रबंधन दल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नये भवन भूकंप प्रतिरोधकता के मानदंडों का पालन करते हैं।

निम्नलिखित कुछ नंबर हैं जो वि. प्र. स. के सदस्यों के पास होने चाहिए

- *निकटतम अस्पताल का संपर्क नंबर।*
- *निकटतम थाने का संपर्क नंबर।*
- *अग्नि शमन सेवाओं का संपर्क नंबर।*
- *ग्राम प्रमुख का संपर्क नंबर।*
- *वि.प्र.स. अध्यक्ष और इसके कुछ सदस्यों के संपर्क नंबर।*
- *जिला प्रशासन का संपर्क नंबर।*
- *राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण या स्थानीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का संपर्क नंबर।*
- *राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग या राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का संपर्क नंबर।*

- आपदा प्रबंधन दल को विभिन्न प्रकार की आपदाओं की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए एक विस्तृत विश्लेषण करना चाहिए और फिर अनुमानित खतरों से निपटने के लिए विद्यालय में पर्याप्त उपाय करने चाहिए।
- विद्यालय के कुछ महत्वपूर्ण स्थानों का मानचित्र विद्यालय में उचित दृश्यमान स्थानों पर प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- आपातकालीन समय में संपर्क करने हेतु मुख्य व्यक्तियों, प्राधिकारियों और संस्थानों के संपर्क नंबर विद्यालयों में महत्वपूर्ण स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होने चाहिए। वि.प्र.स. के सदस्यों के पास भी इन व्यक्तियों और प्राधिकरण के नबंर होने चाहिए ताकि वे ज़रूरत होने पर उनसे संपर्क कर सकें। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि संपर्क नंबर समय-समय पर जाँच करके अद्यतन किए जाते रहे हों।
- बच्चों के आपदाओं का शिकार होने की आशंका सबसे अधिक होती है। विद्यालय में सभी बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण शिक्षकों, वि.प्र.स. के सदस्यों और पूरे समुदाय की ज़िम्मेदारी है। उन बच्चों की सूची बनाना बहुत आवश्यक है जिनकी आपदा के समय उससे प्रभावित होने की आशंका सबसे अधिक है, उदाहरणत: दिव्यांग विद्यार्थी। मुख्य शिक्षक और बचाव दल के पास प्रत्येक कक्षा के सभी विद्यार्थियों की आपदाओं से प्रभावित होने की आशंका के आधार पर बनाई गई सूची होनी चाहिए।

गतिविधि

- *ऊपर बताए गए स्थानों को प्रदर्शित करते हुए अपने विद्यालय के लिए एक मानचित्र तैयार करें।*
- *आइए, हम आपातकालीन स्थितियों में संपर्क करने के लिए मुख्य संपर्क नंबरों की एक सूची तैयार करते हैं। इस सूची को प्रदर्शन के लिए विद्यालय में उचित स्थानों का पता लगाते हैं।*

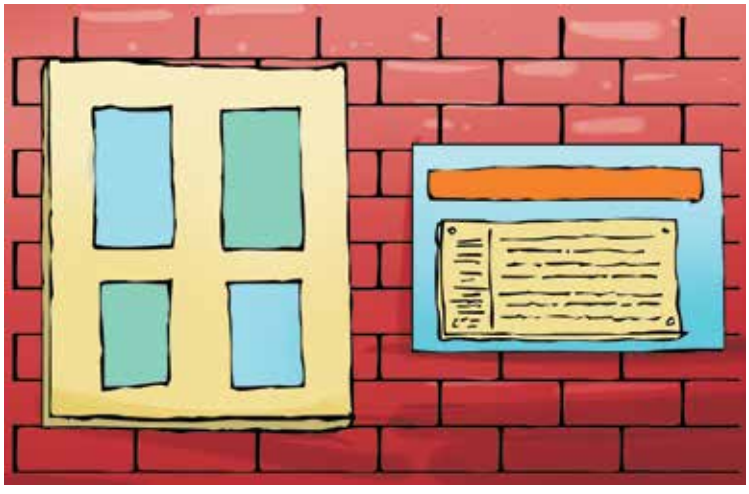

8.5 विद्यालय प्रबंधन समिति की भूमिका

विगत वर्षों में घटित होने वाली आपदाओं और सामाजिक विवादों की घटनाओं को देखते हुए यह अनिवार्य हो जाता है कि विद्यालय और वि.प्र.स. इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहें। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (रा.आ.प्र.प्रा.) द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक विद्यालय के पास एक आपदा प्रबंधन योजना अवश्य होनी चाहिए।

इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए आपदा प्रबंधन के संबंध में वि.प्र.स. के लिए निम्नलिखित भूमिकाओं पर विचार किया जा सकता है।

- विद्यार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय के कर्मचारियों की सुरक्षा और संरक्षण वि.प्र.स. के सदस्यों की पहली ज़िम्मेदारी है, अतः उन्हें किसी प्राकृतिक घटना या मानवीय गतिविधि से होने वाली किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए।
- वि.प्र.स. को सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके विद्यालय में आपदा प्रबंधन योजना और इससे संबंधित सभी समितियाँ कार्यरत हैं। आपदा प्रबंधन योजना में दिव्यांग विद्यार्थियों को भी शामिल किया जाए।
- वि.प्र.स. को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यालय की आपदा प्रबंधन योजना, विद्यालय विकास योजना में शामिल हो।
- भूकंप की प्रतिरोधकता और अन्य आपदाओं से सुरक्षा के लिए विद्यालय के भवन की जाँच आपदा प्रबंधन योजना बनाने से पहले अवश्य की जानी चाहिए।
- संभावित आपदाओं से निपटने का पूर्वाभ्यास नियमित अंतराल पर आयोजित किया जाए और इसकी कमियों का पता लगाते हुए आपदा प्रबंधन योजना की दक्षता और प्रभावशीलता को परखा जाए। इन अभ्यासों में शिक्षकों, विद्यार्थियों, समुदाय के सदस्यों तथा स्थानीय प्रशासन का शामिल होना अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
- वि.प्र.स. के सदस्यों को आपातकालीन स्थिति के लिए बुनियादी वस्तुओं/सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए, जैसे— सीढ़ी, रस्सी, अग्नि शामक यंत्र, प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स और संचार प्रणाली।
- वि.प्र.स. के सदस्यों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि आपातकाल में प्रयोग किए जा सकने वाले संसाधनों के स्थान, आपातकालीन संपर्क नंबर, और आपातकालीन मानचित्र विद्यालय के महत्वपूर्ण स्थानों पर स्पष्ट रूप से अंकित हैं।
- किसी आपदा की स्थिति में बाहर की दुनिया से संपर्क बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति को सोशल मीडिया, अन्य माध्यमों, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के संसाधनों के उपयोग का प्रयास भी करना चाहिए। इसके लिए इंटरनेट की सुविधा की आवश्यकता होगी।

गतिविधि

आइए, अपने विद्यालय में आपदा संबंधी विषयों की सूची बनाएँ और उनसे निपटने के लिए की जा सकने वाली तत्काल कार्यवाही के लिए ज़रूरी गतिविधियों की सूची तैयार करें।

प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स में आवश्यक सामग्री होनी चाहिए, जैसे— थर्मामीटर, रूई, रोलर पट्टी, खपच्ची पैड, हाथों या पैरों की पट्टी (सिंप्लट्स), कैंची, चिपकने वाला टेप, बैंडेड, गर्म पानी की बोतल, लोशन क्लोरहेक्सिडाइन (सेवलोन), आयोडीन घोल, वायलेट पेंट इत्यादि।

- वि.प्र.स. के सदस्यों को विद्यालय में वैकल्पिक निकास मार्गों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि आपातकाल के समय इनका उपयोग हो सके।
- वि.प्र.स. को आपदा और उसके प्रबंधन पर विद्यालय और समुदाय जागरूकता के कार्यक्रम नियमित अंतराल पर आयोजित करने चाहिए। इन कार्यक्रमों में पर्यावरणीय परिवर्तनों तथा मानव जीवन और प्रकृति पर इसके नकारात्मक प्रभावों की चर्चा की जानी चाहिए।
- किसी आपदा की स्थिति में प्रशासन के विभिन्न स्तरों से विद्यालय, वि.प्र.स. और समुदाय के सदस्यों तक होने वाला संचार स्थानीय भाषा में होना चाहिए।
- किसी विवाद या संघर्ष की स्थिति में वि.प्र.स. को समन्वयक की भूमिका निभानी चाहिए। वे समुदाय और शैक्षिक प्रशासन के मध्य, मध्यस्थ की भूमिका भी निभा सकते हैं।
- सामाजिक विवाद की स्थिति में वि.प्र.स. के सदस्यों को विद्यालय को सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों को पर्याप्त सुरक्षा और भावनात्मक सहयोग मिलता रहे। वे विद्यालय सुरक्षित रूप से आ सके और उनकी शिक्षा अबाधित रूप से जारी रहे। उन्हें स्थानीय प्रशासन से संपर्क करना चाहिए और यदि संभव हो तो अपने विद्यालय तथा अन्य सुविधाओं का उपयोग पुलिस, सैनिक या अर्द्ध-सैनिक बलों को करने से रोकने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें साथ ही साथ अपने विद्यालय परिसर को किसी असामाजिक गतिविधि, सामाजिक विवाद और विद्रोह जैसी गतिविधियों के लिए भी इस्तेमाल नहीं करने देना चाहिए। इन गतिविधियों के कारण बच्चों की पढ़ाई लंबे समय तक प्रभावित होती है।

ग्रंथसूची

डिपार्टमेंट ऑफ़ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी. 2011. *सर्व शिक्षा अभियान, फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन दि राइट ऑफ़ दि चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कम्प्लसरी एजुकेशन एक्ट 2009*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

——. 2018. *समग्र शिक्षा अभियान, ऐन इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन, फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटेशन*. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार.

चौहान एस.सी. 2013. *एक्शन प्लान फॉर दि एजुकेशन ऑफ़ चिल्ड्रेन इन ट्राइबल एरियाज अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्शन – ए रिपोर्ट ऑन फील्ड विजिट ऑफ़ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, गुजरात और दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, छत्तीसगढ़* (अप्रकाशित), डी.ई.जी.एस.एन., राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, नयी दिल्ली.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय. 2009. *बच्चों की निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम*. भारत सरकार.

मानम, जे.एल. 2009. *दि जनरल एजुकेटर्स गाइड द स्पेशल एजुकेशन (थर्ड एडीशन)*. कार्निन अ सेज पब्लिकेशन, कैलिफोर्निया.

यू.एन.डी.पी. 2011. *डिजास्टर कान्फ्लिक्ट इंटरफेस : कंपेयरेटिव एक्सपीरियंस ब्यूरो फॉर क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी*. यूनाइटेड नेशन्स डवलपमेंट प्रोग्राम, यू.एस.ए., न्यूयॉर्क.

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्. 2005. *राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा*. नयी दिल्ली.

——. 2006. *विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा पर नेशनल फोकस ग्रुप का आधार प्रपत्र*. नयी दिल्ली.

——. 2007. *अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों की समस्यों पर नेशनल फोकस ग्रुप का आधार प्रपत्र*. नयी दिल्ली.

वर्नर, डी. 1994. *डिसेवल्ड विलेज चिल्ड्रेन*. वालंटरी हील एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया, नयी दिल्ली.

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू. एच.ओ.). 2003. *दि फिज़िकल स्कूल एनवायरमेंट, ऐन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ़ अ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल – दि डब्ल्यू.एच.ओ. इंफार्मेशन सिरीज ऑन स्कूल हेल्थ डाक्यूमेंट 2*. डब्ल्यू.एच.ओ. डाक्यूमेंट प्रोडक्शन सर्विसेज, जेनेवा, स्विट्जरलैंड.

——. 2003. *स्किल्स फॉर हेल्थ – स्किल्स-बेस्ट हेल्थ एजुकेशन इनक्लूडिंग लाइफ स्किल्स—ऐन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ़ ए चाइल्ड फ्रेंडली हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल, दि वल्डे हेल्थ ऑर्गनाइजेशन इनफार्मेशन सीरीज ऑन स्कूल हेल्थ डाक्यूमेंट-9*. डब्ल्यू.एच.ओ. डाक्यूमेंट प्रोडक्शन सर्विस, जेनेवा, स्विट्जरलैंड.

——. 2003. *फैमिली लारु, हेल्थ एंड पापुलेशन एजुकेशन – की एलीमेंट ऑफ़ हेल्थ प्रमोटिंग स्कूल,* डब्ल्यू.एच.ओ. *इनफोर्मेशन सीरीज ऑन स्कूल हेल्थ डाक्यूमेंट-8*. डब्ल्यू.एच.ओ. डाक्यूमेंट प्रोडकशन सर्विस, जेनेवा स्विट्जरलैंड.

साधू के. और एस.सी. चौहान. 2012–13. *मानवीय कार्रवाई से प्रभावित जनजातीय बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य योजना– पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र पर रिपोर्ट* (अप्रकाशित). डी.ई.जी.एस.एन., रा.शै.अ.प्र.प., नयी दिल्ली.

वेबसाइट स्रोत

http://icds-wcd.nic.in/schemes/ECCE/ecce_01102013_eng.pdf accessed on 19/07/2017

http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/upload_document/RTI1.pdf 19 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://socialjustice.nic.in/ 21 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://thalassemia.com/treatment.aspx#gsc.tab=0 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.asianews.it/news-en/The-story-of-Sima,-a-girl-her-father-disfigured-with-acid-at-age-of-ten-months-23179.html 25 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.chop.edu/stories/multiple-sclerosis-allison-s-story 21 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3377343/Have-heard-one-15-year-old-s-just-32-inches-high-Indian-teenager-suffers-dwarfism-says-plans-stand-comedian.html 25 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.disabilityaffairs.gov.in/upload/uploadfiles/files/RPWDACT2016.pdf 20 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.healthline.com/health/chemical-burn-or-reaction#treatments7 26 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.healthline.com/health/sickle-cell-anemia#diagnosis6 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.healthline.com/health/thalassemia#overview1 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.lehman.cuny.edu/faculty/jfleitas/bandaides/jj.html 21 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/sickle-cell-anemia/diagnosis-treatment/treatment/txc-20303509 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/thalassemia/diagnosis-treatment/treatment/txc-20261930 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/thalassemia/symptoms-causes/dxc-20261829 20 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.ndma.gov.in/en/disaster.html 20 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.sankalpindia.net/sites/default/files/patrika/Sankalp_Patrika_Vol_6_Issue_6_June_16.pdf 02 अगस्त, 2017 को देखी गई।

http://www.stopacidattacks.org/p/medical.html 26 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.thebetterindia.com/31033/living-with-thalessemia 24 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.wcd.nic.in/ 20 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://ncw.nic.in/acts/The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005.pdf देखी गई।

http://www.wcd.nic.in/sites/default/files/ecce_gazatte_notification_policy_comp.pdf 21 जुलाई, 2017 को देखी गई।

http://www.webmd.com/children/dwarfism-causes-treatments#1 25 जुलाई, 2017 को देखी गई।

https://www.theguardian.com/uk-news/2015/sep/30/acid-attack-hospital-admissions-have-almost-doubled-in-last-10-years 25 जुलाई, 2017 को देखी गई।

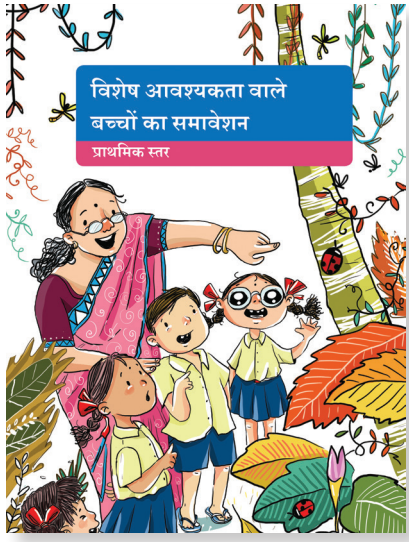

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन — प्राथमिक स्तर

₹ 145.00 / पृष्ठ 126
कोड — 32118
ISBN — 978-93-5007-836-5

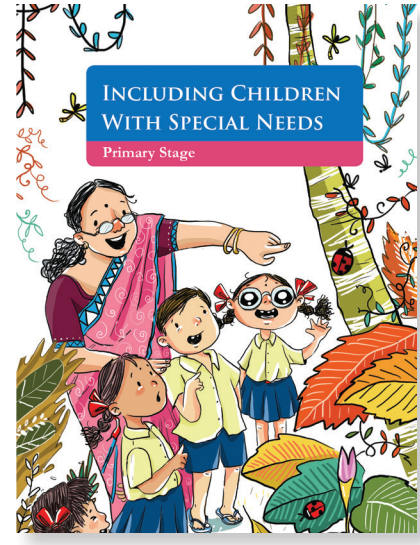

Including Children With Special Needs — Primary Stage

₹ 140.00 / pp.117
Code — 32112
ISBN — 978-93-5007-284-4

Including Children With Special Needs — Upper Primary Stage

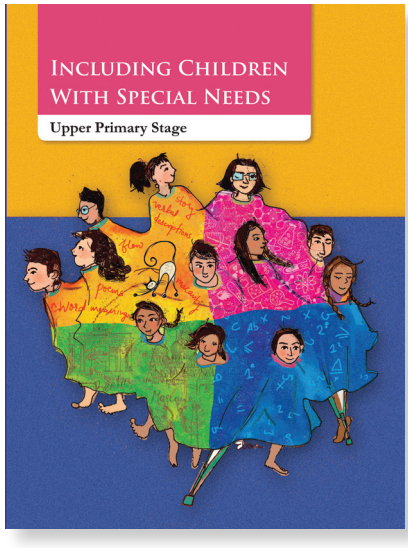

₹ 145.00 / pp.168
Code — 32113
ISBN — 978-93-5007-332-2

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.ncert.nic.in देखिए अथवा कॉपीराइट पृष्ठ पर दिए गए पतों पर व्यापार प्रबंधक से संपर्क करें।

UN 82

विद्यया S मृतमश्नुते

एन सी ई आर टी
NCERT

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

ISBN 978-93-5292-207-9